लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०
२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र कुमार राजस्थान के नागौर निर्वाचन क्षेत्र से श्री मथुरा दास माथुर, जिन्हों ने त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर निर्वाचित घोषित किये गये हैं और वे अब शपथ लेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार (नागौर) ने इसके बाद शपथ ली और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

†अध्यक्ष महोदय : कुछ संसद सभाओं में मैं ने यह देखा है कि जब भी कोई नया सदस्य संसद् में आता है तो सभा में उस का परिचय कराया जाता है । कल भी एक नये सदस्य आये थे और उन्हों ने शपथ ली थी और मैं ने यह कहा था कि उन का नाम तथा उन का निर्वाचन क्षेत्र सभा में घोषित किया जाये । मेरे उस सुझाव का सभा ने स्वागत किया था । इसीलिये मैं ने यह सूत्र निकाला है । मैं इसे अच्छा समझूंगा कि माननीय संसद्-कार्य मंत्री उस के बाद नये आने वाले सदस्यों का यहां पर परिचय कराया करें ।

†श्री ब्रजराज सिंह : आज व यहां उपस्थित नहीं हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : आज वे यहां नहीं हैं, परन्तु मैं उन्हें सूचित कर दूंगा । संभव है कि सभा के नेता कभी कभी उपलब्ध न हों, इसलिये संसद्-कार्य मंत्री ही इस सभा में आने वाले नये सदस्यों का परिचय कराया करें ।

†मूल अंग्रेजी में

1702 (Ai) LSD..—4

†श्री रघुनाथ सिंह : यह ठीक है ।

†अध्यक्ष महोदय : तो इस के बाद मैं उस सदस्य से शपथ लेने और स्थान ग्रहण करने के लिये कहा करूंगा । शपथ ग्रहण करने पर ही वे सभा के सदस्य बनेंगे जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक वे सदस्य नहीं बनेंगे । अतः भविष्य में इस औपचारिकता का पालन किया जायेगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संगीत नाटक अकादमी

+

*३९८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
कुमारी मो० वेद कुमारी :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के हिसाब-किताब में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या जांच कार्य के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है और यदि हां, तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

†श्री हुमायून कबिर : पिछली बार भी उसी प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था कि हम ने विशेष पुलिस से यह कह दिया है कि वह यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र जांच कार्य पूरा करने का यत्न करें और शीघ्र ही हमारे पास उस की रिपोर्ट भेज दें ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी के सचिव ने त्यागपत्र दे दिया है ; यदि हां, तो उस के क्या कारण थे और क्या यह भी उन में से एक कारण था जिस की वजह से उन्हों ने त्यागपत्र दिया है ?

†श्री हुमायून कबिर : गत बार भी यही प्रश्न पूछा गया था और मैं ने उस का उत्तर दे दिया था । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसी उत्तर को दोहरा दूं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन्हीं प्रश्नों को दुबारा न पूछा करें ।

†श्री आसर : यह कहा जाता है कि कार्यकारिणी समिति के भी कुछ सदस्य इस में अन्तर्ग्रस्त हैं । यदि यह सच है तो उन के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायूं कबिर : मुझे इस का ज्ञान नहीं है । इसलिये यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार भी यह प्रश्न किया गया था और माननीय मंत्री जी ने टालने का प्रयत्न किया था । कम से कम अब तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आखिर गड़बड़ी कितने रुपयों की है ?

†श्री हुमायूं कबिर : मैंने सभा से यह कह दिया है कि रिपोर्ट के प्राप्त होते ही सारा मामला सभा के सामने पेश कर दिया जायेगा । मुझे आंकड़े बताने में जरा संकोच इसलिये था क्योंकि इस बारे में अभी पुलिस जांच कर रही है । यदि आप चाहते हैं तो मैं मोटे तौर पर इस की रूपरेखा बता सकता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

†श्री हुमायूं कबिर : लगभग ५१ ऐसे मामलों का पता चला है जिन में हिसाब किताब में गड़बड़ी हो हुई प्रतीत होती है और सहायक विशेष परामर्शदाता द्वारा अकादमी के कोषाध्यक्ष को भेजी गई प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार कुल लगभग १,८८,००० रुपयों की राशि ऐसी है जिस का उन के विचार में गबन हुआ प्रतीत होता है और ५५,००० रुपयों की ऐसी राशि है जिस का अस्थायी रूप से दुरुपयोग हुआ प्रतीत होता है । परन्तु अभी तो इस बारे में जांच की जा रही है और हो सकता है कि जांच के परिणामस्वरूप यह राशि बढ़ जाये या कम हो जाय । इसीलिये मैं इस समय आंकड़े बताने में संकोच कर रहा था ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : गत एक वर्ष से वहां पर इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है और हमें ज्ञात तक नहीं है कि समिति क्या कर रही है । प्रधान और सचिव दोनों ही अनुपस्थित हैं और संगीत नाटक अकादमी का मामला उतने खराब तरीके से चल रहा है । इसलिये हम यह चाहते हैं कि इस की व्यवस्था की देखभाल करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी जाये ।

†श्री हुमायूं कबिर : गड़बड़ी की य बातें ज्यों ही हमारे ध्यान में आयीं, हम ने उसी समय मामले की पूछ ताछ प्रारम्भ कर दी । कोषाध्यक्ष ने मामले की जांच की और हम प्रशासन को बढ़ा कर देने के सम्बन्ध में हर संभव कार्य कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : वे यह चाहती हैं कि सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार करने के लिये एक समिति स्थापित की जाये ।

†श्री मो० वे० कुमारी : क्या मंत्रालय का अकादमी के ढांचे को बदल देने का विचार है ताकि इस प्रकार की घटना फिर घटित न हो ?

†श्री हुमायूं कबिर : मैं उन का उद्देश्य नहीं समझा ।

†अध्यक्ष महोदय : वे यह पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं के पुनरावर्तन को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री हुमायूं कबिर : हम ने पहले ही अकादमी से प्रशासन के बारे में अधिक सतक होने के लिये कह दिया है । वहां पर अब एक प्रशासन-पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । कोषाध्यक्ष भी हिसाब किताब की जांच पड़ताल कर रहा है । वास्तव में कोषाध्यक्ष ने ही इस मामले की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नरसिंहन : क्या यह सच है कि इसी गड़बड़ी के कारण ही सम्पूर्ण अकादमी का चुनाव नहीं हो सका है । उस का आगामी चुनाव कब किया जायेगा ?

†श्री हुमायूं कबिर : सम्पूर्ण अकादमी के चुनाव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । केवल उस के विधान का पुनरीक्षण होना है और उस कार्य में जांच के कारण ही कुछ विलम्ब हो गया है ।

†श्री नरसिंहन : चुनाव का मामला कितनी देर से निलम्बित पड़ा है ?

†श्री हुमायूं कबिर : चुनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । वर्तमान प्रधान लगभग दो या ढाई वर्षों तक और रहेंगे । यदि विधान का पुनरीक्षण किया गया तो दूसरी बात है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या सरकार इस संस्था को वार्षिक अनुदान देती है , यदि हां, तो कितना ?

†श्री हुमायूं कबिर : ये अनुमान प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न राशियों में दिये जाते हैं और वे आय-व्ययक के समय संसद् में पेश किये जाते हैं ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों की राशियों में भी अन्दर है । उदाहरणार्थ, यदि एक राज्य को केवल ३००० रुपये दिये जाते हैं तो दूसरे को १ लाख रुपये दिये जाते हैं । और सभा में उन की रिपोर्ट भी पेश नहीं की जाती है जिस में इतने ब्यौरे दिये गये हैं कि अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं । अतः हम इस जांच के बाद पूरा मामला जानना चाहते हैं ।

†श्री हुमायूं कबिर : मैं मानता हूं कि अकादमी की रिपोर्टें नियमित रूप से प्रकाशित नहीं की जाती रही हैं । परन्तु अब हम ने यत्न किया है कि वे रिपोर्टें नियमित रूप से प्रकाशित होती रहें । गत पांच वर्षों की रिपोर्टें सभा के सामने पेश की जा चुकी हैं और उस के बाद से वार्षिक रिपोर्ट सभा के सामने पेश की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि गड़बड़ी का केस गवर्नमेंट की नजर में आया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने अपना नियंत्रण कुछ कड़ा करने का, कठोर करने का इरादा भी किया है ताकि इस तरह की घटनाय न होने पायें ?

†श्री हुमायूं कबिर : हम ने प्रशासन में सख्ती कर दी है । हम ने संगीत नाटक अकादमी के पदाधिकारियों से यह प्रार्थना की है कि वे अब अधिक सतर्क हो जायें ।

धर्मार्थ न्यासों पर कर

*३९९. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ प्रकार के धर्मार्थ न्यासों की व्यापारिक आमदनी को आय कर कानून के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने से केन्द्रीय राजकोष में आने वाली अतिरिक्त आय का अंदाज लगाया है ; और

(ख) यदि हां तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) संभवतः यह प्रश्न धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यासों की व्यापारिक आमदनी को आयकर से छूट देने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के संगत उपबन्धों में संशोधन करने के लिये प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति द्वारा की गई उन सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में पूछा गया है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है अर्थात् इस मंशा को सम्बद्ध धारा के मूल्य उपबन्धों में स्पष्ट कर दिया जाये कि व्यापारिक आमदनी को आयकर से केवल तभी छूट दी जायेगी जब ऐसी आय न्यास के प्राथमिक प्रयोजनों को पूरा करते हुए हुई हो ; कि ऐसे मामलों में कोई छूट न दी जायेगी जहां व्यवस्थापक के सम्बन्धियों को न्यास लेख (ट्रस्ट डीड) के अधीन न्यास निधि से लाभ प्राप्त करने में प्राथमिकता दी गई हो ; और यह कि जहां कोई न्यास अपनी अन्य राशि इकट्ठी कर रहा हो वहां आय की २५ प्रतिशत से अधिक राशि पर कर लगाया जायेगा । सरकार ने अभी तक यह निर्धारण-कार्य प्रारम्भ नहीं किया है कि प्रस्थापित संस्थाओं से कितनी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। इस के लिये व्यापक जांच करने की आवश्यकता होगी जिस में न्यास लेखों तथा खातों की जांच करनी पड़ेगी। उस कार्य में पर्याप्त समय लगेगा और उस से लाभकारी परिणामों की भी आशा नहीं है क्योंकि प्राप्त होने वाला राजस्व सम्बन्धित खाता वर्ष में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा ।

(ख) उक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए ब्योरों का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या चालू वित्तीय वर्ष में किन्हीं विशेष प्रकार के धर्मार्थ न्यासों की व्यापारिक आय पर आय कर लगाने की कोई संभावना है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह जानकारी विवरण में ही सम्मिलित है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि धार्मिक ट्रस्टों की आय से केन्द्रीय सरकार के राजकोष को जो धन प्राप्त होता है उस के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े भी हैं कि उस में किस सम्प्रदाय के कितने ट्रस्ट हैं जिन से आय होती है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस सुझाव को मान लेने में जो अधिक आय होगी उस के बारे में कोई आंकड़े अभी तैयार नहीं किये गये हैं। जब हर एक केस अलग तरीके से तैयार किया जायेगा और उस के बारे में छान बीन की जायेगी और टैक्स लगाया जायेगा तब उस के बारे में सारे आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे ।

†**श्री तंगमणि** : विवरण में यह बताया गया है कि त्यागी समिति ने धर्मार्थ न्यासों की आय के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। विवरण में यह भी कहा गया है कि इस के लिये एक व्यापक जांच करनी पड़ेगी। क्या इस बारे में कोई जांच कार्य किया जायेगा ; और यदि हां तो जांच के परिणाम कब तक ज्ञात हो जायेंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यदि इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया तो उस से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। परन्तु इस के लिये प्रत्येक मामले और प्रत्येक धार्मिक न्यास लेख का ऋण अलग रूप से परीक्षण करना होगा। इसीलिये मैं इस समय उन आंकड़ों के संबंध में नहीं बता सकती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या व्यापार करने वाले धर्मार्थ न्यासों की आय को आयकर से छूट दे दी जायेगी ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : किसी भी ऐसे न्यास के मामले में जहां इस की संचित आय राशि में से कुछ राशि केवल धर्मार्थ कार्यों के लिये इस्तेमाल की जाती है वहां इस आय की २५ प्रतिशत से अधिक राशि पर आयकर लगेगा । हम ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है ।

द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों को समाप्त करना

*१००. †
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री उस्मान अली खां :
श्री आचार :
श्री हेमराज :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री तंगामणि :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या विधि मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों को समाप्त करने का जो प्रश्न विचाराधीन था उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सरकार ने निश्चय कर लिया है कि वर्तमान द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित कर के उन के स्थान पर एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बना दिये जायें । यह आशा है कि इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक विधान संसद् के इस सत्र के दौरान में पेश कर दिया जायेगा ।

†श्री रघुनाथ सिंह : इसी सत्र के दौरान में ?

†श्री अ० कु० सेन : जी हां, इसी सत्र में ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह निर्णय करते समय या निर्णय करने के बाद एलेक्शन कमिशन से भी विचार विमर्श किया गया है कि इस डिलिमिटेशन के कार्य के पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अ० कु० सेन : जी, हां ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि इसी अधिवेशन में कानून रक्खा जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि कानून सिर्फ रक्खा ही जायेगा या इसी अधिवेशन में पास भी किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० कु० सेन : आशा है कि रक्खा जायेगा ।

†श्री कालिका सिंह : क्या वर्तमान द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर देने का विचार है या कि स्वतन्त्र रूप से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का विचार है ?

†श्री अ० कु० सेन : वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों का स्वतन्त्र रूप से परिसीमन कैसे किया जा सकता है ।

†अध्यक्ष महोदय : वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या वर्तमान द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित करके उसमें से एक भाग अनुसूचित जातियों आदि के लिये विशेष रूप से रक्षित किया जायेगा या कि नये सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य किया जायेगा ?

†श्री अ० कु० सेन : जी, नहीं । निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन करने का हमारा कोई ख्याल नहीं है । केवल द्वि-सदस्यीय क्षेत्रों को दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा रहा है ।

†श्री बाल कृष्ण : द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित करने के बाद रक्षित स्थान किस आधार पर आवंटित किये जायेंगे ?

†श्री अ० कु० सेन : इसके लिये विधेयक के पेश होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

बैंकों के वैज्ञानिकन की योजना

+

*१००१. { श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारत में बैंक उद्योग के ढांचे के वैज्ञानिकन की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटे तौर पर ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). आवश्यकतानुसार तथा अवसरानुसार बैंकिंग कम्पनियों के पुनर्गठन तथा उनके विलम्ब सम्बन्धी योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिये बैंकिंग समवाय अधिनियम में हाल ही में किये गये संशोधनों के अधीन उपलब्ध होने वाली शक्ति का उपयोग करने का विचार है ।

(ग) इन बैंकों के सम्बन्ध में शोध-विलम्ब-काल सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये गये हैं और उन में से चार बैंकों के पुनर्गठन और विलम्ब के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करके उन बैंकों के पास उनके सुझावों के लिये भेज दी गयी हैं । शेष छ : बैंकों के सम्बन्ध में उपयुक्त योजनायें तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या कम धन जमा कराने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिये इतना पर्याप्त होगा ? आवश्यकता इस बात की है कि सभी बैंकों का सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

फेडरेशन निक्षेप बीमा प्राधिकार से स्थापित कर दिया जाये। क्या इससे कम धन जमा कराने वालों के हितों की रक्षा की जा सकेगी?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं नहीं समझती कि यह प्रश्न यहां उत्पन्न होता है। मूल प्रश्न का सम्बन्ध बैंकों के पुनर्गठन के लिये शक्ति के बारे में है और वह शक्ति संसद के अधिनियम के द्वारा प्राप्त कर ली गयी है।

†श्रीमती इला पालचौधरी: यह एक वैज्ञानिकन की योजना है और वह उसका एक पहलू है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस वैज्ञानिकन की योजना को संसद् के अधिनियम के द्वारा शक्ति दे दी गयी है और उन में दो बातें सम्मिलित हैं—एक तो यह कि बैंकों को शोध-विलम्ब-काल दिया जा सके और दूसरा यह कि विभिन्न बैंकों का विलय किया जा सके। ये दोनों कार्य अब किये जा रहे हैं।

†डा० राम सुभग सिंह: माननीय उपमंत्री ने बताया है कि आवश्यकतानुसार और अवसरानुसार उस शक्ति का इस्तेमाल किया जायेगा। तो क्या सभी बैंकों के स्वरूप के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस का इस्तेमाल किया जायेगा कि केवल कुछ एक बैंकों के सम्बन्ध में ही उसका इस्तेमाल किया जायेगा?

†वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई): बैंकों के सम्पूर्ण ढांचे का ही पुनरीक्षण किया जा रहा है। परन्तु मैं कह नहीं सकता कि क्या वह सभी बैंकों पर लागू होगा या नहीं। यह प्रत्येक बैंक की स्थिति पर निर्भर करता है।

†श्री रामनाथन चेट्टियार: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल तथा अन्य राज्यों में ५ से अधिक बैंकों .....

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: दस बैंकों।

†श्री रामनाथन चेट्टियार: ..... को हाल ही में शोध-विलम्ब-काल के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, तो क्या सरकार देश में बैंकिंग उद्योग को ठोस आधार पर आधारित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र में वास्तविक त्रुटियों को जानने के लिये और सम्पूर्ण बैंकिंग ढांचे का परीक्षण करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

†श्री मोरारजी देसाई: जो त्रुटियां हैं, वे तो ज्ञात हैं। इसके लिये एक अलग समिति की जरूरत नहीं है। यह काम रिजर्व बैंक का है और रिजर्व बैंक यह काम कर रहा है। इसलिये एक अलग समिति नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है।

†श्री दामानी: रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को शोध-विलम्ब काल देने का क्या आधार है?

†श्री मोरारजी देसाई: आवश्यकतानुसार।

†श्री मणियंगाडन: क्या बैंकों के विलय के परिणामस्वरूप काम से छूट जाने वाले कर्मचारियों को किसी और स्थान पर नौकरी दे दी जायेगी? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस सम्बन्ध में इसी समय उत्तर देना संभव नहीं है। परन्तु बैंकों के विलय के बाद यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त हो गये, तो उन्हें काम से अलग हो जाना पड़ेगा। परन्तु केवल उसी कारण से हमें यह नहीं कहना चाहिये कि बकों में सुधार ही न किया जाये। फिर भी यत्न किया जायेगा कि कर्मचारी बेरोजगार न रहें।

†**श्री दामानी :** क्या छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिला देने के सम्बन्ध में बातचीत रिजर्व बैंक के द्वारा की जा रही है या कि बैंक स्वयं आपस में ही बातचीत कर रहे हैं?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** प्रारूप योजना सम्बन्धित बैंकों के पास भेज दी जायेगी और केन्द्रीय सरकार से मंजूरी के बाद इसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा किया जायेगा।

†**श्री प्रभातकार :** क्या रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा शोध-विलम्ब-काल के लिये आदेश पास करने के लिये निर्बल बैंकों के सम्बन्ध में कोई पूर्ण जांच का कार्य प्रारम्भ किया है?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी, हां। यह जानकारी रिजर्व बक द्वारा प्राप्त की जाती है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** माननीय उपमंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि कुछ बैंकों के विलय की एक योजना विचाराधीन है। तो उन बकों के क्या नाम हैं?

†**श्री मोरारजी देसाई :** उन के नाम नहीं बताये जा सकते।

†**श्री आचार :** जिन बैंकों का विलय किया जा रहा है क्या ऐसा काम उनकी सम्मति से किया जा रहा है या कि रिजर्व बैंक स्वयं ही अपनी ओर से ऐसा कर रहा है?

†**श्री मोरारजी देसाई :** विधि के अनुसार तो यह कार्य सम्मति के बिना भी किया जा सकता है। परन्तु जहां तक सम्भव हो, सम्मति ले ली जाती है।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी :** क्या वैज्ञानिकन की इस योजना के अधीन छोटे बैंकों के केवल विलय की ही व्यवस्था है या कि छोटे बैंकों को सहायता देने की भी व्यवस्था है?

†**श्री मोरारजी देसाई :** सहायता देने की भी गुंजायश है। छोटे बैंकों को समाप्त कर देने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि न्यू सिटिज़न बैंक का बड़ौदा बैंक में मिला दिया गया है। तो इन यूनिटों की विभिन्न शाखाओं का कार्य नियमित रूप से कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि वे आवश्यक हुईं तो कार्य करेंगी, अन्यथा नहीं।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** यह बैंक आफ बड़ोदा के साथ मिला दिया गया है।

सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन

***१००२. श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या वित्त मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति के २०वें और ६०वें प्रतिवेदन में की गयी इस सिफारिश पर कि सभी सरकारी उपक्रमों के संबंध में बजट वर्ष के लिए कार्य तथा कार्यक्रम विवरण

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पिछले वर्ष के विवरणों के साथ संसद् में वार्षिक बजट के समय दिये जाने चाहियें, विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस विचार का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्णय करने में देर के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) सिफारिशों से बहुत से पेचीदा मामले खड़े होते हैं जिनका विभिन्न मंत्रालयों को संबद्ध उपक्रमों के परामर्श से तथा उपक्रमों का विनियमन करने वाले अधिपत्रों के निबंधनों की दृष्टि से परीक्षण करना होता है ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकारी उपक्रमों के ऊपर संसदीय नियंत्रण का समूचा प्रश्न मंत्रिमंडल के सक्रिय सभा से विचाराधीन है और यदि हां, तो वह विचार किस प्रक्रम पर है ?

†श्री मोरारजी देसाई : विचार को प्रक्रमों में विभाजित करना कठिन है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह विचाराधीन है ।

†श्री अजराज सिंह : क्या सरकार ने संसद के कांग्रेस दल द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और क्या वह उनको कार्यान्वित करने के लिये सहमत है ?

†श्री मोरारजी देसाई : उनको कार्यान्वित करने के लिये उसी निर्णय का कोई प्रश्न नहीं है । यह अभी विचाराधीन है । मैं कैसे कह सकता हूं कि उनको कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया गया है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या कांग्रेस दल की सिफारिश के अनुसार संसदीय स्थायी समिति भी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री मोरारजी देसाई : बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

तेल शोधक कारखानों के अनुमान

+
*१००३. श्री मुरारका :
श्री पुन्नूस :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री हेम बरुआ :
श्री दामानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दोनों तेल शोधक कारखानों के मूल अनुमानों के साथ साथ पुनरीक्षित अनुमान क्या हैं ;

(ख) क्या ये अनमान अंतिम हैं या इन में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ग) यदि इस वृद्धि का कोई कारण है तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). भारतीय तेल शोधक कारखाने सीमित नूनमती और बरौनी दोनों तेल शोधक कारखानों के बारे में लागत का अनुमान लगा रहे हैं।

†श्री मुरारका : मेरा प्रश्न यह था कि दोनों तेल शोधक कारखानों के लिये मूल और शोधित अनुमान क्या थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल अनुमानों की तुलना में शोधित अनुमान बढ़ गये हैं या नहीं और यदि वे बढ़ गये हैं तो मुख्य कारण क्या हैं।

†श्री के० दे० मालवीय : नूनमती तेल शोधक कारखाने के अनुमान बढ़ गये हैं। अभी बरौनी संबंधी अनुमान लगाने हैं, क्योंकि अभी तक विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। वे अब किसी भी समय आ सकते हैं। जहां तक नूनमती तेल शोधक कारखाने का संबंध है, अन्तिम अनुमान १८.०३ करोड़ रुपये का है जिसमें विस्तृत परीक्षण के पश्चात् जो लगातार होता रहता है, अभी शोधन करना पड़ेगा।

†श्री मुरारका : माननीय मंत्री द्वारा हाल में दिये गये वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका में, पाइप लाइन की लागत प्रति मील ५८००० डालर है जब कि भारत में यह प्रति मील १२०,००० डालर होने वाली है। अमरीका की तुलना में जहां सब चीजों की कीमत अधिक है, भारत में इस पाइप लाइन की अधिक कीमत होने का क्या कारण है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस प्रश्न का पाइप लाइन व्यय से कोई संबंध नहीं है। यदि माननीय मित्र वह जानना चाहते हैं तो वह पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†श्री जगन्नाथ राव : क्या अनुमानों में वृद्धि नूनमती तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ने के कारण हुई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं। प्रारंभिक प्रस्तावों के समय बनाये गये मल अनुमान हमारे विचार के अनुसार, कम अनुमान थे। बाद में, इसमें कुछ मदें बढ़ानी पड़ी थीं, क्योंकि वे मूल अनुमानों में सम्मिलित नहीं किये गये थे। अब अन्तिम अनुमानों में २ करोड़ की कमी कर दी गई है और अन्तिम अनुमान १८.०३ करोड़ रुपये के हैं। मैं यह भी कह दूं कि यह बराबर क्षमता वाले विशाखापटनम क्रालटैक्स तेल शोधक कारखाने के १४.०३ करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में बहुत ठीक है।

†श्री दामानी : क्या विदेशी मुद्रा की लागत भी बढ़ाई जाएगी और क्या विदेशी मुद्रा की लागत में वृद्धि के लिये संभरणकर्त्ताओं के साथ कोई प्रबंध किये गये हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे पक्का पता नहीं है कि विदेशी मुद्रा की लागत में वृद्धि इस अनुमान में शामिल की गई है। ये भौतिक अनुमान हैं जिन में शोधन किया गया है। कुछ मद शामिल किये गये हैं और अन्तिम अनुमान दर्शाये गये हैं।

†श्री क० ड० परमार : गजरात में बड़े तेल निक्षेपों की दृष्टि से क्या सरकार ने वहां बड़े आकार का तेल शोधक कारखाना लगाने का फैसला किया है और उस की लागत क्या होगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : नूनमती और बरौनी तेल शोधक कारखानों का मूल अनुमान क्या है और आधुनिकतम शोधित अनुमान क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : नूनमती तेल शोधक कारखाने का मल अनुमान उस समय उस सरकारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा, जो रुमानिया गया था, दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर १०.५ करोड़ रुपये था। तब से यह बढ़कर २० करोड़ हो गया है. . . . .

†श्री विद्याचरण शुक्ल : १०० प्रतिशत ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां। जिसमें बहुत सी चीजें शामिल करनी थीं जो उस समय शामिल नहीं की गई थीं। अब अनुमान घटा दिये गये हैं और यह १८ करोड़ रुपये है। बरौनी के बारे में कुल लागत का अभी अनुमान लगाना है। लगभग १००० लाख रूबल या १२ करोड़ रुपये विदेशों से सामान खरीदने के लिये अलग रखे गये हैं।

†श्री मुरारका : बरौनी तेल शोधक कारखाने में स्थान तयार करने के कारण लागत में क्या वृद्धि होगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : अनुमान बताते समय भूमि की लागत शामिल नहीं की गई थी क्योंकि आसाम सरकार ने हमें तेल-शोधक कारखानों के लिये निःशुल्क भूमि देना स्वीकार किया था। बाद में . . . . . .

†श्री मुरारका : मेरा प्रश्न बरौनी के बारे में था।

†श्री के० दे० मालवीय : बरौनी के बारे में . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुझाव दंगा। माननीय मंत्री के उत्तरों से प्रतीत होता है कि १० करोड़ रुपये के मल अनुमान बढ़कर २० करोड़ रुपये हो गये थे और फिर घटा कर १८ करोड़ रुपये हो गये हैं। अब अन्तिम अनुमान १८ करोड़ रुपये है।

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां, इसमें अभी भी शोधन किया जाएगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानने को उत्सुक हैं कि किन शीर्षों में ये वृद्धियां हुई हैं। यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है, तो वह मूल अनुमान तथा शोधित अनुमान पुस्तकालय में रख दें ताकि माननीय सदस्य उन्हें देख सकें।

†श्री के० दे० मालवीय : मैं ऐसा कर दंगा।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आन्ध्र-प्रदेश को कोयले का सम्भरण

†*१००५ श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री रामी रेड्डी :
कुमारी मो० वेद कुमारी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों के पास कोयले की काफी कमी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) यह सच है कि कोयला का पूरा अभ्यंश उस राज्य में कुछ उद्योगों को भेजा नहीं गया है ।

(ख) जिन उद्योगों को सब से अधिक हानि हुई थी उन को कोयला भेजने के लिये विशेष प्रबंध किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप हाल में स्थिति में सुधार हो गया है ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि सिंगरेनी का कोयला आंध्र राज्य से बहुत दूर भेजा गया है और इसी कारण आंध्र को उद्योगों के लिये कोयले की कमी है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : आंध्र के उद्योगों के लिए कोयला सिंगरेनी के अतिरिक्त बिहार और बंगाल की पट्टियों से दिया जाता है ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : आंध्र राज्य पहले ही उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । हम कोयले के संभरण की कमी का कारण जानना चाहते हैं । क्या कमी कोयले की है या वैगनों की ? बहुत से उद्योगों को हानि हो रही है और बहुत से उद्योग बन्द हो चुके हैं ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : कुछ न दूर किये जा सकने वाले कारणों से आंध्र को कोयले का कुछ कम संभरण होता है । क्योंकि वर्षा ऋतु में बहुत से मार्ग टूट जाते हैं साथ ही उस समय हड़ताल भी हुई थी । ये मुख्य कारण थे । आंध्र राज्य को कोयले का संभरण बढ़े इसके लिये निम्न कार्यवाइयां की गई हैं । पहले रेलवे से प्रार्थना की गई है कि वह परिवहन क्षमता को बढ़ाए और उन्होंने कोयले के ले जाने पर जो रुकावटें या प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें हटाए या कम करे, ताकि अधिक कोयला भेजा जा सके । दूसरे, परिवहन की कठिनाई को पूरा करने के लिये उपभोक्ताओं को कलकत्ता पत्तन के द्वारा रेल एवं समुद्र मार्ग से पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला लेने के लिये प्रोत्सहित किया जाता है । कुछ प्रार्थना भी आई है और कोयला स्थिति को सुधारने के लिये प्रबंध भी किये गये हैं । आज कल स्थिति पहले की अपेक्षा थोड़ी बेहतर है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या कोयले का मूल्य आंध्र प्रदेश के लोगों के लिये बहुत ऊंचा है जो अपने उद्योगों के लिये सिंगरेनी का कोयला प्रयोग में लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार और अन्य स्थानों से आने वाले कोयले पर निर्भर होना पड़ता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : कोयले का मूल्य पहले ही निश्चित है । इस लिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

†श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आंध्र प्रदेश अपने उपभोग की अपेक्षा अधिक कोयला पैदा करता है, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी पद्धति क्यों बनाई गई है जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश का कोयला दूसरे राज्यों को भेजा जाता है और अन्य राज्यों का कोयला आंध्र प्रदेश में लाया जाता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने अभी इसका उत्तर दिया है । आंध्र प्रदेश को कोयला न केवल सिंगरेनी से मिलता है अपितु बिहार और बंगाल के कोयला क्षेत्रों से भी मिलता है । कोयले का संभरण बढ़ाने के लिये, आंध्र प्रदेश सरकार से तथा वहां के उद्योगों से भी प्रार्थना

---

†मूल अंग्रेजी में

की गई है कि वे कोरबा से भी कुछ कोयला लें। फिर स्थिति कुछ सुधर सकती है। सिंगरेनी कोयला खान का समूचा उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश को देना संभव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न भिन्न है। जब सिंगरेनी का कोयला आंध्र प्रदेश की आवश्यकता से अधिक है, तो वह क्यों वहां से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है तथा वहां दूसरे राज्यों से कोयला लाया जाता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर दूं। कोयले का संभरण केवल टन-भार के आधार पर नहीं किया जाता, अपितु कुछ श्रेणियों और किस्मों के आधार पर भी किया जाता है। कोयले की कुछ श्रेणियां हैं जिनका आंध्र प्रदेश में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिये बंगाल-बिहार क्षेत्र से आयात करना पड़ता है। फिर दक्षिण के राज्यों में अर्थात् मैसूर, केरल और मद्रास में कोयले का संभरण नहीं है। अतः उन राज्यों को भी कोयला भेजना पड़ता है। अतः हम कोयला वितरण के इस मामले में उत्पादन के आधार पर नहीं चलते। हमें बहुत सी बातों को जैसे श्रेणियां, लेजाने का वैज्ञानिकन और रेलवे कितना कुछ कर सकती है आदि बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

†**श्री हेडा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में सरकार को शिकायतें आई हैं और सरकार के पास शिष्टमंडल आए हैं कि रेलवे तथा कोयला पदाधिकारियों के बीच कोई उचित समन्वय नहीं है और इस के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश में जितना कोयला आया है वह कम था, क्या सरकार ने यह देखने के लिये कि इन दोनों विभागों में समन्वय रहे और आंध्र प्रदेश को उचित समय पर संभरण दिया जाए, एक उच्च स्तर की अन्तर्विभागीय समिति बनाने की वांछनीयता का विचार किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कहना ठीक नहीं है कि रेलवे और कोयला वितरण पदाधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। उन में लगातार परामर्श होता है। मैं स्वयं स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिये प्रति दो या तीन सप्ताहों के पश्चात् रेलवे मंत्री से मिलता हूं। इस समय माल अच्छी तरह भेजा जा रहा है और रेलवे जो अधिकतम कर सकती है, कर रही हैं।

†**श्री तिरुपति राव :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि गुडूर की सरकारी चीनी मिट्टी के बर्तनों की फैक्टरी कोयला न मिलने के कारण हाल में बन्द हो गई है जिस से सरकार को बड़ी हानि हुई है तथा मजदूरों को भी रोजगार की हानि हुई है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे उस के लिये पृथक सूचना की आवश्यकता है।

†**कुमारी मो० वेद कुमारी :** रेलवे तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालयों के बीच समन्वय का ही अभाव नहीं है, बल्कि जब विभिन्न उद्योगों के बीच प्राथमिकताएं आवंटित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रार्थना कोयला आयुक्त के सामने जाती है, तो आवंटन के समय भी कुछ दुर्व्यवस्था होती है। अतः मैं प्रार्थना करूंगी कि आंध्र प्रदेश के उद्योगों को भी बराबर कोयले का वितरण किया जाना चाहिए। इस समय हमें अतिरिक्त परिवहन शुल्क भी दे रहे हैं क्योंकि हमें बंगाल-बिहार क्षेत्र से कोयला लेना पड़ता है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं इस बात के अतिरिक्त कि महिला सदस्य आवंटन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, उनका प्रश्न समझ नहीं सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुमारी मो० वेद कुमारी** : मैं प्रश्न को दुहरा दूंगी । रेलवे तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालयों के बीच, कोयले के लिये वैगन आवंटन करने के मामले में समन्वय का ही अभाव नहीं है, बल्कि कोयला आयुक्त के स्तर पर कुछ कुप्रबन्ध होता है जब उद्योगों के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं और आवंटन किया जाता है । हम जानना चाहते हैं कि क्या गलती इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के स्तर पर होती है या कोयला आयुक्त के स्तर पर ? कठिनाई क्या है और कहां है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोयला भेजने के मामले में पूर्णतया समन्वय, परामर्श और संयुक्त निपटान होता है । यह याद रखने की बात है कि लगभग ५०० लाख टन भेजना पड़ता है जो रेलवे की कुल क्षमता का एक-तिहाई बनता है । कोयला आयुक्त प्राथमिकताएं निर्धारित करता है और सर्वप्रमुख प्राथमिकताएं इस्पात मिलों को, अन्य ऐसे उद्योगों, बिजली घरों आदि को दी जाती हैं । मैंने अक्सर बताया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं ? फिर उन प्राथमिकताओं को उपलब्ध वैगनों की संख्या के साथ मिलाना पड़ता है । ऐसा करते समय यदि कुछ कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को अपेक्षित समय पर अपेक्षित मात्रा में कोयला नहीं मिलता, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

कई माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक सुझाव दूंगा । आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों के माननीय सदस्यों की इस में दिलचस्पी दिखाई देती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि वह आंध्र प्रदेश के सब सदस्यों का एक छोटा सम्मेलन करें और यदि वास्तव में ही कोई मतभेद है तो उसे समाप्त करें ।

†**श्री रंगा** : अन्य मंत्री भी उस में होने चाहियें और केवल इस्पात, खान और ईंधन मंत्री नहीं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : अन्य राज्यों के बारे में क्या होगा ? (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । समय-समय पर इन मामलों को इकट्ठे बैठ कर और इस मामले में चर्चा करके सरलता से हल किया जा सकता है । कोयला संभरण की इस समस्या, वैगनों के पारनयन, और किस कोयला खान से संभरण किया जाना चाहिये आदि बातों में समूचे देश को दिलचस्पी है । इसलिये मैं संसद भवन का केन्द्रीय हाल हमेशा माननीय सदस्यों के लिये खुला रखता हूं । अतः यदि माननीय मंत्री को आपत्ति न हो, तो वह बहुत से माननीय सदस्यों को उन से मिलने की अनुमति दें और वह उनके साथ बैठ कर मतभेद को दूर करें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किसी आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं । माननीय सदस्यों का हमेशा स्वागत है और वे मुझे किसी भी समय मिल सकते हैं । वास्तव में वे मुझे समय-समय पर मिलते भी रहते हैं । हमारी हाल ही में अनौपचारिक सलाहकार समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं जिन में सभा के भिन्न-भिन्न दलों के काफी सदस्य हैं और यदि वे किसी विशिष्ट मामले पर अनुरोध करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा उन से मिलने को तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, वह २४ तारीख को बैठक निश्चित कर सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह अखिल भारतीय समस्या है और माननीय मंत्री को चाहिये कि वह सभा के सभी सदस्यों को विश्वास में लें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री २४ दिसम्बर १९६० को या किसी और तारीख को बैठक निश्चित कर सकते हैं जब सब माननीय सदस्य उन से मिल सकें। यह सब राज्यों की एक सामान्य शिकायत दिखाई देती है और केवल आंध्र प्रदेश की नहीं। अतः माननीय मंत्री यथासंभव शीघ्रता-पूर्वक उनके जाने से पहले उनके साथ बैठ कर इस का हल निकाल सकते हैं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि सभा के सामने कोई शिकायतें न लाई जायें।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** वह अकेले ही उस में नहीं होने चाहियें। जब तक रेलवे मंत्री उस में नहीं होंगे, इस से कुछ नहीं होगा क्योंकि वैगनों की कमी का भी प्रश्न है। कोयला खानों के बाहर है किन्तु यह उद्योगों को चलाने के लिये ढोया नहीं जा रहा है। यही तो कठिनाई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई तिथि निश्चित की जाती है, तो मैं रेलवे मंत्री या उपमंत्री को भी उसमें सम्मिलित होने को कहूंगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आसाम में तेल है कोयला नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** आसाम में कोयला भी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य भी उस बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

लोहे और इस्पात की कमी

†*१००६. **श्री सूपकार :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अनेक राज्यों में मकान बनाने की वस्तुओं के लिए अब भी लोहे और इस्पात की काफी कमी है; और

(ख) ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले छः महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसी वस्तुओं की कितनी मांग थी और कितनी पूर्ति हुई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क). छड़ों की (बार्स और रॉड्स), जो मकान बनाने के काम आने वाली मुख्य वस्तुएं हैं, पूर्ति-स्थिति अब कुछ अच्छी है। फिर भी गैल्वनाइज्ड शीट्स की कमी है।

(ख) मकान बनाने की वस्तुओं, मुख्यतः छड़ों (बार्स और रॉड्स) और गैल्वनाइज्ड शीट्स के लिए इस्पात सामान्यतया राज्यों की कृषि से भिन्न तथा सरकारी विकास योजना के अभ्यंश (कोटा) में से आता है। इन अभ्यंशों के अधीन राज्यवार मांग तथा अप्रैल-सितम्बर, १९६० की छमाही में दी गयी पूर्ति दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०**]

†**श्री सूपकार :** विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि जब कि कुछ क्षेत्रों को उनकी मांग पर एक मिलिग्राम भी लोहा और इस्पात नहीं दिया गया है, जब कि असम जैसे राज्य को उसकी मांग के ५ प्रतिशत से भी कम मिलता है, तब मद्रास और दिल्ली जैसे कुछ दूसरे राज्यों को उनकी मांग का ९५ प्रतिशत मिलता है। पश्चिम बंगाल में जहां मुख्य कार्यालय है, पूर्ति मांग के १२५

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह असमानता क्यों है और इसे किस प्रकार दूर करने का मंत्रालय का विचार है ?

†श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : कुछ राज्यों में, अन्य राज्यों की तुलना में पूर्ति कम हुई है। उसके लिए कुछ कारण हैं। असम में, संचार साधनों के अभाव की कठिनाई है। इस कारण वहां कम सप्लाई हुई है किन्तु अब स्थिति बहुत कुछ सुधर गयी है। कुछ दूसरे राज्यों में इसलिए कम सप्लाई हुई कि बहुत सी बातों के कारण उत्पादन का आयोजन समय पर नहीं किया गया था।

†श्री सूपकार : जो कारण बताया गया है वह बहुत ठोस नहीं मालूम होता क्योंकि जिन क्षेत्रों में संचार साधनों की कोई कठिनाई नहीं है, वहां भी काफी कम सप्लाई हुई है। कई क्षेत्रों में जहां संचार-साधन बिलकुल अच्छे हैं, मांग की लगभग २५ से ३० प्रतिशत सप्लाई हुई है। अतः वास्तविक कारण क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : यह ठीक है कि असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को कम सप्लाई दी गई है और इस बात के लिए कार्यवाही की जायेगी कि यह असमानता यथासंभव कम की जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक नियंत्रित वस्तु के लिए एक स्थायी समिति क्यों न हो ? ये प्रश्न बार-बार आ रहे हैं। प्राक्कलन समिति ने भी इस्पात नियंत्रण आदि के विषय पर विचार किया था। वह और विस्तार से विचार करना चाहती थी। माननीय मंत्री यहां पर विस्तृत विवेचन करने के पक्ष में नहीं हैं किन्तु सभा में ये शिकायतें दूर करने के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नियतन के बारे में मंत्रालय को राय देने के लिए एक स्थायी समिति हो ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए अनौपचारिक परामर्श-दातृ समिति उपयुक्त मंच है। जिस किसी को किसी विषय में विशेष रुचि हो वह उसका सदस्य बन सकता है। किन्तु मुझे शंका है कि स्थायी समिति वास्तव में नियतन, लाने-लेजाने और इसी तरह की अनेक बातों पर छानबीन कर सकेगी।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, मेरा अनुमान यह है कि स्थिति सुलझती जा रही है और वह अब कमी वाली वस्तु नहीं रह गयी है। हो सकता है कि वास्तविक नियतन और स्थानान्तरण या सप्लाई में असमानता हो किन्तु ये आंकड़े ठीक-ठीक स्थिति के द्योतक नहीं हैं क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो नियत की जाने पर भी उठायी नहीं जा रही हैं। किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में ऐसी समिति आवश्यक हो या न हो, इस्पात के मामले में, मेरी समझ में, इस प्रकार के निरन्तर सिरदर्द की कोई जरूरत नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि इस्पात के लिए पहले ही कोई अलग समिति है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मंत्रालय के लिए एक अलग परामर्शदातृ समिति है और यह मद मंत्रालय के अधीन है। इसलिए वह समिति सदा ही अनौपचारिक रूप से प्रश्न पूछ सकती है और सुझाव दे सकती है। मुझे शंका है कि यदि बहुत अधिक समितियां हो जायें तो संभवत : माननीय सदस्य जो पहले ही लंबे अधिवेशनों के कारण बहुत व्यस्त हैं, इन सब के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सकेंगे।

†श्री ब्रजराज सिंह : सरकार इस बात का क्या कारण बताती है कि कुछ राज्यों में तो मांग का १२५ प्रतिशत दिया गया है जब कि कुछ दूसरे राज्यों में मांग का शून्य प्रतिशत दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : पश्चिम बंगाल राज्य में जैसा कि विवरण में बताया गया है, वास्तविक पूर्ति मांग से कहीं अधिक है । किन्तु यह याद रहे कि कलकत्ता एक बड़ा बाजार होने के कारण वहां जो भी चीज वास्तव में उठायी जाती है, वह निश्चय ही वहीं पर काम में नहीं लायी जाती । असम और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों में कुछ माल भेजा जाता है । इस लिए केवल इस बात के कारण कि कोई वस्तु कलकत्ते या पश्चिम बंगारल में उठायी गयी है, यह अर्थ नहीं निकलता कि पश्चिम बंगाल में ही उसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया हो ।

†श्री गोरे : क्या यह ऐसा उत्तर है जिससे मंत्री महोदय का भी समाधान होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : जब तक वे संतुष्ट न हुए हों कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

†श्री गोरे : उत्तर क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों को संतोष न हो तो मैं क्या कर सकता हूं ?

पहले जब श्री गाडगील यहां थे, तब कोयला उत्पादन स्थानान्तरण, माल डिब्बे आदि के बारे में शिकायत आयीं । मैंने तुरन्त सुझाव दिया कि प्राक्कलन समिति उसकी जांच करे, रिपोर्ट तैयार करे और इस सभा में पेश करें । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं प्राक्कलन समिति से फिर यह कहने के लिए तैयार हूं कि वह इस बारे में जांच करे । जब एक मामले में मांग का १२५ प्रतिशत दिया गया है और दूसरे मामले में मांग का केवल ५ प्रतिशत ही दिया गया है तब शिकायत जायज़ मालूम होती है । माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करें और बतायें कि क्या प्राक्कलन समिति इस मामले में छानबीन करे और तब मैं प्राक्कलन समिति को उस तरह की राय दूंगा । केवल इस तरह की धारणा उत्पन्न करने का कोई अर्थ नहीं कि वितरण व्यवस्था उचित नहीं है ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : आप जो भी निर्णय करें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । किन्तु मैं नहीं समझता कि इस तरह के मामले में प्राक्कलन समिति को तकलीफ देने की जरूरत है । मैंने खुद ही बताया है कि कुछ राज्यों में कम सप्लाई हुई है । मैं इस बात के लिए कार्यवाही करूंगा कि वह सप्लाई पूरी की जाये । तब मैं फिर सभा को बता दूंगा कि उसका यह ढंग है । इस लिए मेरी समझ में यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्राक्कलन समिति को कष्ट दिया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है । आशा है माननीय मंत्री इस अन्तर्सत्रावधि में इस बारे में जांच करेंगे और एक योजना तैयार कर उसे सभा के समक्ष रखेंगे । यदि तब भी माननीय सदस्यों को संतोष न हो तब हम विचार करेंगे कि क्या किया जाये ।

†श्री त्यागी : माननीय मंत्री से पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । पश्चिम बंगाल को उसके कोटे से अधिक क्यों दिया गया ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है ।

†श्री सूपकार : प्राक्कलन समिति ने दो महीने पहले इस विषय की जांच की थी । लोक-लेखा समिति ने भी पिछले साल इस पर विचार किया था । लेकिन इसके बावजूद और यहां हमारे प्रश्न पूछने पर भी स्थिति में सुधार न होकर वह और बिगड़ गयी है ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि यह कहना उचित नहीं होगा कि जो आपत्तियां उठायी गयी हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । उसका यही मतलब है लेकिन वह गलत है । उदाहरण के लिए असम में, जहां सप्लाई कम हुई है, मैं उस सरकार के सम्पर्क में हूं । वहां की विशिष्ट

†मूल अंग्रेजी में

स्थिति की समान्ता करने के उद्देश्य से वहां वस्तुऐं भेजने के वि लिए हमने कुछ कार्यवाही की है । मध्य प्रदेश और उड़ीसा के संबंध में जहां सप्लाई कुछ कम हुई है, इस बात के लिए कार्यवाही की जायेगी कि उन क्षेत्रों को सप्लाई भेजी जाये ।

जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था और जिसका उत्तर देने का प्रयत्न मैंने किया था वह यह था कि कुछ क्षेत्रों, जैसे पश्चिम बंगाल को अधिक सप्लाई क्यों दी गयी? इसमें कोई महत्व नहीं है । कभी-कभी लाने ले जाने की कठिनाई होती है, कभी किसी विशिष्ट राज्य के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं होतीं । यह ऐसी कोई ठोस वस्तु नहीं है जहां टनभार का वास्तव में कुछ अर्थ होता है । उदाहरणार्थ, कलकत्ते में इंजीनियरी के बड़े-बड़े कारखाने हैं उन्हें विशिष्ट प्रकार के इस्पात की जरूरत होती है । असम और उड़ीसा में शायद इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होगी । इसलिये इन आंकड़ों की तुलना करना और यह कहना कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है उचित नहीं होगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । यह प्रश्नकाल में निबटाया नहीं जा सकता । माननीय मंत्री ने कहा है कि मैं इस विषय की छानबीन करूंगा और इस ओर ध्यान दूंगा कि किसी विशिष्ट राज्य के प्रति अन्याय या उसे कठिनाई न हो । अन्तर्सत्रावधिकाल में वह निश्चय ही इस प्रकार योजना बनायेंगे कि किसी भी राज्य को कोई कठिनाई न हो । अगले अधिवेशन में योजना सभा-पटल पर रख दिये जाने के बाद यदि माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हों तो मैं निश्चय ही चर्चा के लिए अनुमति दूंगा ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : यदि मुझे अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा । इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या लाइसेंसधारी उत्तरदायी नहीं हैं?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि कुछ राज्यों को और कुछ बड़े शहरों जैसे कानपुर, कलकता आदि के लाइसेंस होल्डरों को इतना कोटा दिया जाता है कि वह वहां बिक नहीं सकता, और जब वह बिक नहीं सकता तो उनको छूट दे दी जाती है कि वह कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं, और वह फिर ब्लैक मार्केट में जाकर दूसरे राज्यों में बिकता है । क्या यह सही नहीं है और अगर सही है तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं बहुत जोर से यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही नहीं है । क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं क्योंकि यह मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है . . . (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं लुधियाना गया था और वहां के सभी ४,००० लघु निर्माताओं ने मुझे बताया कि उन्होंने दिल्ली में चोर बाजार में लोहा और इस्पात खरीदा । इसी तरह और लोगों को बम्बई और कलकत्ते से मिल रहा है । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह मालूम होता है कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण के कारण ही माननीय सदस्य कुछ अधीर हो गये हैं । यदि ध्यान से देखा जाये तो यही संपूर्ण चित्र नहीं है क्योंकि यह प्रश्न कुछ ही श्रेणियों तक सीमित था । इस विवरण में कुछ सप्लाई १२.९१ टन बतायी गयी है जब कि देश में कुल खपत लगभग २५.२८ लाख टन या लगभग ३० लाख टन है । कुछ विशेष प्रकार का कोटा भी भेजा जाता है और इसलिए इन आंकड़ों से विभिन्न नगरों

---

†मूल अंग्रेजी में

में या विभिन्न उपयोग के लिए इस्पात की खपत का व्यापक चित्र नहीं मिलता । इसलिए इससे सामान्य ढंग के निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य के दिमाग में कोई विचित्र उदाहरण हो तो मैं उससे सहर्ष लाभ उठाऊंगा । यदि मुझे ब्यौरा दिया जाये तो मैं अवश्य ही उस पर छानबीन करूंगा ..... (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही प्रश्न पर जो काफी समय ले चुका है, हम सभी लोगों के उठ खड़े होने से कोई लाभ नहीं है । मैंने सुझाव दिया है और माननीय मंत्री सहमत हैं कि वे एक ऐसी योजना तैयार करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न पैदा हों । वे अगले अधिवेशन में वह योजना सभा-पटल पर रखेंगे । यदि फिर भी माननीय सदस्यों को कोई सुझाव देने हों तो मैं सभा में उस योजना पर चर्चा के लिये अनुमति दूंगा ।

भट्ठी के तेल का निर्यात

†*१००७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत से श्रीलंका, अदन और जापान को भट्टी के तेल का निर्यात १९५८ में ५८.०९ लाख रुपये से घट कर १९५९ में ३२.९७ लाख रुपये का हो गया और अदन तथा जापान में भारत का बाजार पूरी तरह खत्म हो चुका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां । भट्ठी के तेल का निर्यात मुख्यत: इस कारण कम हो गया कि देश में खपत बढ़ गयी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भट्ठी के तेल का निर्यात एक साल में ५० प्रतिशत कम हो गया ? अदन, जापान और श्रीलंका के बाजारों में जहां हम अपना तेल निर्यात करते थे, भारत के साथ कौन मुकाबला कर रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि इन जगहों में कौन हमारा मुकाबला कर रहा है । लेकिन हमारे देश में खपत पिछले ढ़ाई साल से काफ़ी बढ़ गयी है । हम १९६० से पहले भट्ठी के तेल का निर्यात करते थे लेकिन उसके बाद हमने मुख्यत: दो कारणों से निर्यात बंद कर दिया । एक तो यह कि देश में औद्योगिक काम काज बढ़ जाने के कारण स्थानीय खपत होने लगी और दूसरा यह कि एक शोधक कारखाने ने भट्ठी के तेल का उत्पादन कम कर दिया है और अपनी मशीनें अशफाल्ट आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन में लगा दी हैं । इसलिए भट्ठी का तेल अब निर्यात योग्य वस्तु नहीं रह गयी । मुझे आशंका है कि भविष्य में कुछ समय के लिए हमें अपने औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भट्ठी के तेल का आयात करना होगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या भट्ठी के तेल के उत्पादन में कमी या देश में अधिक खपत ही मुख्य कारण है जिससे भट्ठी के तेल का निर्यात कम हो गया ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । निर्यात बंद करने के मुख्य कारण यही हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या हमने अपने भट्ठी के तेल के लिए नये बाजार ढूंढ़ लिये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे लिये निर्यात का बाजार तो है लेकिन बात यह है कि, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमारे पास निर्यात करने के लिए तेल ही नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : देश में भट्ठी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†श्री के० दे० मालवीय : ज्यों ही सरकारी क्षेत्र में हमारे दो तेल शोधक कारखाने चालू हो जायेंगे, हमारे पास भट्ठी का तेल अधिक हो जायगा । लेकिन शीघ्र औद्योगीकरण के कारण हमारे देश में जिस तीव्र गति से भट्ठी के तेल की खपत बढ़ रही है उसके कारण कुछ सालों तक हमें भट्ठी के तेल का आयात करना पड़ेगा जब तक कि हमारे यहां और अधिक तेल शोधक कारखाने न खुल जायें और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत ऐसे स्तर तक न पहुंच जायें जहां भट्ठी के तेल का उत्पादन किफायतमंद हो ।

गृह-कार्य मंत्री द्वारा असम का दौरा

†*१००८. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर में उन्होंने असम का जो दौरा किया था उसका क्या प्रयोजन था ;

(ख) क्या उन्हें असम सरकार ने बुलाया था और यदि हां, तो किस लिए ;

(ग) क्या उन्होंने राजभाषा की समस्या हल करने का कोई प्रयत्न किया था और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उन्होंने कौन सा सूत्र निकाला था ; और

(घ) क्या असम सरकार ने उनका सूत्र स्वीकार किया था ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) असम का दौरा आवश्यक वातावरण बनाने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री की ओर से निमंत्रण पर किया गया था जिससे राज्य की राजभाषा के प्रश्न के बारे में कठिनाइयां दूर की जा सकें ।

(ग) राज्य मंत्रियों और सम्बन्धित अन्य हितों के साथ चर्चा में निम्नलिखित सूत्र निकाला गया :—

(१) असमी और हिन्दी को राज्य की दो राजभाषाओं के तौर पर मान लिया जाये (अंग्रेजी तब तक जारी रहेगी जब तक कि हिन्दी उसके स्थान पर न आ जाये)।

(२) असम सचिवालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का (बाद में हिन्दी का) प्रयोग किया जाये ।

(३) जिलों में राजकीय प्रयोजनों के लिए काम में लायी जाने वाली भाषा असम घाटी के जिलों में असमी, कछार जिले में बंगाली और प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले में प्रत्येक जिला परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली भाषा हो सकती है ।

(घ) राज्य विधान सभा में पेश किया गया विधेयक मोटे तौर पर इसी सूत्र के आधार पर था ।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या असम विधान सभा में पेश किया गया विधेयक असमी को ही असम की एकमात्र राजकीय भाषा बनाता है ? असम विधान सभा में जो विधेयक पेश किया गया और पास किया गया उसके साथ माननीय गृह-मंत्री के सूत्र का मेल किस तरह बैठता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गो० ब० पन्त : विधेयक नहीं । मैं समझता हूं कि यह कहना ग़लत है । विधेयक में संशोधन किया गया था और माननीय सदस्य ने जो बताया है वह अधिनियम का रूप है । विधेयक वही था जो मैंने यहां बताया है ।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : विधेयक में संशोधन किया गया । सरकार के कहने पर ही उसमें संशोधन किया गया । एक दिन में, २४ घंटे में, उसने तीन बार संशोधन किये । पहले तो उसने मुख्य मंत्री द्वारा रखा गया संशोधन स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, बाद में उसे स्वीकार कर लिया और आगे चल कर फिर अस्वीकार कर दिया । ये भिन्न-भिन्न बातें २४ घंटे के दौरान में हुईं । इस-लिए, माननीय गृह-मंत्री यह किस तरह कहते हैं कि उन्होंने जिस सूत्र का सुझाव दिया था उसे स्वीकार न करने के लिए असम सरकार उत्तरदायी नहीं थी ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही । मैंने केवल यह कहा कि विधेयक उसी रूप में था जिस रूप में मैंने बताया था ।

†श्री अ० चं० गुह : क्या आवश्यक संशोधन करने के बाद पारित किये गये अधिनियम में उन बातों का अनुसरण किया गया है जिनका गृह-मंत्री ने सुझाव दिया था; यदि नहीं तो क्या भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी और प्रारम्भ में गृह मंत्री के सुझावों के आधार पर अधिनियम में संशोधन करने के लिए उस सरकार को राजी करेगी ।

†श्री गो०ब० पन्त : संशोधित विधेयक मेरे सुझावों से सहमत नहीं है और जहां तक हो सके समझौता कराने के मेरे प्रयत्न जारी हैं ।

†श्री अ० चं० गुह : गृह-मंत्री या सरकार की राय में संभवत: कब असम सरकार इस सम्बन्ध में गृह-मंत्री के आदेशों या हिदायतों को कार्यान्वित करेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : कोई आदेश या हिदायत .....

†श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि .....

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

चीनी साहित्य की जब्ती

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में सीमा शुल्क विभाग ने कई व्यक्तियों को चीनी साहित्य के कारण 'कारण दिखाओ' नोटिसें जारी की हैं और अनेक पत्रिकाएं और साहित्य जब्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) निम्नलिखित प्रकाशन, जिनके आयात पर समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १९ के अधीन सरकार ने रोक लगा दी थी, डाक द्वारा कलकत्ते में प्राप्त हुए थे :—

(१) चाइना रिकन्स्ट्रक्ट्स्—मार्च, १९६०

(२) १५ सितम्बर, १९५९ का पेकिंग रिव्य नम्बर ३७

(३) चीन-भारत सीमा प्रश्न सम्बन्धी प्रलेख—अंग्रेजी में

(४) चीन-भारत सीमा प्रश्न सम्बन्धी प्रलेख—हिन्दी भाषा में

जिन लोगों के पते पर ये प्रकाशन भेजे गये थे उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा १६७(८) के अधीन कार्यवाही करने के लिए 'कारण दिखाओ' नोटिसें जारी की गयी थीं ।

जारी की गयीं 'कारण दिखाओ' नोटिसों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जारी की गयी 'कारण दिखाओ' नोटिसों की कुल संख्या	४००
निर्णीत मामलों की कुल संख्या (प्रत्येक मामले में निषिद्ध प्रकाशन जब्त कर लिया गया)	२३२
कारण दिखाओ नोटिसें जो वापिस ले ली गयीं	२४
१५-१२-१९६० तक के ऐसे मामले जिनका निर्णय अभी होना है	१४४

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इन प्रकाशनों को जब्त करने से पहले क्या कोई अभिकरण ऐसा है जो उनका परीक्षण करता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : समुद्र सीमा शुल्क अधिकारी उनका परीक्षण करते हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : जिन लोगों के विरुद्ध कारण दिखाओ नोटिसें जारी की गयी थीं क्या उनमें कुछ फर्में भी हैं, किताबें बेचने वाले कई फर्म और असोसियेशन हैं ; यदि हां, तो उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि निषिद्ध साहित्य बेचा न जा सके या विभिन्न व्यक्तियों को निःशुल्क न दिया जा सके ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : निषिद्ध प्रकाशन जब्त कर लिये गये हैं । इसलिये उनकी बिक्री नहीं हो सकती ।

†**श्री अ० चं० गुह** : यदि किताबें बेचने वाले कोई फर्मों या असोसियेशनों के नाम उन लोगों की सूची में शामिल किये गये हों जिनके विरुद्ध कारण दिखाओ नोटिसें जारी की गयी हों, तो उनके विरुद्ध और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे पास सभी ४०० लोगों की सूची नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया कि २४ लोगों के विरुद्ध जारी की गयी कारण दिखाओ नोटिसें वापिस ले ली गयी हैं । किस आधार पर ये नोटिसें वापिस ले ली गयी हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : ये नोटिसें उन लोगों पर जारी की गयी थीं जिनके पास कोई आपत्ति-जनक साहित्य नहीं था । उन लोगों के मामलों में यह मालूम हुआ कि वे प्रकाशन निषिद्ध नहीं थे, आपत्तिजनक नहीं थे । कुछ मामलों में उन लोगों का यह भी मालूम नहीं था कि उन्हें इस प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

के प्रकाशन प्राप्त हुए हैं। उन लोगों ने स्वतः ये प्रकाशन प्राप्त नहीं किये थे और इसलिए उनके मामलों में भी नोटिसें वापिस ले ली गयीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. { श्री ब्रजराज सिंह : / श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यह निश्चय किया गया था कि १९६२ के पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को इस निश्चय को क्रियान्वित न करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन परिस्थितियों-वश ऐसा निदेश दिया है ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस प्रकार के निदेश के आशय क्या हो सकते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय की इस प्रस्थापना पर विचार किया है कि शिक्षा का माध्यम १९६२ के पश्चात् धीरे धीरे अंग्रेजी से हिन्दी कर दिया जाये, कोई निदेश तो जारी नहीं किया किन्तु विश्वविद्यालय को केवल यह कहा है कि इस मामले में और आगे कदम बढ़ाने से पहले यह वांछनीय होगा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कालेजों के प्रिंसिपलों के बीच इस समस्या के बारे में पूरी तरह से और खुले दिल से विचार विमर्श कर लिया जाये। अनुमान है कि प्रस्तावित चर्चा १९६१ के प्रारम्भ में की जायेगी।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि मैंने इस बारे में विश्वविद्यालय के उपकुलपति से टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने मुझे यह सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनका विचार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलने का है। वह जल्दी ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में चर्चा करने वाले हैं तथा उनके कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं हुई।

श्री ब्रज राज सिंह : श्री वी० के० आर० वी० राव जबकि इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे तो उनकी अध्यक्षता में यह निश्चय लिया गया था कि १९६२ से शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा। इस बात को देखते हुए कि श्री राव अब उस यूनिवर्सिटी के उपकुलपति नहीं हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं जिन के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस तरह का सुझाव देना पड़ा कि इस विषय पर बहस हो और बहस हो कर फिर इस विषय में कोई निश्चय लिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : बहस खाली उसकी स्टेजिज़ के बारे में है और उस मामले में है कि क्या सहायता यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन इस बारे में दे सकता है । गवर्नमेंट ने यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन को यह लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्स्टी जो कुछ भी कार्रवाई कर रही है वह गवर्नमेंट की नीति के अनुसार है और उसको पूरी सहायता इस मामले में दी जानी चाहिये । अभी जो मुझे दिल्ली यूनिवर्स्टी के वाइस-चांसलर ने कहा वह यह कहा कि चूंकि और यूनिवर्स्टीज़ में भी यह प्रश्न है, और यह समस्या है और चूंकि दिल्ली यूनिवर्स्टी का इस विषय में विशेष अनुभव है, विशेष तजुर्बा है और उसका फायदा उठाना चाहते हैं इसलिए वह, यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन उन से इस मामले में विचार विमर्श करना चाहते हैं । मैं आपको इत्मीनान कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रोग्राम में तबदीली नहीं हुई है, कोई भी पालिसी में चेंज नहीं आया है ।

श्री ब्रज राज सिंह : माननीय मंत्री जी की इस घोषणा के बाद कि सरकार की घोषित नीति के अनुसार ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निश्चय किया कि १९६२ से शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो, मैं जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस निश्चय के बावजूद इस विषय पर बातचीत करने की आवश्यकता क्यों समझी और दूसरी बात यह कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब यह निश्चय लिया है तो इसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से उसकी अब तक क्या सहायता हुई है जिससे कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो सके और आगे उसे क्या सहायता देने का विचार है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन के सामने यह तस्वीर इसलिए आती है कि इसका सम्बन्ध स्टैंडर्ड से है, इसलिए वह भी अपने आपको सन्तुष्ट करना चाहता है कि जो भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उससे स्टैंडर्ड्स पर किसी तरह कोई असर नहीं होगा । इसलिए उनसे विचार-विमर्श करना जरूरी हुई ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या दिल्ली विश्वविद्यालय एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है जिसका प्रशासन केन्द्र द्वारा होता है, अथवा यह एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय है ? यदि यह एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है, तो सरकार की भाषा नीति के अनुसार इसकी भाषा नीति क्या होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जैसा कि सभी को विदित है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वयं यह फसला किया है, और यदि यह हिन्दी को विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम के रूप में अपनाना चाहे, तो इसे इस मामले में फसला करने की स्वतंत्रता है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को सरकार की अखिल भारतीय नीति, अर्थात् देश में एक समान भाषा होनी चाहिए, के निर्देश के विरुद्ध हिन्दी को शिक्षा का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार का दृष्टिकोण संसद के अधिनियम द्वारा अनुशासित होता है । संसद् का अधिनियम विश्वविद्यालय को अपना पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है । यह निश्चय करना विश्वविद्यालय का काम है कि शिक्षा का माध्यम कौनसी भाषा होनी चाहिए । यदि विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम चुनता है तो यह सरकार की नीति के बिल्कुल उल्ट नहीं होगा । वास्तविकता यह है कि डा० राधाकृष्णन् के सभापतित्व में १९५० में नियुक्त किये गये शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिएं और यदि दिल्ली विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बना लेता है तो यह सरकार की नीति के विपरीत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री थानू पिल्ले : राजकीय भाषा आयोग और संसद् की समिति ने यह फैसला किया है कि अंग्रेज़ी को उतनी देर तक जारी रखा जाये जितनी देर तक यह आवश्यक हो, किन्तु यदि एक केन्द्रीय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय में यह परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो इस विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों को इतनी स्वायत्तता प्राप्त है कि वह अंग्रेजी के स्थान पर एक ऐसी भाषा रख सकते हैं जिसे इस देश में कोई नहीं जानता ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं । यह उनकी राय हो सकती है । मेरी राय यह है कि विश्वविद्यालय को इस बारे में पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है, और जब विश्वविद्यालय ने हिन्दी को अपनाने का निश्चय किया है तो सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

†श्री थानू पिल्ले : क्या किसी विश्वविद्यालय को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह किसी कुत्सित नीति के कारण किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगा दे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इन सब बातों का प्रशासन कुछ नियमों तथा विनियमों द्वारा होता है जो संसद् द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये हैं । संसद ने इस अधिनियम में यह फैसला नहीं किया कि सरकार को विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन-कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए । पाठ्यक्रम को तय करने के मामले में सरकार ने विश्वविद्यालय को कुछ स्वतंत्रता दे रखी है तथा विश्वविद्यालय को शिक्षा का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।

†श्री खाडिलकर : क्या यह सच है कि जब यह निश्चय किया गया था तो सीनेट में भी इस बारे में मतभेद था और उपकुलपति ने सीनेट के मत की उपेक्षा करके हिन्दी के बारे में निश्चय किया था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे ब्योरे का तो पता नहीं । सम्भवत: यह फैसला बहुमत द्वारा किया गया था । मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है । किन्तु जहां तक मैं जानता हूं, यह फैसला विश्वविद्यालय की विद्या-सभा (अकैडमिक बॉडी) द्वारा किया गया था ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात की वांछनीयता का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिएं, किन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जहां पर देश के विभिन्न भागों से विभिन्न कारणों से विद्यार्थी आते हैं, अत: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात की वांछनीयता पर विचार करेगी कि अभी इस बारे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और यह परिवर्तन पहले अन्य विश्वविद्यालयों में होना चाहिए जहां प्रादेशिक भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : समाचार पत्रों में यह घोषित किया गया था कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी से हिन्दी में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रमों वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है और वह कार्यक्रम समाचारपत्रों में प्रकाशित भी हुआ था । क्या मैं जान सकता हूं कि अब ऐसी क्या बात हुई है कि उस कार्यक्रम का परित्याग कर दिया गया है और विश्वविद्यालय पुन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विचार विमर्श करने जा रहा है? क्या जो कुछ पहले किया गया था, वह बिना

†मूल अंग्रेजी में

किसी के सलाह मशवरे के तथा बिना किसी वैज्ञानिक और भाषा-सम्बन्धी तैयारी के किया गया था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य की यह धारणा गलत है कि विश्वविद्यालय ने अपना कार्यक्रम छोड़ दिया है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि विश्वविद्यालय ने अपने कार्यक्रम का परित्याग नहीं किया है और इसका विचार कार्यक्रम के अनुसार चलने का और इसे जारी रखने का है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ब्रज राज सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति, श्री सी० डी० देशमुख, जनवरी, १९६१ में सेवा-निवृत्त हो रहे हैं;

(ख) क्या नियमों के अनुसार उनकी कार्यावधि में जनवरी, १९६१ से आगे और वृद्धि नहीं की जा सकती;

(ग) क्या भारत के अटारनी जनरल की राय ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार तत्सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, १९५६ में यह निर्धारित किया गया है कि सभापति ६५ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त हो जायेगा, बशर्ते कि इसके विपरीत कोई मसझौता न किया गया हो । श्री देशमुख के मामले में ऐसा कोई करार नहीं है, अतः उन्हें १४ जनवरी, १९६१ को, जब वह पूरे ६५ वर्ष के हो जायेंगे, तो सेवानिवृत्त होना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). भारत के अटारनी जनरल की राये निम्नलिखित बातों पर ली गई थी :—

(एक) क्या सम्बन्धित नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के प्रतिकूल है; और

(दो) क्या श्री देशमुख सभापति के पद से सेवा निवृत्त होने के पश्चात्, अपनी नियक्ति की तिथि से लेकर छः वर्षों तक की शेष अवधि में सदस्य रह सकते हैं ।

अटारनी जनरल ने सलाह दी है कि उपरोक्त नियम अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है और दूसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) सरकार का विचार आयु-सीमा सम्बन्धी नियम में परिवर्तन करने का नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मरहूम मौलाना आजाद की यह इच्छा थी कि श्री देशमुख ६५ वर्ष की आयु के पश्चात् अर्थात् जनवरी, १९६१ के पश्चात् भी कार्य करते रहें ; और यदि हां, तो क्या सरकार का उन की प्रार्थना स्वीकार करने का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : श्री देशमुख ने मुझे उस पत्र की एक प्रति भेजी है, जो उन्हें एक मंत्री से मिला है और जिस में यह लिखा गया है कि मौलाना आजाद की यह इच्छा थी कि श्री देशमुख को अपनी पदावधि की समाप्ति तक कार्य करना चाहिये और वे तब तक इस पद पर आसीन रह सकते हैं, जब तक वे चाहें।

†श्री त्यागी : किस मंत्री ने उन्हें यह पत्र लिखा है ?

†श्री ब्रजराज सिंह : जिस मंत्री ने उन्हें ऐसा पत्र लिखा है, उन का नाम क्या है, और इस पत्र में क्या लिखा है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन मंत्री महोदय का मौलाना आजाद से कुछ सम्बन्ध था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जो पत्र श्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह श्री हुमायून् कबिर द्वारा लिखा गया था और कहा जाता है कि उस समय हुमायून् कबिर ही बातचीत चला रहे थे, और मौलाना आजाद और श्री देशमुख के बीच मध्यवर्ती का काम कर रहे थे, अतः इसी आधार पर श्री देशमुख को यह पत्र मिला है।

†श्री त्यागी : क्या श्री हुमायून् कबिर ने यह पत्र शिक्षा मंत्रालय के सचिव की हैसियत से लिखा था अथवा अब मंत्री बनने के पश्चात् लिखा है ? यदि उन्हों ने मंत्री होने के पश्चात् लिखा है तो क्या श्री देशमुख को पत्र लिखने से पहले उन्हों ने शिक्षा मंत्री से परामर्श किया था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : श्री हुमायून् कबिर ने मुझ से परामर्श नहीं किया था और वह उस समय शिक्षा मंत्रालय के सचिव भी नहीं थे।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्री देशमुख ने १ रु० मासिक वेतन पर काम करना स्वीकार किया था और, यदि हां ; तो इस समय उन्हें क्या वेतन मिल रहा है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में यदि आप मुझे वह पत्र-व्यवहार पढ़ने की अनुमति दें, जो .....

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल है। क्या उन्हों ने १ रु० मासिक वेतन पर कार्य करना स्वीकार किया था, वह इस समय क्या ले रहे हैं और उन्हें उन का वर्तमान वेतन कब से मिल रहा ह ?

†अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†श्री रघुनाथ सिंह : श्रीमान्, यह उत्पन्न होता है। श्री देशमुख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : क्या इस बात की कोई शर्त थी कि आयोग का सभापति बनने के लिये उन्हें १ रु० मासिक वेतन पर कार्य करना स्वीकार करना पड़ेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें सभापति के रूप में जारी रखा गया तो क्या उन्हें १ रु० मासिक वेतन दिया जायेगा। मेरा ख्याल है कि उन का प्रश्न यही है।

†डा० का० ला० श्रीमाली : सभापति को इस समय ३००० रु० मासिक वेतन मिल रहा है।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ३००० रु० मासिक वेतन कब से ले रहे हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : शुरू शुरू में श्री देशमुख ने इच्छा प्रकट की थी कि वह सांकेतिक रूप में १ रु० मासिक वेतन लेंगे अतः तदनुसार आदेश जारी किये गये थे। किन्तु ये आदेश ५-११-१९५६ से २८-२-१९५७ तक के लिये थे। १६-४-१९५७ को पुनः आदेश जारी कर के श्री देशमुख को १९५७-५८ में १ रु० मासिक वेतन लेने का अधिकार दिया गया। ३-४-१९५८ को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने मंत्रालय को सूचना दी कि श्री देशमुख १-३-१९५८ से २८-२-१९५९ तक १ रु० मासिक सांकेतिक वेतन लेना जारी रखना चाहते हैं। इस के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहायक सचिव, श्री आयंगर, ने मंत्रालय को लिखा कि सभापति ने यह विचार प्रकट किया है कि वह १-३-१९५९ से अपना पूरा वेतन प्राप्त करना चाहते हैं। तदनुसार आदेश जारी कर के श्री देशमुख का वेतन १-३-१९५९ से ३००० रु० मासिक निर्धारित किया गया, जिस में उन की पैंशन अथवा पैंशन सम्बन्धी लाभ भी शामिल हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब मैं खड़ा हूं तो किसी माननीय सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये। वेतन का प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मेरा विचार था कि शायद इस बारे में कोई शक है कि उन्हें जारी रखा जाये अथवा नहीं, माननीय सदस्य यह कहना चाहते थे कि उन्हें कुछ शर्तों के साथ बिना वेतन के, अथवा उस वेतन पर, जिस को उनको मूलतः स्वीकार किया था अथवा जो बाद में निर्धारित किया गया था, उन्हें जारी रखा जाये। इसीलिये मैं ने प्रश्न की अनुमति दी थी। इस सम्बन्ध में मैं अन्य प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

†श्री कालिका सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब श्री देशमुख की नियुक्ति की गई थी तो सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी नियम का अस्तित्व नहीं था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं इस सम्बन्ध में भी स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। स्थिति यह है कि श्री देशमुख को अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। जब अधिनियम लागू हुआ तो कुछ अधिनियम बनाये गये। अधिनियम के लागू होने पर उन्हें पुनः नियुक्त किया गया। इस के साथ ही साथ नियम भी बनाये गये। अधिनियम और नियम इकट्ठे ही लागू हुए थे।

†श्री त्यागी : मेरा प्रश्न विवादास्पद नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय और श्री देशमुख के बीच हुए पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आप के हाथ में हूं । यदि आप पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखवाना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस में गुप्त होने की कोई बात नहीं । वह इस पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रख सकते हैं । इस में कोई हानि नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयला धोने के कारखाने

†*१००४. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ११ फरवरी १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डुगडा, पाथेरडीह और भोजूडीह में कोयला धोने के नये प्रस्तावित कारखाने खोलने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कोयला धोने के नये कारखाने खोलने की कोई योजना तैयार की गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । (देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१)

(ख) जी, हां ।

सेना पदाधिकारियों की अंशदायी शिक्षा निधि

†*१००९. श्री कालिका सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा बलों के किस श्रेणी के कर्मचारी पदाधिकारियों की अंशदायी शिक्षा निधि से लाभ उठायेंगे ;

(ख) कितने पदाधिकारी इस समय इस योजना में अंशदान कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह योजना उन प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर भी लागू की जायगी जिन्हें कम वेतन मिलता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) नियमित सेना के सभी स्थायी नियमित कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों को 'सैनिक अधिकारी अंशदायी शिक्षा निधि' से लाभ पाने का अधिकार है ।

(ख) नियमित सेना के सभी स्थायी नियमित कमीशन-प्राप्त पदाधिकारी इस निधि में अंशदान करते हैं । ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या बताना जन-हित में नहीं है ।

(ग) और (घ). सैनिक अधिकारी अंशदायी शिक्षा निधि योजना केवल पदाधिकारियों के लिये है । अन्य कर्मचारियों के लिये एक ऐसी ही योजना पर सेनाओं के मुख्य कार्यालय में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्वीय खुदाई

†*१०१०. श्री मे० क० कुमारन :
श्री अगाडी :
श्री सुगन्धि :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि भारत की प्राचीन संस्कृतियों का पूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिये बीकानेर, दक्षिण और पूर्व भारत में विस्तृत खुदाई की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) व्यय की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि खुदाई के लिये अन्ततोगत्वा कौन से स्थान चुने जाते हैं ।

उपहार के तौर पर दी गई मोटरगाड़ियां

†*१०११. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में उपहार के तौर पर जो बहुत सी मोटर कारें दी थीं, कुछ बंदरगाहों में उनकी डिलीवरी नहीं की जा रही है ; और

(ख) वर्ष १९६९ में अब तक ऐसी कितनी कारें बिना डिलीवरी पड़ी हुई हैं और किन किन बंदरगाहों में ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). हमारे पास तो केवल इस बात की जानकारी है कि केवल एक कार को, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह एक अन्य देश में उपहार के रूप में दी गयी थी, सीमा-शुल्क विभाग द्वारा रोका गया है । इस कार को आयात लाइसेंस के आधार पर नहीं लाया गया था, इसलिए मद्रास सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस बारे में न्याय-निर्णय होने तक इस कार को रोके रखा गया है ।

विशेष इस्पात का आयात

†*१०१२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक विशेष इस्पात के आयात पर देश को कुल कितना खर्च करना पड़ा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद् और प्रतिरक्षा विभाग के परामर्श से विशेष इस्पात के संबंध में देश की कुल आवश्यकता का अनुमान लगा लिया है ; और

(ग) भारत में तैयार किये गये इस्पात से यह मांग पूरी करने के लिए उसकी क्या ठोस प्रस्थापनाएं हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९५९–६० और अप्रैल से अगस्त, १९६० तक क्रमशः ४.९४७ करोड़ रु० और ४.५५९ करोड़ रु० के औजार, मिश्रधातु और विशेष इस्पात का आयात किया गया ।

(ख) और (ग). सरकार ने विभिन्न सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करके यह अनुमान लगाया है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक प्रतिवर्ष लगभग २००,००० टन विशेष इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी । यह निश्चय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में औजार तथा मिश्रधातु इस्पात का एक संयंत्र स्थापित किया जाये, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग ८०,००० टन हो और जिसका बाद में विस्तार किया जा सके । अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

†*२०१३. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अनुसंधान-छात्रों को १९०१–१९ के राजनैतिक अभिलेखों को देखने की मनाही कर दी है ;

(ख) क्या इस प्रकार के निर्बन्धन से चालीस या अधिक वर्ष पुराने अभिलेखों को बिना रोक टोक देखने की अनुमति देने वाले नियम का उल्लंघन नहीं होता ; और

(ग) क्या यह असंगति तुरन्त दूर की जायगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : राजनैतिक रिकार्डों को गुप्त समझा जाता है और उनको प्रकट करना हमेशा वांछनीय अथवा जनहित के अनुकूल नहीं होता । यदि उन्हें देखने की निर्बाध अनुमति दे दी जाये तो वे गुप्त नहीं रह पायेंगे । किन्तु असन्दिग्ध अनुसन्धानकर्ताओं को इनकी अनुक्रमणिकाओं को देखने की पूरी छूट है और उनके द्वारा चुने गये रिकार्डों को देखने की अनुमति तभी दी जाती है यदि वह एजेंसी, जिनके द्वारा उन रिकार्डों की रचना हुई है, इससे सहमत हो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयले की कमी

†*२०१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल-डिब्बे न मिलने के कारण पंजाब में कोयले की बहुत कमी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कभी कभी ऐसा हुआ है कि ईंटें पकाने वाले उद्योग और घरेलू कार्यों के लिए लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करने वाले निम्न-प्राथमिकता-उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई में कमी पड़ गयी हो।

(ख) तात्कालिक स्थिति का सामना करने के लिए कोयले के यातायात का प्रबन्ध प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। यह विचार किया जा रहा है कि भविष्य के लिए कुछ उपयुक्त स्थानों पर कोयले का भंडार किया जाये ताकि वहां से भारी क्षमता वाले बाक्स वैगनों वाली 'ब्लाक' गाड़ियों द्वारा कोयले का यातायात किया जा सके।

गुजरात में तेल शोधक कारखाना

†*१०१५. श्री याज्ञिक : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान चुनने के लिये एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट कब प्राप्त होगी और इस विषय में कब निर्णय किया जायगा?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). पदाधिकारियों का एक दल उन स्थानों की, जहां पर गुजरात में तेल साफ करने वाला कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना हो सकती है, प्रारम्भिक जानकारी इकट्ठी कर रहा है। अनुमान है कि दिसम्बर, १९६० तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

पलाई बैंक के निदेशक

†*१०१६. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पलाई सैन्ट्रल बैंक के जिन निदेशकों को बैंक के कामकाज के कुप्रबन्ध के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितने खातेदारों को भुगतान किया जा चुका है; और

(घ) कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (घ). केरल उच्च-न्यायालय ने ५ दिसम्बर, १९६० को बैंक का विघटन करने का आदेश अन्तिम रूप से दिया है और ८ दिसम्बर, १९६० को एक सरकारी समापक की नियुक्ति की है। इसलिए समापक द्वारा किसी निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही, यदि कोई हो तो, इतनी जल्दी नहीं की जा सकती थी।

कारतूस और अन्य गोला बारूद का मूल्य

†*१०१७. श्री मोहन स्वरूप : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारतूस और अन्य गोला बारूद का दाम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में आयुध कारखाने में तैयार की गयी कारतूसें काले बाजार में बेची जाती हैं और उनकी कीमत ७५ रुपये प्रति सैंकड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने और उसकी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री](श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). आयुध फैक्टरियों में तैयार किये गये कारतूसों और दूसरे गोला बारूद के मूल्य में कमी हो रही है। १२ बोर कारतूस का इस समय थोक मूल्य ६५ रुपये प्रति सौ फैक्टरी से निकलने का है, और परचून में ७५ रुपये सैंकड़ा। १ जनवरी १९६१ से फैक्टरी से निकलने का मूल्य गिर कर ४३ रुपये सैंकड़ा और १ अप्रैल १९६१ से ३५ रुपये सैंकड़ा होने की आशा है। .३१५ गोला बारूद का फैक्टरी से निकलने का मूल्य पहले ही १ नवम्बर से १९६० से प्रति सैंकड़ा ७५ रुपये से कम करके ४५ रुपये कर दिया गया है।

कारतूस चौर बाजारी में बिकते हैं इसकी कोई निश्चित शिकायत नहीं आई।

(ग) सरकार आयुध फैक्टरियों का उत्पादन बढ़ाने का विचार करती है ताकि कमी दूर हो और मूल्य कम किये जाएं।

मिट्टी के तेल का वितरण

†*१०१८. श्री केशव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी ने मिट्टी का तेल देने के लिये ११ नवम्बर, १९६० को पंजाब आयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी लि० के साथ कोई ठेका किया था ;

(ख) क्या उसने ठेका पूरा नहीं किया ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इसी तरह का एक ठेका वेस्टर्न इंडिया आयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी के साथ भी हुआ है ; और

(ङ) क्या यह ठेका पूरा किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) इंडियन आयल कम्पनी सीमित ने ११-११-६० को मिट्टी के तेल के संभरण के लिये पंजाब तेल वितरण कम्पनी के साथ कोई संविदा नहीं किया। तथापि, बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत द्वारा दी गई अल्प कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत पंजाब तेल वितरक कम्पनी को वितरण के लिये कुल मात्रा में मिट्टी का तेल दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*१०१९. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कुल कितनी रकम खर्च की है ;

(ख) क्या वह रकम आरम्भ में नियत की गई रकम से अधिक हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना में नियत की गई रकम से अधिक खर्च हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने ३१ मार्च १९६० तक १७.११ करोड़ रुपये खर्च किये हैं । शेष चालू योजना अवधि में २२.१२ करोड़ रुपये और खर्च किये जाने की आशा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली और बम्बई में कोलाहल का सर्वेक्षण

†*१०२०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला ने अभी हाल में दिल्ली और बम्बई में कोलाहल का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) परिणामों से पता चलता है कि इन नगरों की अधिकांश व्यस्त बस्तियों में दिन के समय गलियों में कोलाहल अत्यधिक होता है । कुछ बस्तियों में रात्रि के समय भी कोलाहल जरूरत से अधिक होता है ।

(ग) क्योंकि यातायात से उत्पन्न होने वाले कोलाहल के विरुद्ध उपचारिक या निरोधक उपाय करना और उन्हें लागू करना नगरपालिका अधिकारियों का काम है प्रयोग शाला द्वारा दिल्ली और बम्बई में यातायात कोलाहल सम्बन्धी प्रकाशित किये गये पत्र के नय संस्करण की एक प्रति सम्बन्द्ध नगरपालिका अधिकारियों को भेज दी गई है ।

सुपरसोनिक विमान

†*१०२१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी बंगलौर में जो सुपरसोनिक (ध्वनि की रफ्तार से भी अधिक तेज़ चलने वाला) हवाई जहाज का पहला नमूना बनाया जा रहा है वह कब तक तैयार हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री सुरजीत सिंह मजीठिया)**: १९६१ के शुरू में तैयार होने की आशा है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

†*१०२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने के लिये व्हिटले परिषद् स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं तो उस के विकल्प में क्या सुझाव दिये जाने की संभावना है ?

†**वित उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा २२(३) के अन्तगत प्रत्येक ज़ोन में कर्मचारी तथा अभिकर्ता सम्बद्ध समितियां नियुक्त की हैं जिन में निगम कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रतिनिधि होते हैं, और व कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के कल्याण से संबंधित मामलों पर ज़ोनल मैनेजरों को सलाह देते हैं ।

'एटामिक टाइम—क्लाक'

†*१०२३. {**श्री हो० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वशास्त्र, भूतत्व शास्त्र, भूभौतिकी और विज्ञान की अन्य शाखाओं में काल निर्धारित करने के लिय कार्बन १४ का उपयोग करने के सम्बन्ध में नोबल पुरस्कार विजेता डा० विलर्ड एफ० लिवि के तरीके का, जो "एटामिक टाइम—क्लाक" के नाम से प्रसिद्ध है भारत में कोई उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्हों ने कुमारहार के मौर्य स्थान में खोदी गई एक वस्तु तथा नरतत्वीय विभाग द्वारा एकत्रित किये गये रूपकुंड के अवशेषों के काल का अनुमान लगाने में सहायता की है ।

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का जनता द्वारा उपयोग

†*१०२४. **श्री रामकृष्ण ुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्वविद्यालयों को यह सुझाव दिया है कि पुस्तकालय की सुविधायें वे जनता के लिये भी खुली रखें ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]

चीन और भारत के बीच छात्रों का आदान-प्रदान

†*१०२५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या भारत सरकार ने चीन के साथ छात्रों का आदान-प्रदान करना मंजूर कर लिया है और क्या छः भारतीय शीघ्र ही चीन जा रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) : जी, हां ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों के भूतपूर्व सैनिक पेन्शनर

†*१०२६. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की सिफारिशें प्रतिरक्षा संस्थापनों में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिक पेन्शनरों पर लागू नहीं होतीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) वेतन आयोग ने सेवा निवृत्त व्यक्तियों के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं, जिन्हें असैनिक पदों पर पुनः लगाया गया है जिस श्रेणी में वे भूतपूर्व सेवानिवृत्त सैनिक सम्मिलित नहीं हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में पुनः काम पर लगाये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†२०४८. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९६०-६१ में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९६०-६१ में केन्द्रीय सहायता के लिये अब तक निम्नलिखित सीमा निर्धारित की गई है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ग	निर्धारित की गई अधिकतम सीमा		
	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
१. अनुसूचित जातियां . .	*७.२१	११.८४	१९.०५
२. अनुसूचित आदिम जातियां	*२४.८५	२३७.१५	२६२.००
कुल .	३२.०६	२४८.९९	२८१.०५

*स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत का यह ५० प्रतिशत है ।

अनुदान के भुगतान के लिये मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में पहली तीन तिमाहियों में वास्तविक व्यय के आधार पर तथा अन्तिम तिमाही में अनुमानित व्यय के आधार पर दी जायेगी ।

खनन पट्टे

†२०४९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूची ४ के खनिजों अर्थात् लोहा, मैंगनीज और क्रोम के लिये उड़ीसा में गत वर्ष कितने खनन पट्टे दिये गये थे ; और

(ख) क्या पिछले एक वर्ष से नये रियायत धारियों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) ३० नवम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में (अर्थात् १-१२-१९५९ से ३०-११-१९६० तक) लोहा, मैंगनीज तथा क्रोम के लिये उड़ीसा में २५ खनन पट्टे दिये गये ।

(ख) निम्नलिखित पार्टियों को खनन पट्टे दिये गये थे :—

१. मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील को०
२. मेसर्स करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स
३. मेसर्स बी० पटनायक माइन्स (प्राइवेट) लि०
४. मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड को०
५. श्री एस० लाल
६. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०
७. श्री डी० एच० पटेल
८. मेसर्स एम० एस० दास एण्ड ब्रदर्स

†मूल अंग्रेजी में

९. मेसर्स बोनई इन्डिस्ट्रियल को० लि०

१०. मोहम्मद हबीबुर रहमान

११. श्री एस० के० चौधरी

१२. मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०

१३. मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि०

१४. मेसर्स उड़ीसा जनरल एजेन्सी

१५. श्री आर० के० केजरीवाला

१६. श्री एस० एल० मेदिरत्ता

१७. मेसर्स एस० लाल एण्ड को० लि०

१८. श्री एस० एन० अग्रवाल

१९. श्री प्रताप केशरी देव

२०. दि विजय भंडारा

२१. श्री बी० सी० मोहन्ती

उत्तर प्रदेश के लिये लोहे की चादरें

†२०५०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहे की कितनी चादरें मांगी गईं ; और

(ख) इस मांग की पूर्ति कहां तक की गई तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश को अधिक और लोहे की चादरें देने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ८२,४०१ टन की चादरें मांगी गई थीं जिस में से ५४,३४९ नियत की गई। किन्तु केवल १५,७२१ टन ही इस अवधि में भेजी जा सकीं। जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है उस के अन्दर अधिक से अधिक चादरें भेजने की कोशिश की जा रही है ।

बाल पुस्तक न्यास

†२०५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल पुस्तक न्यास की स्थापना होने के बाद से उस ने कोई वार्षिक रिपोर्ट पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†२०५२. **श्री वी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृति कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) टैगोर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के ग्रन्थों के पंजाबी भाषा में अनुवाद के लिये कुल कितना धन स्वीकार किया गया है;

(ख) इस अवसर पर पंजाबी में अनुवाद के लिये टैगोर के कौन-कौन से ग्रन्थ चुने गये हैं; और

(ग) साहित्य अकादमी ने अनुवाद का काम किन-किन लेखकों को दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) साहित्य अकादमी ने इस काम के लिये विभिन्न भाषाओं के लिये कोई विशिष्ट रकम नियत नहीं की है ।

(ख) और (ग). ग्रन्थों तथा अनुवादकों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. इकोत्तर सती (१०१ कवितायें) . . .	श्री देवेन्द्र सत्यार्थी
२. इकविन सती (२१ छोटी कहानियां) . .	श्री अमर भारती
३. तीन उपन्यास—	
गोरा	श्री अमर भारती
चोखर बाली	श्री अमर भारती
जोगाजोग	श्री गुर नेक सिंह ताज
४. सात नाटक—	
विसर्जन	श्री कर्तार सिंह दुग्गल
चित्रांगदा	प्रो० मोहन सिंह
चिरकुमार सभा	प्रो० सुजान सिंह
राजा	श्री कर्तार सिंह दुग्गल
डाकघर	श्री बलवन्त गार्गी
मुक्त धारा	श्री बलवन्त गार्गी
रक्त खराबी	श्री बलवन्त गार्गी

नागार्जुन कोंडा में पुरातत्वीय खुदाई

†२०५३. **श्री नरसिंहन् : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) नागार्जुन कोंडा में पुरातत्वीय खुदाई में श्रेणी १ के वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कितने पदाधिकारी लगे हुए हैं;

(ख) नागार्जुन कोंडा में खुदाई के काम में लगाये जाने से पूर्व वे पदाधिकारी किन-किन कामों पर थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या (१)नागार्जुन कोंडा आने से पूर्व; और (२) वहां आने के बाद से उन्होंने कोई पुस्तक आदि लिखी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) (१)

वरिष्ठ पदाधिकारी	२
कनिष्ठ पदाधिकारी	२

(ख) (१) आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी—इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व वह १९५३ से पुरातत्व विभाग के संयुक्त महासंचालक के रूप में काम कर रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें खुदाई, संरक्षण आदि भी सम्मिलित हैं, पुरातत्व विभाग के महासंचालक की सहायता कर रहा था।

(२) सुपरिनटेंडेंट—इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व वह दक्षिण पूर्वी सर्कल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में काम कर रहा था और संरक्षण, खोज तथा खुदाई आदि के कामों में सुपरिटेंडेंट की मदद कर रहा था।

(२) १. असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंट—इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व वह टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था और मुख्य कार्यालय में खुदाई, खोज आदि सम्बन्धी टेक्निकल कार्य कर रहा था।

२. असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंट—असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त होने से पूर्व वह वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम कर रहा था और मुख्य कार्यालय से सम्बद्ध ड्राफ्टमैनों की ड्राइंग आदि के काम की देखभाल कर रहा था।

(ग) (१) और (२) जी हां।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें

†२०५४. श्री सिद्धय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में १९५९–६० में अनुसूचित जातियों की आवास योजनाओं के लि कितनी रकम मंजूर की गई है;

(ख) आवास योजनाओं के लिये आवंटित रकम में से क्या अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास भवन बनाने के लिये कोई धन खर्च किया गया है; और

(ग) इस वर्ष में कितने मकान बनाये गये अथवा छात्रावास भवन पूरे किये गये ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (ग). मैसूर सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी।

मैसूर में अनुसूचित जातियों का कल्याण

†२०५५. श्री सिद्धय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कितनी रकम मंजूर की गई है; और

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ४१.३० लाख रुपये और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत २०९.४८ लाख रुपये।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ३०.६९ लाख रुपये और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत १५६.३९ लाख रुपये।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम

†२०५६. श्री सिद्धय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को सजा दी गई अथवा छोड़े गये ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

जबलपुर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

२०५७. सेठ गोविन्द दास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन-केरिज फैक्टरी, जबलपुर में स्थित निजी इमारतों के अधिग्रहण का प्रस्ताव अभी है या छोड़ दिया गया है और यदि यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाना है तो उन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : सुझाव अभी विचाराधीन है, और सरकार को अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ समय लगेगा।

मैसूर राज्य को नियत किया गया इस्पात

†२०५८. श्री सिद्धय्या : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अब तक मैसूर राज्य को इस्पात का कुल कितना कोटा नियत किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में वस्तुतः कितना दिया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). वर्ष १९६०-६१ के लिये मैसूर राज्य को ८१,५४६ टन नियत किया गया है। अप्रैल से अक्तूबर, १९६० तक वस्तुतः १२,१०३ टन दिया गया। इस अवधि में चादरों तथा तार को छोड़ कर सम्पूर्ण मांग का आवंटन कर दिया गया था। इन दोनों चीजों के अलावा और चीजों के सम्बन्ध में संभरण की स्थिति पहले से ठीक हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में संस्कृत संगठनों को सहायता

†२०५९. **श्री सिद्धय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक क्या मैसूर के स्वयं सेवी संस्कृत संगठनों अथवा संस्थाओं को कोई अनुदान दिया गया है ;

(क) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को कितनी रकम दी गयी है ; और

(ग) यह रकम किस काम में लाई गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमरपुर-उदयपुर सड़क

†२०६०. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरपुर–उदयपुर सड़क त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् को द दी गई थी ;

(ख) क्या यही सड़क फिर बाद में त्रिपुरा प्रशासन को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) . अमरपुर–उदयपुर सड़क के निर्माण की योजना जुलाई, १९५८ में प्रादेशिक परिषद् को हस्तान्तरित की गई थी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक परिषद् के प्रतिनिधियों से चर्चा करने तथा परिषद् से परामर्श करने के परिणामस्वरूप इस योजना को तेजी से कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रशासन ने सड़क का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले लिया है ।

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्

†२०६१. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ने ऐसा कोई संकल्प स्वीकार किया है कि त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् को अतिरिक्त विषय भी द दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो उस संकल्प में क्या है; और

(ग) इस संकल्प पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रादेशिक परिषद् अधिनियम के उपबन्धों से लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ती नहीं होती और सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि "त्रिपुरा प्रसासन के सभी शेष मामले परिषद् के नियंत्रण व प्रशासन में दिये जा सकते हैं"।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन अथवा फेरफार करने की आवश्यकता के बारे में विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में जुआ

†२०६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के अन्तिम छमाही में अब तक दिल्ली में जुये में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) अभी तक उन में से कितनों को सजा दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १६७७ (१-७-१९६० से ३०-११-१९६० तक) ।

(ख) १४९४ ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†२०६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में छात्रावासों के निर्माण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कुल कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : छात्रावास बनाने के लिये १९५९-६० में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को १,००,००० का लेखानुदान दिया गया ।

दिल्ली में अपहरण के मामले

†२०६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई से ३० नवम्बर, १९६० तक वर्ष १९५९ की इसी अवधि के मुकाबले में दिल्ली में कितनी अविवाहित लड़कियों के अपहरण के समाचार मिले ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : १९५९ में १ जुलाई से ३० नवम्बर तक की अवधि में ऐसा एक मामला हुआ था और १९६० की इसी अवधि में दो मामलों की खबर मिली ।

सम्पदा शुल्क

†२०६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : जक्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश में सम्पदा शुल्क के रूप में कुल कितना धन इकट्ठा हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १०,०७,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी

हिमाचल प्रदेश में अपराध

†२०६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र में कितने अपराध हुये;

(ख) हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में शान्ति व व्यवस्था कायम रखने तथा उसकी सुरक्षा के लिये वहां पुलिस की संख्या क्या है ;

(ग) उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ; और

(घ) १९५८–५९ के मुकाबले में १९५९–६० में अपराधों की संख्या घटी है या बढ़ी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :

(क) १९५८ १८५४
१९५९ १६६३
१९६० . . १५७८
(३१–११–६० तक)

(ख) २५३९ ।

(ग) १९६०–६१ में ३४,६८,१९६ ।

(घ) संख्या घटी है ।

पंजाब में शिक्षा

†२०६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अतिरिक्त धन मांगा है ताकि वह १९६०–६१ शिक्षा की अपनी विकास योजनाओं की पूर्ति कर सके ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के लिये; और

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समितिने उन प्रस्थापनाओं पर विचार कर लिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) गैर-सरकारी स्कूलों को बहुप्रयोजनीय तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने के लिये आवर्तक अनुदान देने के लिये ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में हाई स्कूल

†२०६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दिल्ली में कितने हाई स्कूल चालू किये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उनकी संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक प्रणाली के स्कूल हैं। अतः द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई भी हाई स्कूल नहीं खोला गया। तथापि इस अवधि में ६४ नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये। इस के अलावा ३५ मिडिल / सीनियर बेसिक स्कूलों तथा ९० हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदला गया।

(ख) जी हां, वर्तमान आवश्यकता के लिये पर्याप्त हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन क्रम

†२०६९. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन क्रम घोषित कर दिये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब बताये जायेंगे तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ७ दिसम्बर, १९६० को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ के उत्तर में जैसा बताया गया था, केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन क्रम तय हो गये हैं और शीघ्र ही अधिसूचित किये जायेंगे।

निर्वाचन याचिका

†२०७०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौधरी बलबीर सिंह बनाम चौधरी अमर सिंह के नाम में निर्वाचन याचिका निबटाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह किस तारीख तक तय हो जायेगी ?

†**विधि मंत्री (श्री प्र० कु० सेन)** : ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर में बताई गई प्रगति जून १९६० की अवधि के बारे में है। तब से न्यायाधिकरण की बारह बैठकें हुई हैं—जुलाई के महीने में दो, अगस्त में एक, सितम्बर में एक, अक्तूबर में छः और दिसम्बर में दो। इन बैठकों में न्यायाधिकरण द्वारा अड़तालीस साक्षियों की परीक्षा की गई।

(ख) न्यायाधिकरण की आशा है कि पूरा मामला फरवरी १९६१ में समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान म भारतीय कम्पनियां

†२०७१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान में काम करने वाली भारतीय कम्पनियों तथा व्यापारियों के लाभ को लौटा कर भेजने के प्रश्न पर के बारे में पाकिस्तान से बात चीत में कोई प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् । कोई खास प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यापकों के वेतन क्रम

†२०७२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के वेतन क्रमों को निर्वाह-व्यय तथा सामान्य राष्ट्रीय मजूरी ढांचे के अनुसार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पवन शक्ति

२०७३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ३० मार्च, १९६० के तारांक्ति प्रश्न संख्या ११४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन शक्ति का अलग डिवीजन स्थापित हो जाने के बाद से उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) जो दो सौ "पाइलट " पवन चक्कियां स्थापित करने का निश्चय किया गया था, उन्हें अब तक किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जा चुका है; और

(ग) इस डिवीजन के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये किस प्रकार की योजना बनाई गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) (१) उत्पादन के पहले एक बैच १२ पवन चक्कियों का बतौर आज माइस बनाने का फैसला किया गया था । ये लगभग बन चुकी हैं ।

(२) उपयुक्त पानी की टंकियों के नमूनों का फैसला हो गया है और उनको बनाने के लिये आर्डर दे दिया गया है ।

(३) जम्मू और काश्मीर में लद्दाख जिले के लेह, चेशुल और कारगिल में पवन-चक्कियां लगाने की संभावना का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) पश्चिम जर्मन सरकार ने जो ६ किलोवाट का अल्लगेयिर विन्ड इलेक्ट्रिक जैनरेटर भेंट किया था, उसे पोरबन्दर में खापट कृषि फार्म में लगाया गया है ।

(ख) ये जगहें सामुदायिक परियोजना केन्द्रों और कुछ अगम्य क्षेत्रों से जानकारी इक्कट्ठी हो जाने के बाद चुनी जायेंगी ।

(ग) (१) १२ यूनिट तैयार हो जाने और उनकी आजमाइश हो जाने के बाद २०० पवन चक्कियां बनाने का काम हाथ में लिया जायेगा ।

(२) विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटरों की डिज़ाइन तैयार करने और उन्हें बनाने की संभावना पर विचार हो रहा है ।

(३) राज्य सरकारों ने जो जगहें बताई हैं, उन में पवन चक्कियां लगाने की संभावना का पता लगाने के लिये, उनका सर्वेक्षण किया जायेगा । १९६१ की गर्मी में इस तरह का एक सर्वेक्षण लाहौल और स्पिति में करने का इरादा है ।

छावनियां

२०७४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में लैंसडौन, चकरौता, लंढोर, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून और क्लीमेंट टाउन के छावनी बोर्डों ने किन-किन विकास कार्यों के लिये कितनी-कितनी वित्तीय सहायता की मांग की थी ;

(ख) उन में से प्रत्येक छावनी बोर्ड को प्रत्येक विकास-कार्य के लिये अन्तिम रूप से कितना अनदान देना स्वीकार किया गया है ;

(ग) इन विकास-कार्यों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) उपरोक्त छावनी बोर्डों को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क), (ख) तथा (घ) दो विवरण संलग्न हैं, जिन में आवश्यक सूचना दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]

(ग) सहायक अनुदान अभी हाल ही में स्वीकार किए गए हैं, और अभी से अधिक उन्नति की आशा करना नितांत समयपूर्व होगा। तदपि सभी कामों के ३१ मार्च, १९६१ से पहले सम्पूर्ण होने की सम्भावना है ।

संगीत शिक्षा की फिल्म

†२०७५. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगीत शिक्षा पर हमारे देश में तैयार की गई पैरिस फिल्मों को एकत्र किया है तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संगीत परिषद् को दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आदिम जातियों के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा

†२०७६. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अभी तक आदिम जातियों के बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि एक ही भाषा बोलने वाले किन्तु विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिम जातियों के बच्चों को अपनी मातृ भाषा में विभिन्न लिपियों में शिक्षा दी जाती है, उदाहरणतः सन्थाल बच्चों को बिहार में हिन्दी लिपि में, और बंगाल में बंगाली लिपि में शिक्षा दी जाती है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय दी जायेगी ।

सामाजिक तनाव के कारणों के बारे में अनुसंधान

†२०७७. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक तनाव के कारणों के बारे में मानव शरीर रचना शास्त्र विभाग तथा किसी अन्य संगठन द्वारा इस समय कोई अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ख) क्या पिछले समय में हाल ही में किये गये अनुसंधानों की रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या मानव शरीर रचना शास्त्र विभाग की निकट भविष्य में ऐसे अनुसंधान के लिये कोई योजना है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) इस समय मनुष्य शरीर रचना शास्त्र विभाग द्वारा कोई ऐसा अनुसंधान नहीं किया जा रहा है । अन्य संगठनों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) हां, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रिपोर्टें यह हैं :—

(१) अबोर तथा गैलोंग में तनाव संबंधी भावनायें जैसा कि रिसर्च टेक्नीक द्वारा बताई गई हैं (इंडियन जरनल आफ साइकोलाजी, खंड ३०, १९५५ में प्रकाशित);

(२) अबोर तथा गैलोंग के बच्चे (एज्यूकेशन एण्ड साइकोलाजी मोनोग्राफ संख्या ३२, फैजबाजार, दिल्ली ७, १९५९ में प्रकाशित);

(३) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों में सामाजिक तनाव का अध्ययन (मानव-शरीर रचना शास्त्र विभाग के अनुसंधान लेख, संख्या १, १९५९ में प्रकाशित) ; और

(४) शरणार्थियों के पुनर्स्थापन में मनोवैज्ञानिक पहलू (इंडियन जरनल आफ सोशल वर्क, खण्ड १८, १९५७ में प्रकाशित)।

(घ) जी नहीं ।

समाज विरोधी तत्व

†२०७८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लड़कियों के अभिभावकों ने कुछ गैर-सामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस में गम्भीर शिकायतें दर्ज करायी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आय-कर विभाग द्वारा 'प्रतिदान सप्ताह' (रिफ़न्ड वीक) का मनाया जाना

†२०७९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने सितम्बर, १९६० में 'प्रतिदान सप्ताह' (रिफन्ड वीक) मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किस जोन में मनाया गया और कुल कितनी रकम वापस की गयी ; और

(ग) इस 'सप्ताह' को मनाने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) केवल बम्बई में आयकर विभाग ने २९ अगस्त, १९६० से ३ सितम्बर, १९६० तक 'प्रतिदान सप्ताह' (रिफन्ड वीक) मनाया था ।

(ख) 'प्रतिदान सप्ताह' (रिफन्ड वीक) बम्बई में मनाया गया । कुल १,७५,९५,००० रुपये की रकम वापस की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसका उद्देश्य इस बारे में संकेन्द्रित प्रयत्नों द्वारा प्रतिदान दावों (रिफन्ड क्लेम्स) को अधिकाधिक संख्या में निपटाना था ।

ब्रिटेन और अमरीका में भारतीय छात्र

†२०८०. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ और १९५९–६० में विदेशों में अध्ययन के लिये अमरीका और ब्रिटेन को कितने छात्र गये हैं ;

(ख) कितने छात्रों को भारतीय और विदेशी छात्रवृत्तियां और वृत्तिका मिल रही हैं ;

(ग) कितने लोगों ने अपरेंटिसशिप और लेक्चरशिप प्राप्त की है ;

(घ) कितने अपने प्रयत्नों से गये हैं और कितने भारत सरकार के जरिये गये हैं ;

(ङ) सरकार ने कितने छात्रों को भेजा है ; और

(च) क्या इन विद्यार्थियों को भेजने के लिये अनुसरण करने के लिये सरकार ने कोई मानदंड निर्धारित किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (च). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूतपूर्व शासक

२०८१. श्री डामर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रियासतों के कितने भूतपूर्व शासक स्वतंत्र रूप से या भारत सरकार के साझे में व्यापार कर रहे हैं ; और

(ख) ऐसे कितने भूतपूर्व शासक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विदेशों में जा बसे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) भारत सरकार के पास इस विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है और उसको इकट्ठा करने में जितना समय और श्रम लगेगा उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेपाल सीमा के पास गांजे का तस्कर व्यापार

†२०८२. डा० राम सुभग सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य की पुलिस ने नेपाल सीमा के निकट चम्पारन जिले में गांजे के तस्कर व्यापारियों के किसी अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके पास से कितना गांजा पकड़ा गया ; और

(ग) क्या उनमें से किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से संबंध है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके पास से ३ मन ८ सेर अवैध नेपाली गांजा बरामद किया गया ।

(ग) अभी तक की गयी जांच से यह पता नहीं चला है कि गिरफ्तार व्यक्तियों में से किसी का किसी राजनीतिक दल से संबंध है ।

पंजाब की खनिज सम्पत्ति

†२०८३. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब की खनिज सम्पत्ति के बारे में और जांच-पड़ताल करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आरम्भ किये जाने वाले जांच-पड़ताल कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) भारत का भू-भौतिकीय सर्वेक्षण विभाग पंजाब में खनिज निक्षेपों के क्रमवार भ-भौतिकीय नकशे बना रहा है और जांच पड़ताल कर रहा है और यह कार्य कुछ वर्षों तक चलेगा क्योंकि इस प्रकार के कार्य का अन्त नहीं होता।

(ख) वर्ष १९६०–६१ में भारत के भू-भौतिकीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंजाब में किये जाने वाली खनिज जांच पड़ताल के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

१. धर्मशाला, मंडी क्षेत्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में क्रमवार नक्शे बनाने का कार्य चालू रखना ।

२. टोपोशीट नं० ५३ ए/१३, १४ और १५ और ५३ इ/आई, २, ३, ५ और ६ में पड़ने वाले ३१° से ३२° उत्तर अक्षांस और ७६°४५' और ७७° ३०' पूर्व के रेखांशों के बीच पड़ने वाले लारजी, मंडी और सुन्दर नगर क्षेत्रों का क्रमवार मानचित्रण ।

३. नंगल उर्वरक कारखाने के लिये चूना पत्थर निक्षेपों की जांच पड़ताल ।

४. कांगड़ा जिले में गर्म स्रोतों की जांच पड़ताल ।

५. शिमला पहाड़ी में सीसा, तांबा, पाइराइट्स, चूना, पत्थर और अन्य खनिजों के होने की जांच पड़ताल ।

६. नन्धा, गुड़गांव जिले में सल्फाइड की खनिजापन जांच पड़ताल करना ।

७. पार्वती घाटी, कुलू सब डिवीजन, कांगड़ा जिले में सीसे और उससे सम्बद्ध धातुओं की जांच पड़ताल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त

†२०८४. श्री बं० च० मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त के आदेशिक कार्यालय के वर्तमान ढांचे को पुनर्गठित करने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नयी व्यवस्था का क्या स्वरूप है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख) विषय विचाराधीन है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह

†२०८५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी सेवाओं में मुख्य भूमि के निवासियों को स्थानीय व्यक्तियों के तौर पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को वे लाभ नहीं मिलते हैं जो मुख्य भूमि के व्यक्तियों को मिलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो द्वीप समूह के प्रशासन में मुख्य भूमि के व्यक्तियों के साथ भेदभाव के व्यवहार के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) मुख्य भूमि के १७७५ व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्तियों के रूप में भर्ती किये गये, १ नवम्बर, १९६० को, अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन काम पर लगे हुये थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इसमें कोई भेदभाव नहीं है । जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में स्वयं द्वीपसमूह में जाते हैं उनको द्वीपसमूह के व्यक्तियों की तरह ही माना जाता है और उन्हें वही सेवा की शर्तें दी जाती हैं । उनके मामले मुख्य भूमि से प्रशासन के अधीन सेवा के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अथवा मुख्य भूमि में भर्ती किये गये व्यक्तियों से भिन्न हैं ।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†२०८६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में भारत में चोरी छिपे लायी गयी कितनी घड़ियां पकड़ी गयीं और तस्कर व्यापारियों के विरूद्ध कितने मामले चलाये गये अथवा दर्ज किये गये ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): पिछले छः महीनों में (१ जून, १९६० से ३० नवम्बर, १९६० तक) सीमा-शुल्क, भू-सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा चोरी छिपे लायी गयी १३,७६९ घड़ियां पकड़ी गयीं । इन मामलों में से ५५८ में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय न्यायिक कार्यवाही की गयी है और ११ मामलों में न्यायालयों में मुकदमे चलाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरावती में अशोक स्तम्भ

†२०८७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरावती में अशोक स्तम्भ का एक कटा हुआ खंड मिला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: पत्थर के खंड का एक आंशिक रिकार्ड मिला है। यह विश्वास किया जाता है कि यह अशोक प्रकार के स्तम्भ से काटा गया हो।

भारत के विश्वविद्यालय छात्रों की राष्ट्रीय परिषद्

†२०८८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के विश्वविद्यालय छात्रों की राष्ट्रीय परिषद को किसी वार्षिक अनुदान की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और कितनी धन राशि दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को ३००० रुपये प्रतिवर्ष की मंजूरी दी है ताकि विश्वविद्यालय का छात्र संघ भारत के विश्वविद्यालय छात्रों की राष्ट्रीय परिषद् को परिषद् के प्रशासनिक व्यय में सहायता कर सके।

रूस से आयात किए गये पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण वितरण आदि की व्यवस्था

†२०८९. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री याज्ञिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी ने रूस से आयात किये गये पेट्रोलियम उत्पादों को जहाज से उतारने, रखने और वितरण के लिये व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां तो इस कार्य के लिये कौन-कौन से पत्तन चुने गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) मार्च १९६२ में समाप्त होने वाली प्रथम प्रावस्था के लिये इंडियन आयल कम्पनी ने अपने संगठन के लिये एक कार्यकारी योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम में बम्बई, कांडला, कोचीन, विशाखापटनम और कलकत्ता के पत्तनों में आयातित पेट्रोलियम उत्पादों को जहाज से उतारने के लिये मुख्य बड़े भंडारों की स्थापना भी शामिल है। कम्पनी तेल उत्पादों के वितरण और विपणन के लिये देश भर में संभरण क्षेत्रों में कई भंडार डिपो और खुदरा विक्रय केन्द्र भी स्थापित कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ की जनगणना

†२०९०. **श्री कालिका सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ की जनगणना की तुलना में वर्ष १९६१ की जनगणना में क्या क्या सुधार होंगे ;

(ख) घर के व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार दिखायी जायगी और क्या यह तरीका ब्रिटेन में प्रचलित तरीके पर आधारित होगा ;

(ग) क्या अलग अलग वर्ग की जनता के व्यावसायिक ढांचे के वर्गीकरण की प्रक्रिया वर्ष १९५१ में स्वीकृत प्रक्रिया से भिन्न होगी ;

(घ) यदि हां तो नयी पद्धति का क्या ब्यौरा है ;

(ङ) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया जायेगा कि भारत में कितने व्यक्ति वास्तव में हिन्दी बोल सकते हैं जो कि भारत की मातृ भाषा होने के साथ साथ भारत की राज भाषा भी है ;

(च) विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के आयु-वर्गों और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का किस प्रकार पता लगाया जायगा ; और

(छ) क्या खाने की आदत बदलने के लिये शाकाहारी और मांसाहारी व्यक्तियों की गणना की जायगी ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (छ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

हिन्दी टाईपिंग और शार्टहैंड सीखने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

२०९१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास पथा बम्बई में अलग-अलग कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हिन्दी टाइप तथा हिन्दी शार्टहड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या और भी किन्हीं शहरों में ऐसे ही कुछ और केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा है यदि हां, तो कहां और कितने केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(ग) इन केन्द्रों में अब तक कितने सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

हिन्दी टाइप तथा हिन्दी शार्टहैंड में प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या से संबंधित केन्द्रानुसार विवरण पत्र :

केन्द्र का नाम	हिन्दी टाइप	हिन्दी शार्टहैंड
दिल्ली . . .	३९६	१०३
कलकत्ता	२२६	—
बम्बई	२१९	—
मद्रास	१६१	—
कुल योग . .	१,००२	१०३

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) २०६ ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की याचिकायें

२०९२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा जो याचिकायें अथवा आवेदन-पत्र दिये जाते हैं क्या उनके निर्णय उन्हें लिखित रूप में बताये जाते हैं अथवा मौखिक रूप में;

(ख) अन्य श्रेणी के कमचारियों द्वारा जो याचिकायें अथवा आवेदन पत्र दिये जाते हैं उनका उत्तर देने की क्या वही व्यवस्था है जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिय है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जो व्यक्ति याचिका अथवा आवेदन पत्र हिन्दी में लिख कर देते हैं क्या उनको उसका उत्तर हिन्दी में दिये जाने की सभी कार्यालयों में व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कोई अन्य व्यवस्था की जायगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) साधारणतया लिखकर।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) नहीं परन्तु यह विचाराधीन है।

हिन्दी पारिभाषिक शब्दावलि

२०९३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंशी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने के लिये १९६०–६१ में कुल कितनी समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) इन समितियों ने १९९० के पहले दस महीनों में कितने पारिभाषिक शब्द तैयार किये ; और

(ग) पारिभाषिक शब्दवाली का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) १९६०–६१ वर्ष के दौरान में कोई नई समिति नहीं बनायी गई । हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली का विकास करने के लिये इस समय २४ विशेषज्ञ-समितियां काम कर रही हैं ।

(ख) काम प्रारम्भ करने की तिथि से आज तक बनाये गये कुल १,३९,०९९ पारिभाषिक शब्दों में से २३,००० शब्द ।

(ग) राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में एक स्थायी (स्टेंडिंग) आयोग की स्थापना की जा रही है जो अब तक किये गये कार्य की समीक्षा और वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली का विकास करेगा । आशा की जाती है कि कार्य की प्रथम अवस्था, आयोग के वास्तविक रूप में कार्यारम्भ करने की तारीख से ३ से ५ साल तक की अवधि के अन्तर्गत पूरी हो जायेगी ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अतिरिक्त अन्य विषयों की शब्दावली के विकास के लिये एक 'समीक्षा और समन्वय समिति' की स्थापना की जा रही है जो ऐसी शब्दावली की समीक्षा करके उसे अन्तिम रूप देगी ।

शब्दावली विकास का कार्य सदा चलता रहता है इसलिये किसी समय-विशेष पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य 'पूर्ण' हो गया ।

बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी, दिल्ली

†२०९४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैनेट कोलमैन एंड कम्पनी, दिल्ली के प्रबन्धकों को २ नवम्बर, १९६० को एक औद्योगिक विवाद के सिलसिले में कोई पुलिस सहायता दी गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी के कार्यालय में सी० आई० डी० के कुछ कांस्टेबिल भेजे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो ये कितने दिन तक भेजे गये थे और इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो०ब०पन्त)** : (क) और (ख) जी, नहीं । हां, २ नवम्बर, १९६० को फर्म द्वारा बैंक से निकाली गयी नकदी की हिफाजत के लिये जो कि उनके कार्यलय में अवितरित पड़ी थी, एक ए० एस० आई०, एक हैड कांस्टेबिल और आठ कांस्टेबिल दिये गये थे । इसके लिये फर्म ने भुगतान किया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल उच्च न्यायालय

†२०९५. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाटों से और विभिन्न श्रम विधानों के अधीन अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों और अधिसूचनाओं से उत्पन्न होने वाली कितनी लेख याचिकायें केरल उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) ये याचिकायें कितने समय से लम्बित हैं ; और

(ग) ऐसी कितनी याचिकायें दो वर्ष से भी अधिक से लम्बित पड़ी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय राजस्व कार्यालय के महालेखापाल

†२०९६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों के असिस्टेंट और केन्द्रीय राजस्व के महा लेखापाल के कार्यालय के सेलेक्शन ग्रेड के अपर डिवीजन क्लर्कों की ड्यूटी सारवान् रूप से समान है ;

(ख) यदि हां, तो वेतन और श्रेणी में भिन्नता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार की दोनों श्रेणियों को एक स्तर में रखने की प्रस्थापना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) की, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में साइकिल सवारों पर जुर्माना

†२०९७. **श्री मोहन नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न अपराधों के लिये सितम्बर, और अक्तूबर, १९६० में कितने साइकिल सवारों पर मुकद्दमे चलाये गये और कितनों पर जुर्माना किया गया ;

(ख) इसी अवधि में विभिन्न दुर्घटनाओं में कितने साइकिल सवार मारे गये और घायल हुये ; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क)

	सितम्बर १९६०	अक्तूबर १९६०
साइकिल सवार जिन पर मुकदमा चलाया गया	११,५८८	१२,०८१
साइकिल सवार जिन पर जुर्माना किया गया	६,१३३	६,०५०

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख)	सितम्बर १९६०	अक्तूबर १९६०
घायल साइकिल सवारों की संख्या .	४९	४९
मृत साइकिल सवारों की संख्या .	५	५

(ग) दुर्घटनायें रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(१) पांच बड़ी सड़कों (फौज रोड, सिकन्दर रोड, ओल्ड रोहतक रोड, तिमारपुर बेंड के पास माल रोड और रिंग रोड) को चौड़ा किया गया है।

(२) राजपथ और ओल्ड मिल रोड और चैम्सफोर्ड सरकस जहां मिलते हैं वहां दो और बिजली के सिगनल लगाये गये हैं।

(३) छः और सिनेमा-गृहों को हर शो में दिखाने के लिये यातायात सुरक्षा संबंधी स्लाइडें दी गयी हैं।

(४) चौराहे पर विराम चिह्न पर बायीं ओर जाना भी रोक दिया गया है।

(५) कनाट प्लेस क्षेत्र में सर्विस सड़कों पर एक-ओर-यातायात लागू कर दिया है।

(६) नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिये और साइकिल पटरियां बनाने को कहा गया है।

(७) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि यातायात नियमों का पालन किया जाये, सड़क के चौराहों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यातायात के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिये मोटर साइकिलों पर यातायात के सिपाही गश्त लगाते हैं।

हेलीकोप्टरों की खरीद

†२०९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ अधिक ऊंचाई पर जाने वाले हेलीकोप्टरों की खरीद के बारे में बातचीत की गयी थी ; और

(ख) उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) अमरीका और रूस।

(ख) कुछ हेलीकोप्टर खरीद लिये गये हैं।

नेपाल का सर्वेक्षण

†२०९९. **श्री कोडियान :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने नेपाल से प्रार्थना की है कि उसे नेपाल में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति दे दी गयी है ; और

(ग) नेपाल में आयोग किस-किस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी हां। कुछ भूतत्वीय सारेखिक सर्वेक्षण करने और नेपाल प्रदेश में एक स्थान के साथ साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिये नेपाल सरकार की अनुमति मांगी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष १९५९–६० के 'फील्ड सीजन' में एक भूतत्वीय दल ने नेपाल के मध्य भाग में बीरगंज और चिसपाणिगढ़ी जिलों में अमलेकगंज से पठानकोट तक प्रावेक्षण सारेखिक सर्वेक्षण किया। चालू 'फील्ड सीजन' में लगभग १८० मील क्षेत्र में डांग घाटी में ६ भूतत्वीय सारेखिक सर्वेक्षण करने के लिये एक दल भेजा गया है।

खोपरा और सुपारी की बिक्री

†२१००. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार निकोबार और नानकोवरी द्वीप समूहों की सहकारी समितियों द्वारा १९५९–६० में वहां की लाइसेंस प्राप्त व्यापारिक फर्मों को खोपरा और सुपारी की क्रमशः कितनी कितनी राशि बेची गयी थी ; और

(ख) ये वस्तुयें किस किस दर पर बेची गयी हैं और उन समितियों को कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकोवरी ट्रेडिंग कम्पनी के लाभों के अपने अपने अंशों से कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ३३,०२,२७४ पौंड खोपरा और ३,६९,६१२ पौंड सुपारी बेची गयी थी।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें खोपरा और सुपारी की दरें दी गयी हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५] क्योंकि कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकोवरी ट्रेडिंग कम्पनी ने अभी तक अपने लाभांश घोषित नहीं किये हैं, इसलिये प्राप्त होने वाले लाभ अभी तक बताये नहीं जा सकते।

शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते

†२१०१. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे इस सम्बन्ध में यत्न करें कि उनके प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को दिये जाने वाले महंगायी भत्ते उतने ही मूल वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगायी भत्तों के बराबर कर दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली : (क) जी, हां। यह सुझाव उन राज्य सरकारों को दिया गया है जहां यह अन्तर है ताकि वे उस प्रश्न पर विचार करें।

(ख) उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विदेशी जन अधिनियम के अधीन गिरफ्तार चीनी

†२१०२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६० से अब तक कितने चीनी तथा अन्य विदेशी व्यक्तियों को विदेशी जन अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क

†२१०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर भारत में ७२० मील लम्बी रेल की पाइप लाइन के साथ साथ रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था स्थापित करने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). ब्रिट्रेन की मेसर्स मर्फी रेडियो कम्पनी को अखिल भारत पाइपलाइन परियोजना के लिये दूर संचार / टेलीमीटरी / दूर नियंत्रण व्यवस्था के लिये आवश्यक उपकरण बनाने, उनका सम्भरण करने और उन्हें लगाने के लिये एक ठेका दे दिया गया है । इनके बनाने का कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है ।

मर्फी इंजीनियरों का एक दल इस समय आसाम में प्रसारण सम्बन्धी सर्वेक्षण कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उपकरणों का निर्माण करने और पाइप लाइन मार्ग के साथ साथ रेडियो रिपीटर स्टेशनों की स्थापना में लाभ दायक सिद्ध होंगे । आशा है कि इस 'सिस्टम' को लगाने का कार्य मई, १९६१ तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

दिल्ली में लड़कियों के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के अध्यापक

†२१०४. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या शिक्षा मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी भी ऐसे कई लड़कियों के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल हैं जिन में अभी तक विज्ञान के पुरुष अध्यापक नहीं भेजे गये हैं, जबकि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में इस प्रकार के अर्हता प्राप्त पुरुष शिक्षक उपलब्ध हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अध्यापक

†२१०५. **सरदार अ० सि० सहगल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के ऐसे अधिकांश अध्यापक हैं जो कि लगभग पांच वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं परन्तु फिर भी उन्हें अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). ऐसे २२० अध्यापक हैं जिन्होंने पांच साल पूरे कर लिये हैं , परन्तु अभी तक वे अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं । उन में से १३७ ऐसे हैं जो कि अर्ध स्थायी घोषित करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि या तो वे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य हैं या अधिक आयु के हो गये हैं या उनके पास निर्धारित न्यूनतम शिक्षात्मक अर्हतायें नहीं होती । शेष ८३ अध्यापकों के मामले अभी विचाराधीन हैं ।

बंगाल की खाड़ी में लापता मछुओं की खोज

†२१०६. **श्री तंगामणि :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ नवम्बर, १९६० को बंगाल की खाड़ी के पोर्टोनोवो के तट से दूर लापता मछुओं की खोज के लिये भारतीय विमान बल का लिबरेटेर विमान भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो खोज का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) कुल कितने मछुये लापता थे ;

(घ) क्या उनका कुछ पता चला है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पता चला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां । १८ नवम्बर, १९६० को राज्य सरकार ने भारतीय विमान बल से उनके लिये खोज करने के बारे में प्रार्थना की थी और दूसरे दिन ही खोज कार्य किया गया था ।

(ख) परिणाम सफल नहीं हो सका ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त मूल सूचना के अनुसार तीन मछुवे लापता हैं ;

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गैर निवासी विद्यार्थी केन्द्र[1]

†२१०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५९–६० में कई विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों द्वारा गैर-निवासी छात्र-केन्द्रों की स्थापना के लिये भेजी गयी कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Non resident Students centres.

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जहां तक सम्बद्ध कालेजों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५९-६० में उनकी गैर-नवासी विद्यार्थी केन्द्र सम्बन्धी कई योजनायें मंजर की गयी थीं, और विश्वविद्यालयों की ऐसी योजनायें १९५७-५८ और १९६०-६१ में मंजूर की गयी हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, गैर-निवासी छात्र केन्द्रों में निम्न लिखित सुविधायें सम्मिलित हैं :—

(१) एक बड़ा कामन रूम ।

(२) एक कमरा इनडोर खेलों के लिये ।

(३) एक पुस्तकालय तथा रीडिंग रूम ।

(४) एक अध्ययन कक्ष

(५) केफटेरिया और रसोई घर

(६) शौचालय और स्नानालय के ब्लाक

इमारत के लिये ५ वर्ग फुट के प्लिथ एरिया[१] की अनुमति दी गयी है। सारी इमारत में दिये जाने वाले कुल प्लिथ एरिया का निर्जन विद्यार्थी केन्द्र के पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के आधार पर किया जायेगा । विश्वविद्यालयों ने इन केन्द्रों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १ लाख रुपयों के प्राक्कलित खर्च पर अधिक से अधिक ७०,००० रुपयों की सहायता देगा । इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों को कोई आवर्तक अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

जहां तक कालेजों का सम्बन्ध है, उनके गैर-निवासी केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधायें सम्मिलित होंगी :—

(१) केन्टीन

(२) मनोरंजन का कमरा

(३) एक रीडिंग रुम

(४) एक या दो स्नानालय

उन केन्द्रों की इमारतों के लिये २००० वर्गफुट के प्लिथ एरिया की अनुमति है । इन केन्द्रों के निर्माण के लिये आयोग, ५०,००० रुपयों के कुल प्राक्कलित औसत खर्च पर अधिक तम ३५,००० रुपयों का अनुदान देगा । इस योजना के अधीन कालेजों को कोई आवर्तक अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Plinth Area

दिल्ली के ग्रामों में 'आबादी' क्षेत्र

†२१०८. **श्रीमती सुचेता कृपालानी:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९०८ में किये गये प्रथम बन्दोबस्त में दिल्ली के प्रत्येक ग्राम में कुछ क्षेत्र आबादी के प्रयोजन के लिये निर्धारित कर दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आबादी के बढ़ जाने के कारण ग्रामवासियों की अब यह मांग है कि आबादी क्षेत्रों में विस्तार कर दिया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन आबादी क्षेत्रों में अब बहुत अधिक भीड़भाड़ सी हो गयी है और वे क्षेत्र अब गन्दी बस्तियों का रूप धारण कर रहे हैं ; और

(घ) क्या उन आबादी क्षेत्रों में विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) दिल्ली में पहला बन्दोबस्त सन् १८६४ में हुआ था और पुनरीक्षित बन्दोबस्त १८८० में और १९०८–०९ में किये गये थे । आबादी क्षेत्र १९०८–०९ में निर्धारित किये गये थे ?

(ख) जी, हां ।

(ग) कुछ ग्रामों में आबादी क्षेत्रों में आबादी बहुत बढ़ गयी है ।

(घ) जी, हां ।

विदेशी सहयोग से तेल की खोज

†२१०९. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में तेल की खोज के लिये सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन शर्तों पर बुलाया जा रहा है ; और

(ग) किन किन देशों ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी शर्तों पर अपने विशेषज्ञ भेजना स्वीकार कर लिया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) विदेशी तेल कम्पनियों को आमंत्रित किया गया था कि वे भारत में तेल की खोज के कार्य में भाग लेने के सम्बन्ध में अपने सुझाव भेजे और यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध प्रविधिक आंकड़ों का अध्ययन करने के लिये अपने विशेषज्ञ भेजें ।

(ख) और (ग). उन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा भारत में तेल की खोज के लिये भजी गयी शर्तों पर अभी विचार किया जा रहा है । क्योंकि बातचीत अभी तक चल रही है, इसलिये इसी समय ब्यौरे बता देना लोकहित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में चूहों का उत्पात

†२११०. श्री बांगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कैलाशहर के मानिकपुर, राजघर, मालिघर, बारामानू, भाइबोन–छेराह, गोविन्दबाड़ी आदि ग्रामों को चूहों द्वारा फसल के नाश के कारण गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा के झूमिया लोगों द्वारा ऋण की अदायगी

†२१११. श्री बांगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के धर्मनगर सब डिवीजन के कंचनपुर के निकट भातिमस्मारा के झूमिया लोगों ने सम्बन्धित प्राधिकारी के पास एक याचिका भेजी है जिसमें यह कहा है कि वह कुल ऋण में से दो तिहाई राशि की अदायगी के लिये तैयार हैं और यह कि एक तिहाई राशि क्षमा कर दी जाये । क्योंकि वे पूरी राशि अदा करने में असमर्थ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में वेतन समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति

†२११२. श्री बांगशी ठाकुर :
श्री दशरथ देब :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन और त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के कर्मचारियों पर वेतन समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां के प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नये वेतन क्रम पुराने वेतन क्रमों की तुलना में कैसे हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसे कब लागू किया जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (ग). वेतन समिति की रिपोर्ट के आधार पर त्रिपुरा प्रशासन के सुझाव हाल ही में प्राप्त हुए हैं, वे अभी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में राजस्व की वसूली

†२११३. श्री धर्म लिंगन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में मद्रास राज्य में भारत सरकार द्वारा करों तथा अन्य राजस्व उपायों द्वारा अभी तक कुल कितनी राशि इकट्ठी की गई है ।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १ अप्रैल, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में मद्रास राज्य में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के रूप में कुल ३८,३७,२४,००० रुपये वसूल किये गये थे ।

असैनिक, प्रशासन, चल मुद्रा, टकशाला असैनिक कार्य आदि विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन प्राप्त होने वाली राशियां राजस्व सम्बन्धी किसी भी खाते में प्राप्त नहीं की जाती हैं, अपितु वे राशियां की गयी सेवाओं और किये गये संभरणों के हिसाब में प्राप्त की जाती हैं और इसलिये वे उक्त आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं ।

प्राचीन स्मारक

†२११४. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ एक प्राचीन स्मारकों को अभी भी सरकारी दफ्तरों और न्यायालयों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मदुरै के थिरुमल नायक पैलेस (महल) को मदुरै और रामनाड जिलों के न्यायालयों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन न्यायलयों को अन्य स्थानों पर ले जाने और उस महल को अतिथियों के उपयोग के लिये रखने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि उस महल को संरक्षण न देने का निर्णय किया गया है, इसलिये न्यायालय को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

विधि आयोग का दसवां प्रतिवेदन

†२११५. { श्री भ० दी० मिश्र :
श्री शि० ना० रामोल :
श्री नारायण दीन :
सरदार अ० सिं० सहगल :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के दसवें प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जैसा कि विधि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, १८९४ के भूमि अधिग्रहण अधिनियम १ में आवश्यक संशोधन करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†विधि मंत्री (श्री अनिल कु० सेन): (क) और (ख). राज्य सरकारों को उनके विचारों के लिये उस रिपोर्ट के परिचालन के उपरान्त उस रिपोर्ट के बारे में राज्य सरकारों के विचार जानने के लिये ३० अगस्त, १९६० को नई देहली में सरकारी स्तर पर राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन में विधि आयोग की कुछ एक महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में विभिन्न प्रतिनिधियों ने विभिन्न विरोधी विचार प्रस्तुत किये थे। इस सम्मेलन के उपरान्त सम्मेलन में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट के बारे में आगामी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये २८ अक्तूबर, १९६० को राज्यों के प्रशासनिक मंत्रालयों और केन्द्रीय विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई।

उक्त चर्चा के प्रकाश में तैयार किये गये एक अस्थायी प्रारूप विधेयक के आधार पर राज्य सरकारों से पुनः परामर्श करने का विचार है।

जनगणना

†२११६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जनगणना आयुक्त को 'मातृ भाषा' की परिभाषा के सम्बन्ध में हिदायतें दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिदायतें दी हैं;

(ग) 'व्यक्ति की भाषा' के स्थान पर 'मातृ-भाषा' के सम्बन्ध में रिकार्ड रखने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) मातृ भाषा की यह परिभाषा की गयी है कि यह वह भाषा है जो कि व्यक्ति की माता ने उसकी बाल्यावस्था में उससे बोली थी या जो कि सामान्यतया घर में बोली जा रही हो, यदि माता का देहान्त व्यक्ति के शिशुकाल में ही हो गया हो तो उस स्थिति में सामान्य रूप से घर में बोली जाने वाली भाषा ही उसकी मातृभाषा समझी जायेगी। शिशुओं और बहरों तथा गूंगों के मामलों में माता द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही उनकी मातृ भाषा मानी जायेगी।

(ग) मातृ भाषा एक ऐसा शब्द है जो कि सभी द्वारा समझा जा सकता है। और जो परिभाषा निर्धारित की गयी है, वह भी सभी द्वारा आसानी से समझी जा सकती हैं। 'व्यक्ति की भाषा' के सम्बन्ध में परिभाषा करना आसान नहीं है।

अमरीकी कोयला मिशन

†२११७. श्री कुन्हन : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस अमरीकी कोयला मिशन से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि अभी हाल ही में यहां आया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। उस रिपोर्ट में कई बातें सम्मिलित हैं जैसे कि अनुसन्धान, कर्मचारी प्रशिक्षण, परिवहन सम्बन्धी सुविधायें तथा मालिक-कर्मचारी सम्बन्ध आदि ।

मनीपुर पुलिस

†२११८. श्री ब्रजराज सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के पुलिस सर्तकता विभाग (शाखा) द्वारा अभी तक कुल कितने मामले पकड़े गये हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(ग) उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) १५।

(ख) पांच मामलों के सम्बन्ध में विभागीय जांच प्रारम्भ की गयी । शेष मामलों के सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है । अभी तक किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया गया है ।

(ग) कुल २३ कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं जिनमें से १ प्रथम श्रेणी का, ४ द्वितीय श्रेणी के और १८ तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं ।

पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†२११९. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब की कितनी शिक्षा संस्थाओं ने अभी तक अनावर्तक अनुदानों के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) इन संस्थाओं में से प्रत्येक को कितना अनुदान मंजूर किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसंधान

†२१२०. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों में पंजाब विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक अनुसन्धान और अध्ययन के लिये क्या क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†भूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†२१२१. श्री बलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजनाकाल में हिमाचल प्रदेश और पंजाब को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये अभी तक कितनी राशि मंजूर की गयी है ; और

(ख) उनमें से अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६].

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि के गवर्नरों के बोर्ड की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की पन्द्रहवीं वार्षिक बैठक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नरों के बोर्ड की चौथी वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल टी—२५४७/६०]

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियमों में संशोधन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल टी–२५४८/६०]

खनिज रियायत नियमों में शुद्धि

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५९ की एक प्रति, जिसमें खनिज रियायत नियम, १९६० का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल टी—२५४९/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

निन्यानवेवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा : (बंगलोर) मैं स्वास्थ्य मंत्रालय-चिकित्सा सुविधायें (भाग १) के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के छत्तीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का निन्यानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा 'कुर्का' उप-काश्तकारों के विरुद्ध आरंभ की गई आक्रामक कार्यवाही

†श्री दशरथ देब : (त्रिपुरा) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"त्रपुरा में वैष्णवपुर में जोतदारों द्वारा कुर्का उपकाश्तकारों के विरूद्ध आरम्भ की गई आक्रमक कार्यवाही का समाचार ।"

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]

लाओस की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मैं प्रधान मंत्री की ओर से लाओस की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं ।

वियनशिएन में भयंकर लड़ाई के पश्चात् कुछ शांति सी मालूम होती है और जनरल फौमी नौसवान की सेनाओं ने वियनशिएन पर कब्जा कर लिया है मालूम होता है । हमें सूचना मिली है कि राजदूतावास के कर्मचारी सुरक्षित राजदूतावास के कर्मचारियों की कुछ स्त्रियां और बच्चे वियनशिएन से निकल कर बैंकाक पहुंच गए हैं। उन में से कुछ बैंकाक से हवाई जहाज द्वारा चलकर शनिवार, १७ दिसम्बर, १९६० को दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे बैंकाक स्थित राजदूतावास को निष्क्रमणार्थियों को प्रत्येक आवश्यक सहायता देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवम् संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्रधान मंत्री द्वारा १६ दिसम्बर को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा करेगी, अर्थात् :--

"कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण म अर्जित किए गए कुछ राज्य क्षेत्रों के आसाम, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्यों में विलय और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में हुए राज्यक्षेत्रों के पाकिस्तान को हस्तान्तरण को कार्यान्वित करने के लिये भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री वाजपेयी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने निवेदन किया था कि नेहरू-नून समझौता करने से पूर्व प्रधान मंत्री जी ने इस सदन को विश्वास में नहीं लिया । इस से पूर्व भी अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब विदेशों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर इस संसद् को विचार करने का अवसर नहीं दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्न केवल बेरूबाड़ी का ही नहीं है । अंग्रेजी सरकार के जाने के बाद भारत को तिब्बत में जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को हमने छोड़ दिया और उस विषय में कभी भी संसद् की स्वीकृति के लिए इस प्रश्न को उपस्थित नहीं किया । तिब्बत में अपने अधिकार छोड़ते समय हमने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि उस प्रश्न को सीमा के विवाद से जोड़ दें और हमारा जो भी सीमा का स्थायित्व है, उस के सम्बन्ध में हम चीन की पुष्टि प्राप्त कर लें । बर्मा के संबंध में भी हमारे प्रधान मंत्री जी इसी प्रकार की अनुचित सुविधा देने के दोषी हैं । जब देश स्वाधीन हो गया तो बर्मा के ऊपर हमारा ४८ करोड़ का कर्जा था । उस कर्जे को माफ करने से पहले इस संसद् को विश्वास में नहीं लिया गया । वहां के जो भारतीय हैं, उनकी सम्पत्ति जो आज कठिनाई में पड़ी हुई है, उन प्रश्नों का भी विचार नहीं किया गया । बाद में हमने २० करोड़ का ऋण बर्मा को और भी दिया । मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब कि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते करने का जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को प्रतिबन्धित किया जाए । अगर संविधान में संशोधन होना चाहिये तो बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपने के लिए ही नहीं बल्कि सरकार को ये जो संधियां इत्यादि करने का अधिकार है, इस को ले कर संशोधन इस तरह का होना चाहिये कि वे संधियां तब तक मान्य नहीं होंगी जब तक कि उन संधियों के ऊपर संसद् की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती। संधियां करने का जो अधिकार दिया गया है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और समय आ गया है कि इस अधिकार को मर्यादित किया जाए। बेरूबाड़ी का सवाल हो या पाकिस्तान से नहरी पानी समझौता करने का सवाल हो या पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को रेल गाड़ी ले जाने का सवाल हो, सरकार को संसद के विचार जानने के बाद ही कोई काम करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कल अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर लाइब्रेरी में कुछ नक्शे रखे गए थे और अनेक सदस्यों ने जा कर उन नक्शों को देखा । एक नक्शा तो वह था जिसे पश्चिमी बंगाल सरकार ने तैयार किया है और एक नक्शा ऐसा था जिस पर कि जस्टिस रैडक्लिफ के दस्तखत बताये जाते हैं। उन नक्शों के साथ जब हम ने रैडक्लिफ एवार्ड में दी गई व्याख्या को पढ़ा तो हम यह समझने में असमर्थ रहे कि आखिर बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को देना प्रधान मंत्री जी ने क्यों स्वीकार कर लिया । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह कौन सा नक्शा था जिस को सामने रख कर भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने बातचीत की । किस नक्शे को सामने रख कर बेरूबाड़ी का विभाजन करने का फैसला किया गया । यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि आखिर कौन से कारण हैं जिन के आधार पर हम यह समझते हैं कि अगर किसी अन्तर्राष्ट्रीय पंच को हमने फैसला के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाये गये बेरूबाड़ी के विवाद को सौंप दिया तो पूरा बेरूबाड़ी चला जाएगा ? हमारा जो केस है उस में कहां कठिनाई है ? कल नक्शे को देखने के बाद और रेडक्लिफ एवार्ड पढ़ने के बाद हम लोगों का तो यही मत बना कि भारत का केस मजबूत था और हम किसी भी स्थिति में आधा बेरूबाड़ी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिये था और अगर मामला अन्तर्राष्ट्रीय पंच को जाता तो इस बात की पूरी सम्भावना थी कि हमारे पक्ष में ही फैसला होता । कौन से ऐसे कारण हैं जिन से प्रेरित हो कर सरकार ने बेरुबाड़ी को पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया ।

इस बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिये कि जब आधा बेरूबाड़ी पाकिस्तान को देना मान लिया गया और प्रधान मंत्री जी के सामने स्पष्ट था कि वहां पर पूर्वी बंगाल से उजड़े हुए बन्धु रहते हैं जिन को कि एक बार फिर से बेघरबार होना पड़ेगा तो क्या पाकिस्तान के सामने इस बात को रखा गया या पाकिस्तान से कोई आश्वासन लिया गया कि उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी या उसका उन्हें पूरा मुआवजा मिलेगा ? जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अगर उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में जाने का निर्णय किया तो उन के साथ उचित व्यवहार होगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान से इस बाबत की गारण्टी ली गई है कि वह उन के साथ उचित व्यवहार करेगा ? क्या दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस समझौते को कार्यान्वित करने के बाद जो छः हजार व्यक्तियों पर असर पड़ेगा, उनका क्या होगा, इस बारे में भी विचार किया है ?

प्रधान मंत्री जी का यह कहना कि इन विस्थापित होने वाले व्यक्तियों का हम स्वागत करेंगे, आज की स्थिति में कोई बड़ा अर्थ नहीं रखता। पूर्वी बंगाल से जो विस्थापित आए हैं, उन के प्रति भारत सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकी है...

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : पालन किया है । मेरे जिले चम्पारन में ही चालीस हजार विस्थापितों को बसाया गया है । मैं आपको ....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप भी तो नियमों का पालन करें ।

श्री वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि जो बसाये जा चुके हैं उन के अलावा ऐसे कितने विस्थापित हैं जिनको अभी बसाना बाकी है । और आप बसाने के लिये दण्डकारण्य ले जायें, तो इस से किसी का समाधान नहीं हो सकता । लेकिन जो

विस्थापित अब भारत आयेंगे, उनकी सम्पत्ति का क्या होगा, पाकिस्तान कितना मुआवजा देगा, इसकी भी मांग क्या पाकिस्तान से की गई है ? उन्हें अपनी सम्पत्ति साथ लाने की छूट होगी या नहीं ? अगर वे पाकिस्तान में रहने का फैसला करते हैं तो उन के साथ पाकिस्तान किस तरह का व्यवहार करेगा, क्या ये सब चीजें, पाकिस्तान के साथ समझौता करते समय उठाई गई थीं और अगर नहीं उठाई गईं तो आज किस आधार पर कहा जा सकता है कि वे पाकिस्तान में रहना चाहें तो भारत के नागरिक रह कर भी पाकिस्तान में रह सकते हैं ? अगर वे पाकिस्तान में रह सकते होते तो एक बार उजड़ कर पाकिस्तान से आते नहीं ।

मेरा निवेदन है कि इस समझौते को कार्यान्वित करने से पूर्व इस बात की आवश्यकता है कि इस के सम्बन्ध में जनमत लिया जाए । मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है कि जनता की राय जानने के लिए इन विधेयकों को प्रचारित किया जाना चाहिये । आम चुनाव निकट आ रहें हैं। नेहरू-नून समझौते को अमल में लाने का काम अगर डेढ़ दो साल तक रोका जा सकता है तो इन विधेयकों को वैधानिकता का जामा पहनाने के काम को भी रोका जा सकता है । कल प्रधान मंत्री जी ने बताया कि नेहरू-नून समझौते को कार्यान्वित करने के लिये कोई डेड-लाइन नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है जिस के अन्तर्गत यह समझौता कार्यान्वित होना ही चाहिये । मेरा निवेदन है कि यह सदन बड़ी गलती करेगा, इस सदन के प्रति जनता ने जो विश्वास रखा है, उस विश्वास को झुटलाया जाएगा अगर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जनता की राय जाने बिना कोई फैसला कर लिया जाएगा । इसलिए मैं सदन से अपील करूंगा कि इन विधेयकों को जनमत जानने के लिये प्रचारित करने का जो मेरा संशोधन है, उसको स्वीकृत कर लिया जाए ।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : आज दो अत्यन्त नाजुक प्रश्नों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न है हमारी सरकार द्वारा एक विदेशी सरकार के साथ किए गए करार से संबंधित और दूसरा है उसके परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन से संबंधित। प्रजातन्त्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित नहीं होती है। फिर हमारा संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियां सीमित रखी गई हैं। केवल राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां ही सीमित नहीं हैं वरन् इस सभा की शक्तियां भी सीमित हैं। इसलिए संविधान में संशोधन की विधि भी ऐसी कठोर रखी गई है कि बराबर संशोधन न किए जा सकें। परन्तु चूंकि आज हमारे देश में जो दल सत्तारूढ़ है उसका बहुमत बहुत अधिक है इसलिए वह अपने बहुमत का प्रयोग अपने प्रत्येक कार्य को उचित सिद्ध करने के लिए करता है। यदि ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी तो प्रजातन्त्र कैसे टिक सकेगा ? प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष का सरकार पर प्रभाव अवश्य होना चाहिए और सरकार को अपने बहुमत का प्रयोग संविधान में बार बार परिवर्तन करने के लिए नहीं करना चाहिए ।

बेरूबाड़ी का प्रश्न बहुत स्पष्ट है । दो मध्यस्थ निर्णायक एक के बाद एक नियुक्त किए गए थे और उनमें से किसी के भी आगे बेरूबाड़ी का सवाल नहीं उठाया गया था। चाहे पंचाट में

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

गलती भी रही हो परन्तु पंचाट का कार्यान्वयन आवश्यक है। परन्तु यहां तो वह प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। इस मामले के संबंध में कोई विवाद ही नहीं था फिर भी सरकार यह कहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम करने के लिए वह आवश्यक था। आज को बेरूबाड़ी मांगा जाता है तो कल कलकत्ता की बारी भी आ सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब बेरूबाड़ी का पहले कोई सवाल नहीं उठाया गया था तो अब हम अपने विरोधी के सामने इस प्रकार क्यों झुक रहे हैं?

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि कार्यकारी सरकार को वैसा करने का अधिकार है और उसको न्यायपालिका को निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु बाद में जब वह मामला उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया तो उसने सर्व-सम्मति से यह निर्णय दिया कि सरकार ने अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है और बेरूबाड़ी के संबंध में विचार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उसके संबंध में कोई विवाद नहीं था। साथ ही सरकार की सहूलियत के लिए न्यायालय ने यह भी कहा कि यह कार्यवाही संविधान में संशोधन करके विधिवत् बनाई जा सकती है। इसी लिए यह संशोधन यहां लाया गया है। इसके द्वारा केवल अनुसूची में ही नहीं वरन् संविधान के पहले अनुच्छेद में भी परिवर्तन किया जा रहा है। यदि हम विरोध करते हैं तो प्रधान मंत्री हमारे सामने अनेक प्रकार के तर्क पेश करके हमें चुप कर देते हैं। परन्तु खेद है कि विरोधी देशों के आगे वह कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री का कार्य केवल विरोधी पक्ष के तर्कों का उत्तर देना नहीं है वरन् उन्हें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे दुश्मनों को कोई ऐसा लाभ प्रदान किया जाए जिससे हमें हानि पहुंचे।

कल उन्होंने कहा कि बेरूबाड़ी का हस्तान्तरण केवल भारत के लिए ही अच्छा नहीं है वरन बंगाल के लिए भी अच्छा है। मेरे विचार से बंगाल के संबंध में ऐसा कहना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। सभा के बंगाली कांग्रेसी सदस्य बंगाल में तो बेरूबाड़ी के हस्तान्तरण का विरोध करते हैं परन्तु यहां आकर सरकार का समर्थन करने लगते हैं। ऐसे राज्य के प्रति किसी को कोई सहानुभूति कैसे हो सकती है? इसलिए यह कहना निरर्थक है कि बंगाल का ध्यान नहीं किया जाता है।

फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमें इस करार को नहीं मानना चाहिए क्योंकि जो राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा रहा है उसमें हिन्दुओं का बहुमत है? वे एक बार पाकिस्तान छोड़ चुके हैं फिर उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह सभा सरकार का विरोध करने में सर्वथा समर्थ है परन्तु दुर्भाग्यवश विरोधी पक्ष के पास वैसा करने की शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हम इस करार को नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान को शिकायत करने का मौका मिलेगा और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारी बात का गलत अर्थ लगाया जाएगा। अतः हमें इस करार का पालन करना ही होगा। परन्तु उससे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति नहीं रह सकेगी जैसी की आशा की जा रही है।

अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार के लिए अपने बहुमत के बल पर संविधान में बारबार परिवर्तन करना उचित नहीं है। ऐसा करने से संविधान की भावना का उल्लंघन होता है। परन्तु खेद है कि सरकार का इतना बहुमत है कि वह आवश्यक मत प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह करार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति नहीं रख सकेगा। मैं समझता हूं कि जब यह बातचीत

हुई थी तो किसी कानूनी जानकार को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। मैं आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेगी और हमसे संविधान में बार-बार परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): मैं आपका और प्रधान मंत्री का अत्यन्त आभारी हूं कि मुझे बंगाल के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की हैसियत से बोलने की अनुमति दी गई है।

हमें अपनी स्वतंत्रता का बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ा था क्योंकि हमारी मातृभूमि खंडित हो गई थी। वैसे तो पंजाब और बंगाल दोनों को ही धक्का लगा परन्तु उन दोनों में भी बंगाल की हानि अधिक रही है क्योंकि पंजाब में जो जन और धन की क्षति हुई थी उसको वहां के मुसलमानों के निष्क्रमण के परिणामस्वरूप छोड़ी गई सम्पत्ति से कुछ क्षतिपूर्ति हो गई थी परन्तु जहां तक बंगाल का संबंध है वहां इस प्रकार का कोई निष्क्रमण नहीं हुआ। पाकिस्तान से लगभग ६० लाख हिन्दुओं को भारत आना पड़ा परन्तु मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल से ६०० मुसलमान भी पाकिस्तान नहीं गए हैं। यही नहीं जितने गए भी थे वे भी शीघ्र लौट कर आ गए। इससे बंगाल के लिए एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः बंगाल का घाव बड़ा गम्भीर है तथा वह अभी तक भर नहीं सका है।

जहां तक अविभाजित बंगाल के भारत और पाकिस्तान में विभाजन का संबंध है, वह अनेक क्षेत्रों में अत्यन्त कृत्रिम रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि एक मकान का आधा भाग पाकिस्तान में चला गया है और आधा भारत में रह गया है। इस प्रकार की स्थिति से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यदि उस क्षेत्र में कोई साधारण सी चोरी भी हो जाती है तो वह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। इसलिए हमारे प्रशासन के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

इन कठिनाइयों को हल करने के लिए कुछ समय पूर्व हमारे प्रधान मंत्री और श्री फीरोज खां नून के बीच बातचीत हुई थी और तब से अनेक बार इस प्रकार की बातचीत हो चुकी है और कुछ करार किए गए हैं। वर्तमान करार में एक पद बेरूबाड़ी यूनियन संख्या १२ के संबंध में है। जो विधेयक माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश किये गए हैं वे उन समस्त करारों पर आधारित हैं जो १० सितम्बर, १९५८ से लेकर अभी तक हुए हैं। मैं अपनी बात केवल बेरूबाड़ी यूनियन संख्या १२ तक ही सीमित रखूंगा।

प्रधान मंत्री ने कल अपने भाषण में इस संबंध में एक विचित्र कठिनाई का निर्देश किया था। इस प्रश्न के चार पहलू हैं: वैधानिक, कानूनी, राजनैतिक और मानवीय। मैं केवल राजनैतिक और मानवीय पहलुओं का निर्देश करूंगा। प्रधान मंत्री ने कल समावृत्त बस्तियों की कठिनाइयों का निर्देश किया था। हमारे कुछ राज्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल में फैले हुए हैं और उनके कुछ राज्य क्षेत्र हमारे भाग में फैले हुए हैं यद्यपि उनका आकार छोटा है। हमारी समावृत बस्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग १९,००० एकड़ है और पाकिस्तानी समावृत बस्तियों का क्षेत्रफल लगभग १२,००० एकड़ है। अर्थात् हमारी समावृत बस्तियों का क्षेत्र फल ७००० एकड़ ज्यादा है।

इन समावृत बस्तियों का प्रशासन हमारे प्रशासन के लिए एक भयंकर सरदर्द है। इनमें से कुछ बस्तियां तो बहुत ही छोटी हैं जिनमें केवल दो तीन मकान हैं। हम वहां पहुंच ही नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

पाते क्योंकि हमें पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में होकर गुजरना पड़ता है। राशनिंग के दिनों में भी हम वहां मिट्टी का तेल, चीनी या कपड़ा नहीं पहुंचा सके। वास्तव में वहां के लोगों को, जो प्रायः सभी हिन्दू हैं, हमारे प्रशासन के लाभ प्राप्त नहीं हैं। हम उनको कानून तोड़ने वालों से सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर सके हैं। यदि वहां कोई चोरी या डकैती होती है तो पुलिस को वहां पहुंच कर जांच करने में महीनों लग जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी क्षेत्र से गुजरने के लिए पाकिस्तान की अनुमति लेनी पड़ती है।

मुझे याद है कि जब मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय में था तो वहां के लोगों की ओर से बड़ी करुणापूर्ण अपीलें आया करती थीं। हमने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक बार पाकिस्तान से अदलाबदली की लिखापढ़ी भी की है परन्तु कठिनाई यह है कि एक तो हमारा क्षेत्र ७००० एकड़ अधिक है और दूसरे पाकिस्तानी समावृत बस्तियां ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां मुसलमानों की आबादी ही अधिक है। इसलिए पाकिस्तानी समावृत बस्तियों के मुसलमान नागरिक अपने मुख्य देश को आसानी से आ जा सकते हैं। परन्तु जहां तक हमारी समावृत्त बस्तियों का सम्बन्ध है, वहां के सब लोग हिन्दू हैं जो चारों ओर पाकिस्तान के मुसलमानों से घिरे हुए हैं जिनका उनके प्रति व्यवहार मित्रतापूर्ण नहीं है। उनके लिए हमारे प्रशासन से सम्बन्ध स्थापित करना असंभव है। इस प्रकार इन समावृत बस्तियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान की स्थिति अधिक अच्छी है। अतः वे कहते थे कि एक दूसरे की समावृत बस्तियों का सामूहिक आदान-प्रदान होना चाहिए। परन्तु हम चाहते थे कि हमें अपने ७००० एकड़ अधिक क्षेत्र के लिए कुछ प्रतिकर दिया जाये। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। हाल में इस १० सितम्बर, १९५८ के करार के अन्तर्गत हमने इन समावृत बस्तियों के सामूहिक आदान प्रदान को स्वीकार कर लिया है। परन्तु हमें अपनी ७००० एकड़ भूमि के चले जाने का दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उनका प्रशासन करने में असमर्थ थे। उसके पाकिस्तान में चले जाने से वहां के लोगों को प्रशासन के लाभ तो मिल सकेंगे।

फिर मैं बेरूबाड़ी पर आता हूं जो क्षेत्र कि हमारे कब्जे में है और हमारी राय में हमारे ही राज्य-क्षेत्र में आता है। हम समझते हैं कि हिली क्षेत्र भी हमारा है। परन्तु इन दोनों को ही पाकिस्तान अपना बताता है। १० सितम्बर, १९५८ के करार द्वारा पाकिस्तान ने हिली पर अपना दावा छोड़ दिया है और हम ने बेरूबाड़ी को ५०:५० के आधार पर विभाजित करने का निर्णय किया है। यह कोई न्यायिक घोषणा नहीं है जिसमें प्रत्येक तथ्य को न्याय की तुला पर तोला गया हो वरन् कार्यकारिणी सरकार का बन्दोबस्त है ताकि सीमान्त की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। हम दोनों को अपने अपने सीमान्तों का सही पता चल जायेगा और साथ ही चोरियां, डकैतियां तथा अन्य कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी। जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा था यह एक समग्र समझौते का अंश है और हमें उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए।

इस करार के परिणामस्वरूप हम अपना ४.३५७ वर्ग मील अथवा २८०० एकड़ राज्य-क्षेत्र खो रहे हैं। १९५१ की जनसंख्या के अनुसार उसकी जनसंख्या लगभ ६००० है। उनमें मुसलमान बहुत कम हैं और प्रायः सभी हिन्दू हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार के हाल के अनुमान के अनुसार बेरुबाड़ी यूनियन संख्या १२ की जनसंख्या लगभग १२,००० है। इसलिए लगभग ६००० व्यक्ति प्रभावित होंगे जिनमें से अधिकांश शरणार्थी हैं जो उस क्षेत्र में पाकिस्तान छोड़ कर आ बसे थे। उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है और मैं समझता हूं कि उनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सहानुभूति होगी। प्रधान मंत्री को भी अन्य लोगों से कम सहानुभूति नहीं है। यह ठीक है कि बेरूबाड़ी सम्बन्धी करार ठीक नहीं है परन्तु जिस तरीके से वह किया गया है उसमें कोई अपराध की बात नहीं

है । इसलिए विरोधी पक्ष के नेताओं की बातें सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । जहां तक साम्यवादी नेताओं का सम्बन्ध है पता नहीं वे किस मुंह से प्रधान मंत्री का विरोध कर रहे हैं जब कि चीन द्वारा हमारे हजारों वर्ग मील राज्य-क्षेत्र पर कब्जा किये जाने के समय उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी ?

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात की याद आ रही है । जब मैं एक प्रतिनिधिमण्डल के नेता के रूप में चीन गया था तो वहां सभी लोगों ने भारत के प्रति अत्यधिक मैत्री भावना प्रकट की थी । उन्होंने कहा था कि हम अपनी मैत्री से हिमालय को हटा देंगे । उस समय मैं इस बात को ठीक तरह नहीं समझा था कि हिमालय को हटाने का क्या तात्पर्य है ।

माननीय श्री मुकर्जी ने कहा कि क्या हमारे नागरिक निर्जीव हैं जिन्हें प्रधान मंत्री अपनी इच्छानुसार एक राज्य से दूसरे में फेंक दें ? उन्होंने इतिहास का सहारा लेकर १८१५ का निर्देश किया जबकि मैटरनिख, ज़ार अलैक्जेंडर आदि ने योरप के नक्शे का नवनिर्माण किया था । मेरा निवेदन है कि वह इतनी दूर क्यों जाते हैं और स्टालिन को ही क्यों नहीं ले लेते । जब स्टालिन ने पूर्वी योरप के नक्शे को यदला था तो क्या एस्टोनिया, लटविया, लुथुएनिया और पोलेंड की जनता से कोई परामर्श किया था ?

इस के बाद मैं बेरूबाड़ी के लोगों के प्रश्न पर आता हूं जिनको इस करार के परिणामस्वरूप पाकिस्तान जाना होगा क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के लिए सम्मान-पूर्वक रहना सम्भव नहीं है । इसलिए हमें उन ६००० लोगों के पुनर्वास का प्रबन्ध करना चाहिए । हमें २८०० एकड़ राज्य-क्षेत्र के जाने का उतना दुख नहीं है जितनी कि इन ६००० हिन्दुओं के भाग्य की चिन्ता है जिन्हें अब दूसरी बार अपने घरों से उखड़ना होगा । हमें उनके इसी देश में शीघ्र पुनर्वास के लिए प्रत्येक सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव माननीय प्रधान मंत्री को देना चाहता हूं । ये ६००० लोग मोटे तौर से १००० परिवारों में विभाजित होंगे । मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या अधिक होने पर भी १००० परिवारों का बसाया जाना असंभव नहीं है । फिर भी मेरी अपनी राय यह है कि वे दंडकारण्य अथवा अण्डमान में जाकर बस जायें क्योंकि मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हम बंगालियों को अपना प्रान्त छोड़ कर अन्य भागों में बसना चाहिए । हमें कुछ भागों में बुरे अनुभव हुए हैं परन्तु फिर भी इस विशाल देश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां बंगालियों का स्वागत होगा ।

यदि ये १००० परिवार अपनी इच्छा से अण्डमान या दंडकारण्य जाने को तैयार न हों तो हमें उनके अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में बसाने के कार्य को सर्वाधिक अधिमान्यता देनी चाहिए । जलपाईगुरी जिले में, जिसमें बेरूबाड़ी आता है, लगभग २०० चाय के बाग हैं और प्रत्येक बाग के साथ भावी विस्तार के लिए कुछ भूमि रखी जाती है । मैं चाय की खेती के राष्ट्रीय महत्व को समझता हूं क्योंकि उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है । परन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक बाग में ५ परिवार बसाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि बागों के मालिक उनको बसाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अधिकाधिक २५ एकड़ भूमि देनी पड़ेगी । यदि आवश्यकता पड़े तो विधान बना कर भी उन्हें पांच परिवारों को जगह देने के लिए बाध्य किया जा सकता है ।

दूसरी बात यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास पर जो धन खर्च किया था वह हमारी सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार को देना चाहिए क्योंकि जब दोनों प्रधान मंत्रियों

[श्री अनिल कु० चन्दा]

ने करार किया था तो पश्चिमी बंगाल सरकार से परामर्श नहीं किया गया था । वह राशि लगभग ३ या ४ लाख रुपये के होगी इसलिए हमारे ऊपर भार भी अधिक नहीं पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस राशि के पश्चिमी बंगाल सरकार को भुगतान में कोई आपत्ति नहीं करेंगे ।

तीसरी बात यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के पुनर्वास मंत्री श्री पी० सी० सेन को तुरन्त कुछ विश्वस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए । उन्हें घर-घर जाकर लोगों को इस करार का इतिहास समझाना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उनके पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है । सामान्य निर्वाचन अब दूर नहीं हैं इसलिए राजनैतिक दल इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । अभी समय है कि हम स्थिति को संभाल लें ।

अन्त में मैं कुछ शब्द पाकिस्तानी प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । प्रेसीडेण्ट अयूब भारत के साथ मित्रता की बात तो बहुत करते हैं परन्तु उन्होंने बेरूबाड़ी के बदले में दिये जाने वाले वैकल्पिक क्षेत्रों के सुझाव को ठुकरा कर हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है । बेरूबाड़ी का पाकिस्तान के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि वहां न खनिज हैं और न अन्य कोई विशेष बात है । यदि वहां वास्तव में भारत के मैत्री के इच्छुक थे तो वह वैकल्पिक क्षेत्र स्वीकार कर सकते थे । यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं ।

†डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट) : ये विधेयक हमारी सरकार और पाकिस्तान के बीच हुए करार को क्रियान्वित करने के लिए पुरःस्थापित किये गये हैं । चूंकि इस करार के परिणाम-स्वरूप बहुत से लोगों को अपने घरबार छोड़ने होंगे इसलिए पश्चिमी बंगाल के लोग इस मामले में बहुत भावुक हो गये हैं ।

इस करार के दो भाग हैं : कुछ राज्य क्षेत्रों का अर्जन और कुछ राज्यक्षेत्रों का हस्तान्तरण । जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, उसके लिए किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है । परन्तु राज्यक्षेत्र के हस्तान्तरण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा । यह दो तरीकों से किया जा सकता है । एक तरीका तो यह है कि संविधान की अनुसूची में संशोधन किया जाये जिसमें विभिन्न राज्यों के राज्यक्षेत्रों की व्याख्या की गई है । उसमें से उन भागों को निकाल देना होगा जो पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं । दूसरा तरीका है अनुच्छेद ३ में संशोधन करके संसद को राज्यक्षेत्र देने की शक्ति प्रदान करना । परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि संसार के किसी भी संविधान में राज्यक्षेत्र के हस्तान्तरण के लिए उपबन्ध नहीं किया जाता है । इसलिए हम पहला तरीका ही अपना रहे हैं और जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसमें संविधान की अनुसूची १ में संशोधन का उपबन्ध है ।

जब हम अपना राज्यक्षेत्र किसी अन्य देश को देते हैं तो उसके सम्बन्ध में देश में भावना उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है । परन्तु इस मामले में यह भावुकता कुछ अधिक उत्पन्न हुई है क्योंकि एक ऐसे राज्य का भूभाग दिया जा रहा है जो स्वतंत्रता का पहले भी काफी मूल्य दे चुका है । हमें यह महसूस करना चाहिए उस क्षेत्र के लोग एक बार अपने घरों से उजड़ चुके हैं और उन्हें पुनः नई जगह में बसना होगा । यह मामला ऐसा है जिसके सम्बन्ध में केवल सरकार की ही नहीं वरन् संसद की भी विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए । यह एक मानवीय प्रश्न है और उसके सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि हम केवल बेरूबाड़ी के शरणार्थियों की समस्या पर

†मूल अंग्रेजी में

विचार करेंगे। वास्तव में हमें समस्त पश्चिमी बंगाल की समस्याओं पर विचार करना चाहिए और योजना आयोग पर कुछ जोर डालना चाहिए कि वह नये सिरे से उस राज्य की विशेष स्थिति पर विचार करे और हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि बंगाल को विशेष सुविधायें दी जायें।

इसके बाद हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह कहना ठीक है कि यह करार ठीक नहीं है और इसका समर्थन करने का केवल यह कारण है कि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय करार है और उसको न मानना संसद् के लिए ठीक नहीं होगा? यह कहना है तो ठीक परन्तु साथ ही हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि ये करार सीमान्त दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किए गए हैं। जिन राज्य क्षेत्रों का आदानप्रदान किया जा रहा है वे अधिकांश में समावृत बस्तियां हैं जिनके कारण हमेशा झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा हमें अपने राज्य क्षेत्र के बदले में कुछ कम भाग मिला है। परन्तु मेरा विचार है कि यदि थोड़ा सा राज्य क्षेत्र खोकर झगड़े दूर हो सकते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है। वास्तव में बेरूबाड़ी का हस्तान्तरण इसी विचार से किया जा रहा है। इस दृष्टि से बेरूबाड़ी का हस्तान्तरण रोका नहीं जा सकता है और यद्यपि उसके परिणामस्वरूप हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई तरीका ही नहीं है जिससे दोनों देशों के बीच शांति रह सके। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय करार है इसलिए संसद् को उसका समर्थन अवश्य करना चाहिए।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ीरोज़पुर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो यह एग्रीमेंट हुआ है और जिस के नतीजे के तौर पर पंजाब का कुछ इलाका पाकिस्तान में जाना है और पाकिस्तान का कुछ इलाका भारत में आना है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पंजाब के लोग और वहां की सरकार इस एग्रीमेंट पर खुश है और इसको वैलकम करती है।

आप जानते ही हैं कि पिछले दस बारह सालों में पंजाब के बोर्डर पर, चाहे वह फीरोज़पुर का हो, चाहे अमृतसर का हो, चाहे गुरदासपुर का हो कई बार गोलियां चलती रही हैं, कई बार हमले होते रहे हैं, मवेशी उठा कर पाकिस्तान में ले जाते रहे हैं जिन को वापिस नहीं किया गया है। इन एग्रीमेंट्स का एक नतीजा यह निकला है कि कम से कम वहां कुछ अमन हुआ है, कुछ शान्ति हुई है। आप जानते ही हैं कि बोर्डर के दोनों तरफ बहादुर किसान, मजबूत आदमी रहते हैं। जहां पर ऐसा हो वहां पर यही बेहतर हो सकता है कि इस किस्म का कोई एग्रीमेंट कर दिया जाए, कोई समझौता कर लिया जाए ताकि इस तरह की बातें न होने पायें। जब से यह समझौता हुआ है उसके बाद से मैं यह कह सकता हूं कि वहां बहुत कम हमले हुए हैं और अगर कोई वारदातें हुई भी हैं तो वे ज़ाती दुश्मनी की बिना पर हुई हैं या जो स्मगलर्ज़ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जाती हैं, वह की गई है। आए दिन जो वारदातें हुआ करती थीं, वे अब नहीं हो रही हैं और अब बोर्डर पर काफी हद तक शान्ति है।

जहां तक डिसप्यूट्स का सम्बन्ध है, अमृतसर में दो जगहों पर वह था। वह कोई बड़ा डिसप्यूट नहीं था। एक जगह हिन्दुस्तान ने २३९ एकड़ के करीब लेना मान लिया है और दूसरी जगह पर ५० एकड़ के करीब देना मान लिया है।

दूसरा डिसप्यूट फीरोज़पुर के कुछ इलाके के बारे में था। वहां पर एक हुसैनीवाला का डिसप्यूट था और उसके बारे में हमें पहले ही इल्म था कि जो हुसैनीवाला की ज़मीन है, वह फीरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और रैडक्लिफ एवार्ड के मुताबिक भी हिन्दुस्तान में ही है। हुसैनी-

[सरदार इकबाल सिंह]

वाला हैडवर्क्स पर आज से कोई २८—३० वर्ष पहले सरदार भगत सिंह जी की अर्थी लाई गई थी और वहां पर उनका अन्तिम संस्कार किया गया था। वह जगह जहां यह संस्कार किया गया था हिन्दुस्तान में है। उस जगह पर हर साल लोग अपने बहादुर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जमा हुआ करते थे लेकिन इन पिछले तेरह वर्षों में वे ऐसा नहीं कर सके थे। इमोशनली पंजाब के लोग और आम तौर पर हिन्दुस्तान के लोग चाहते थे कि वह एरिया हिन्दुस्तान में आ जाए उस एरिया के लोग हमेशा ही सरदार भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बैसाखी के रोज़ जमा हुआ करते थे। उनकी यादगार में वहां के लोग एक मैमोरियल खड़ा करना चाहते हैं और इस काम में पंजाब सरकार और गवर्नमेंट आफ इंडिया शायद सहायता दे। इस वास्ते मैं समझता हूं कि साइकौलोजिकली और इमोशनली भी उस एरिया को हिन्दुस्तान को लेना चाहिये था। आज हुसैनीवाला के हैडवर्क्स पर जो फैसला हुआ है जोकि उसके मुताबिक १०.३५ मील का इलाका हिन्दुस्तान में आ जाएगा और वह वही इलाका है जो फीरोज़पुर का हिस्सा था। वहां से पाकिस्तान के आदमी पीछे हट जायेंगे जो कि बहुत खुशी की बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

फीरोज़पुर, लाहौर, मोंटगुमरी बोर्डर पर भी कुछ डिसप्यूट था और वह सतलुज दरिया के कोर्स को ले कर खड़ा हुआ था। सतलुज के इस तरफ हिन्दुस्तान की मिलिटरी और पी० ए० पी० थी और लोग इधर बैठे हुए थे, और सतलुज के उस पार पाकिस्तान का कब्ज़ा था। लेकिन अब जो बाइंडरी बनेगी वह लाहौर, फीरोज़पुर, मोंटगुमरी डिस्ट्रिक्टस की बाउंडरीज़ को आधार मान कर बनेगी। और इस बाउंडरी के बनने के बाद कुछ गांव उधर जायेंगे और कुछ गांव इधर आयेंगे और इन गांवों के आने जाने से सारे पंजाब में तकरीबन १५०० फैमिलीज डिस्लोकेट होंगी। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई ७३५ फैमिली डिस्लोकेट होंगी। मैं यह मानता हूं कि २४,००० एकड़ के करीब हिन्दुस्तान की जमीन पाकिस्तान को जानी है और ५१,००० एकड़ के करीब जगह पाकिस्तान से हिन्दुस्तान को लेनी है। लेकिन जो हिस्सा हम को लेना है वह बंजर है और गवर्नमेंट आफ इंडिया का फर्ज है कि वहां के लोगों को सेटल करे। हम ने जो फैसले किये हैं उन के मुताबिक आप उन को जमीन दे दें। वे उस को खुशी से स्वीकार करेंगे और न सिर्फ खुशी से स्वीकार करेंगे बल्कि उस का समर्थन भी करेंगे। मैं उन के गांवों में गया हूं और वहां जा कर मैंने यही समझा है। अभी मैं अपने अपोजीशन वाले भाइयों की बातें सुन रहा था। वाजपेयी साहब ने कहा कि वहां के आदमियों की राय ली जानी चाहिये। मैं उन से इतना ही कहना चाहता हूं कि उन आदमियों की राय न सिर्फ इस के हक में है कि जो फैसला हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है वह एक बेहतरीन फैसला है, बल्कि वह लोग उस फैसले पर चलते हुए हमारे प्रधान मंत्री और हिन्दुस्तान की सरकार के कहने पर अपने अपने घरों से दुबारा उठने के लिये तैयार हैं और खुशी से वे इस बात को कबूल करते हैं। मुझ से तो वह यह कहने लगे कि वे इस मौके को सेलेबरेट करेंगे। मैं बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि हमारे प्रधान मंत्री के फैसलों पर और गवर्नमेंट आफ इंडिया के फैसलों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और हमारे अपोजीशन वाले भाई चाहे कुछ भी कहें वहां के लोग इस फैसले को खुशी से कबूल करते हैं।

इस सिलसिले में वहां के लोगों की बहुत सी प्राब्लेम्स हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जो दरिया के इधर आने वाले हैं और बहुत से गांव जो दरिया के इस तरफ थे वे पाकिस्तान को जाने वाले हैं। हिन्दुस्तान की जो जमीन थी वह बड़ी फर्टाइल थी। इस लिये जिन लोगों की जमीन उधर

जायेगी उन के बड़े बड़े मसले हैं। मेरा गवर्नमेंट आफ इंडिया से यही कहना है कि उन प्राब्लेम्स के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को कुछ न कुछ एनैक्टमेंट करना चाहिये। पिछले दिन तक एक जगह ऐसी थी जिस पर हिन्दुस्तान का कब्जा था लेकिन रैडक्लिफ ऐवार्ड के मुताबिक वह पाकिस्तान के अन्दर थी। वहां एक कत्ल हुआ, और कुछ लीगल प्वाइंट्स पैदा हुए। लाइअर्स ने कहा कि इस कत्ल के मामले को हिन्दुस्तान की सरकार, हिन्दुस्तान की पुलिस और मैजिस्ट्रेसी ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि यह पाकिस्तान का एक हिस्सा है। वह गांव आज भी पाकिस्तान को जायेगा क्योंकि रैडक्लिफ ऐवार्ड के मुताबिक वह पाकिस्तान का था। इस तरह के काम्प्लिकेशन्स पैदा होते हैं। इस लिये जो भी फैसला हुआ है वह ठीक हुआ, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया उन के रिलीफ के लिये कुछ न कुछ करे। मैं अक्सर यहां पर क्वेश्चन करता रहा हूं कि दरिया अपनी धार बदल लेती है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है और कुछ यहां आ जाता है। हर साल जो लोग इस तरह से वहां से उठते हैं उन की प्राब्लेम्स पैदा होती रहती हैं, इस लिये उन के रिलीफ के लिये यहां पर कुछ न कुछ एनैक्टमेंट होना चाहिये।

अब मैं सुलेमानी के बारे में कहना चाहता हूं। सुलेमानी हेडवर्क्स के बारे में जो फैसला किया गया है उस के मुताबिक वह हिन्दुस्तान का हिस्सा था, लीगली भी हिन्दुस्तान का हिस्सा था और वैसे भी हिन्दुस्तान का हिस्सा था फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हम ने एक ऐग्रीमेंट में उसे पाकिस्तान को दे दिया। इस पर पाकिस्तान का क्लेम था लेकिन खास मजबूत क्लेम नहीं था। इस लिये दिया कि हम हुसैनीवाला का फायदा उठाना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम हुसैनीवाला में उतनी जमीन लें जितनी जमीन हम उन को दे रहे थे। हुसैनीवाला में क्यों लेना चाहते थे, यह मैं पहले बतला चुका हूं। वहां पर सरदार भगत सिंह की समाधि है, और हम चाहते थे कि उस के बारे में फैसला हो जाय। वहां २१०० के करीब पयपुलेशन है। वहां से उठ कर दूसरे गांव में जा कर उन को बैठना है। लेकिन उन के सामने मसले बहुत हैं। उन की वहां पर जमीन बहुत है। वह कहते हैं कि एक दफा जमीन दी जाय, लेकिन चूंकि वे हिन्दुस्तानी थे, पाकिस्तानी नहीं थे, इस लिये रिहैबिलिटेशन ऐक्ट उन की मदद के लिये नहीं आयेगा। इस लिये उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया को सोचना चाहिये। वे आदमी वहां से उठना खुशी से मंजूर करते हैं। मैं उस इलाके की तरफ से, उस इलाके के आदमियों की तरफ से कहता हूं कि वे लोग इस ऐग्रिमेंट को वेलकम करते हैं। जो भाई इस एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और अपना पोलिटिकल आधार बनाना चाहते हैं, मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोज़पुर में अब कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यह विश्वास न करता हो और उसे यह समझाया जाय कि हिन्दुस्तान का और पाकिस्तान का, आप की कंट्री का और आप का हित इसी में है कि इस फैसले को मान लिया जाय। मैं उन के गांव में गया, वे यही कहना चाहते हैं कि हम खुशी से प्रधान मंत्री के फैसले के मुताबिक अपनी जगह से उठेंगे और इस के लिये जो भी मुसीबत होगी उसे कबूल करेंगे, जो तकलीफें होंगी, उन को कबूल करेंगे ताकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन्स बेहतर हों।

इन अल्फाज़ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग इस ऐग्रिमेंट के हिस्सों की पूरी तरह हिमायत करते हैं और मैं उन की तरफ से कहना चाहता हूं कि वहां के लोग भी पूरी तौर पर इस से मुत्तफिक हैं, और यह उन से कहना चाहता हूं जो कि यह कहते थे कि लोगों की राय ले ली जाय।

†श्रीमती मंजुला देवी (ग्वालपाड़ा) : भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद का निबटारा करने के लिये एक समझौता किया गया और उसे क्रियान्वित करने के पूर्व उसे संसद् के

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मंजुला देवी]

सम्मुख स्वीकृति के लिये रखा गया है अतः इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है जैसा कि कई विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा है। मैं प्रधान मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस विवाद का शान्तिपूर्ण निबटारा किया है।

इस समझौते के अनुसार हमने केवल अपने राज्य का क्षेत्र ही नहीं दिया है अपितु उनका भी क्षेत्र लिया है, समझौते में इस प्रकार का लेना देना दोनों ही ओर से होता है, राष्ट्र के हित में ऐसे समझौतों के समय हमें राज्य विशेष या कुछ लोगों के हित पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये, निस्संदेह उन्हें कुछ कठिनाई होगी तथापि राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये हमें कुछ त्याग करना ही पड़ता है।

मैं संसद् से अनुरोध करती हूं कि वे प्रधान मंत्री द्वारा किये गये समझौते का समर्थन करें। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा कायम करें। । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यदि पाकिस्तान बेरूबारी के निवासियों को नागरिकता प्रदान न करे तो भारत को चाहिये कि वह उन्हें पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान करे और उन्हें इस हस्तान्तरण से जो भी कठिनाइयां हुई हों उन्हें दूर करे।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : प्रधान मंत्री ने इस समझौते के मानवीय पक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा है, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इसके परिणामस्वरूप लगभग ६००० व्यक्तियों को अपने जीवन में दोबारा शरणार्थी होना पड़ेगा, अतः उनका दुख दर्द केवल वही समझ सकते हैं। मैं केवल यही आशा करता हूं कि हमारे इतिहास में ऐसी विपत्ति दुबारा न आये।

मेरे विचार से इसमें संविधान के विरुद्ध कोई बात नहीं की गई है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपना प्रदेश दूसरे राष्ट्र को दे सकता है और दूसरा प्रदेश अर्जित भी कर सकता है, अतः मेरे विचार में इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है।

तथापि राजनैतिक दृष्टिकोण से यह समझौता ग़लत किया गया है। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि यदि यह समझौता प्रधान मंत्री ने किया है तो इसमें कोई आध्यात्मिकता आ जाती है, प्रधान मंत्री को निस्संदेह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करने का अधिकार है तथापि ऐसे समझौतों को संसद् का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। यह अधिकार संसद् के हाथों में है कि वह इसका समर्थन करे या इसे अस्वीकार करे। संसद् को इस समझौते की आलोचना करने का पूरा अधिकार है।

मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि संसद् को नेहरू–नून समझौते पर चर्चा करने का कभी अवसर नहीं दिया गया। हमारे सामने विधेयकों के रूप में केवल वह वस्तु रखी गई जो कि पहले ही हो चुकी है। यह कहा गया है कि यह समझौता शान्ति तथा मित्रता को बनाये रखने के इरादे से किया गया है मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कोई मित्रता कायम नहीं रह सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने सिन्धु-जल-सन्धि के तथा इन क्षेत्रों के हस्तान्तरण के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान की फेनी नदी का जल एकपक्षीय तरीके से रोक दिया। एक प्रश्न के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने यह भी स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने त्रिपुरा के जलेया क्षेत्र पर बलात् कब्जा कर लिया। इन बातों से पाकिस्तान की मित्रता में संदेह पैदा होने लगता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सदैव इस मत का रहा हूं कि हमें पाकिस्तान से पूर्ण समझौता कर लेना चाहिये, क्योंकि इससे काश्मीर में लगी हुई हमारी सेनाओं को मुक्ति मिल जायेगी । तथापि इसकी भी कोई आशा नहीं दिखायी देती है । क्योंकि अभी हाल पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि वे भारत नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचार से यहां आने पर उनका कोई प्रयोजन हल नहीं होगा । मैं इस प्रकार कई उदाहरण दे सकता हूं कि पाकिस्तान की मैत्री के लिये हम दुर्लभ वस्तुओं का परित्याग कर रहे हैं जब कि उनके स्थान पर जो वस्तु हमें प्राप्त हो रही है वह तुच्छ है ।

अन्त में, मैं प्रधान मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे भविष्य में ऐसी परम्परा कायम करें कि इस प्रकार के समझौते या करार करने के पूर्व संसद की राय अवश्य जानी जाय और संसद को समझौता करने के पूर्व ही स्थिति बतलाई जाय । समझौता होने के पश्चात् उसके समक्ष बातें रखने से कोई लाभ नहीं है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : इन विधेयकों के सम्बन्ध में देश में बहुत भावावेश फैला हुआ है और पश्चिमी बंगाल में इसी बात को लेकर हड़ताल भी हो रही है । मेरे विचार से उनका ऐसा करना उचित भी है, तथा मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रधान मंत्री को प्रत्येक समझौता करने के पूर्व संसद से अनुमति लेनी चाहिये, इसके विपरीत मुझे विश्वास है देश के प्रधान मंत्री पर विश्वास है और वे देश के हित में जो समझौता चाहें कर सकते हैं । आचार्य कृपलानी का यह कहना ठीक नहीं है कि वे देश को प्यार नहीं करते हैं मैं दावे से कह सकती हूं कि कांग्रेस दल से या प्रधान मंत्री से अधिक देश को शायद ही कोई प्यार करता है, जब प्रधान मंत्री ने कोई समझौता किया है और कांग्रेस दल उसका अनुसमर्थन कर रहा है तो हमें प्रधान मंत्री का निश्चित समर्थन करना चाहिये ।

तथापि इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि भविष्य में राज्य तथा केन्द्र के बीच अधिक सहयोग से काम होना चाहिये, जिससे कि इस प्रकार का विवाद न उठने पावें, यद्यपि इस सम्बन्ध में नकशों को पुस्तकालय में रखा गया है तो भी उनके सम्बन्ध में अधिक प्रचार नहीं किया गया है ।

भारत की सदैव से ही यह नीति रही है कि वह पाकिस्तान तथा सभी राष्ट्रों से मित्रता बनाये रखने के पक्ष में है । तथापि पाकिस्तान का रवैया मुश्किल से ही समझ में आता है । पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अभी हाल में अपने एक बयान में कहा है कि भारत के मुसलमानों को भारत के स्वतन्त्र होने पर जो आशंकायें थीं व सही निकलीं । यह आश्चर्य की बात है कि भारत में चार करोड़ मुसलमानों के रहते हुए भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस प्रकार का आरोप भारत पर लगायें, तथापि मैं आशा करती हूं कि इस समझौते का पाकिस्तान के नेताओं पर अच्छा प्रभाव होगा और इससे दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होगा ।

श्री चन्दा ने प्रधान मंत्री का ध्यान बेरुबारी के शरणार्थियों की ओर आकर्षित किया है, यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें चाय के बगीचों में बसाया जायेगा, क्योंकि उन हजारों परिवारों को चाय के बगीचों में बसाने के लिये स्थान भी उपलब्ध नहीं होगा उन्हें जहां तक संभव हो सके पश्चिम बंगाल में ही बेरुबारी के इस ओर बसा देना चाहिये जिससे कि वे अपने को विस्थापित हुआ न समझें ।

मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करती हूं मैं अनुरोध करती हूं कि मेरे दोनों संशोधन जिनकी कि मैंने सूचना दी है, स्वीकार कर लिये जायें, और वहां के शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्धों को विधयक में ही शामिल कर लिया जाय । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि है अतः हमें इस मामले में प्रधान मंत्री का समर्थन करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इतना महत्वपूर्ण है जिस को किसी भी राष्ट्र के इतिहास में आने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। मुझे दुःख है कि हिन्दुस्तान की जनता की राय लिये बिना ही, हिन्दुस्तान की जनता को पूरे विश्वास में लिये बिना ही, और उनकी प्रतिनिधि जो यह संसद है उसे विश्वास में लिये बिना ही एक ऐसी कार्रवाई हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की ओर से की गई, जिसके लिये हमें संविधान में अब संशोधन करना पड़ रहा है। म इस विषय में नहीं जाना चाहता कि जब यह समझौता कर लिया गया है तो उस समझौते को यह संसद भंग कर दे। मैं मानता हूं कि वक्त की सरकार के द्वारा यदि कोई भी इस तरह के समझौते होते हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है तो देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न उठा कर उन्हें हमें मान ही जाना चाहिये। लेकिन प्रश्न तो यह है कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों आती हैं सरकार के सामने, जब संसद को बिना विश्वास में लिय हुए, बिना उससे पूछे हुए, बिना हिन्दुस्तान की जनता को विश्वास में लिये हुए, इस तरह की घटनायें घटित होती हैं। यदि इतिहास को हम पलटें तो सन् १९४७ में जो कुछ हुआ वह भी बिना देश की जनता के राय के हुआ था और इसी लिये देश की जनता के करोड़ों लोग इधर से उधर गये, अरबों की सम्पत्ति बरबाद हुई और लोगों की इज्जत लूटी गई। एक दूसरा समय यह आया है। मैं समझता हूं कि सन् १९४७ की घटना से देश की सरकार ने कोई उपदेश नहीं लिया, कोई पाठ नहीं सीखा। यदि बेरुबाड़ी के प्रश्न पर आज मुल्क में इतनी गर्मी है तो गर्मी सिर्फ इसलिये नहीं है कि हमें थोड़ी सी जगह पाकिस्तान को देनी पड़ रही है। बल्कि गर्मी इसलिये है कि हम इस तरह की बातें करके मुल्क में कुछ परम्परायें कायम कर रहे हैं कि यदि भविष्य में किसी दूसरे हिस्से का प्रश्न आये, जो आज हमारे कब्जे में पूरी तरह नहीं है, या हिन्दुस्तान और चीन की सीमाओं के विवाद का प्रश्न आये तो आगे भी इस तरह की गलती की जा सकती है। इसलिये हिन्दुस्तान की जनता इस तरह सोचती है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह केवल एक सीमा का मामूली सा प्रश्न नहीं है, यह सारे देश का सवाल है। अगर एक छोटे से इलाके के बारे में इस तरह की बात हो सकती है तो हिन्दुस्तान की सरकार बड़े इलाकों को भी समझौतों के द्वारा दूसरे मुल्कों को दे सकती है और बाद में आकर हमसे कह सकती है कि यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा का सावाल है, इसलिये उसको कायम रखा जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रतिष्ठा का सवाल इस तरह पर उठा क्यों करता है? हिन्दुस्तान की सरकार के पास क्या कोई कानून विशेषज्ञ नहीं थे जिनको यह जानना चाहिये था कि हिन्दुस्तान की सरकार को बिना संविधान में परिवर्तन किये हुए इस तरह का समझौता करने का कोई अधिकार नहीं? ताज्जुब है कि जब यह प्रश्न संसद में आया तो मेरे मित्र श्री त्यागी के इस प्रश्न को उठाने पर ही सरकार को पता लग सका कि संविधान के अन्तर्गत सरकार को इस तरह का अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी सरकार चलती है, उस के पास इतने कानून विशेषज्ञ हैं लेकिन उसके बावजूद एक गैर सरकारी मेम्बर को सरकार को यह बतलाना पड़ा कि वह संविधान के अन्तर्गत यह काम नहीं कर रही है। यह बड़ी ही अजीब बात है।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं सरकारी मेम्बर हूं।

श्री ब्रजराज सिंह : आप सरकारी मेम्बर तब होते जब आप मिनिस्टर होते। आप पहले मिनिस्टर थे, अब मिनिस्टर नहीं हैं। लेकिन अगर आप मिनिस्टर की तरह बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे सभी प्रश्नों पर सरकार को पूरे विचार के साथ, पूरी गंभीरता के साथ विचार कर के समझ लेना चाहिये कि वह जो कुछ भी करने जा रही है वह संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार हैं उन के अन्दर है या नहीं । बिना संविधान का आदर किये हुए अगर इस तरह की बात कर भी दी जाती है तब सरकार के सामने यह प्रश्न उठा करता है कि यह प्रतिष्ठा का सवाल है, यदि इस समझौते को तोड़ दिया जायेगा और संसद् इसे नहीं मानेगी तो दुनिया में हमारी बदनामी हो जायेगी । मैं मानता हूं कि लोगों का सरकार से कितना भी मतभेद हो, जब इस तरह का कोई समझौता होता है तो देश को उस के पीछे होना ही चाहिये, लेकिन प्रश्न यह है कि पहले से इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं, वह संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार हमें प्राप्त हैं उन के अन्दर आता है या नहीं : इसीलिये मैं कहना चातत हूं कि यह हिन्दुस्तान के जनतंत्र के लिये एक भयानक वस्तु होगी कि संसद् द्वारा, संविधान द्वारा जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, हमारी सरकार को प्राप्त हैं, उन के विरुद्ध सरकार कोई काम करे और उस के बाद संविधान में परिवर्तन का बिल लाया जाय । इस से देश का जनतंत्र मजबूत नहीं होता है, इस से देश के जनतंत्र के लिये खतरा पैदा हो सकता है । आज कोई सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार हो सकती है, वह इस तरह के काम करती चली जाय और बाद में आ कर कहे कि हम तो संविधान में संशोधन कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल उठ गया है, यह बहुत खतरनाक बात हो सकती है । इसलिये मैं कहूंगा कि हमेशा यह खयाल रक्खा जाना चाहिये कि संबिधान के अन्तर्गत हमें क्या शक्ति हासिल है और उसी शक्ति के मुताबिक हम काम करें ।

इसी संदर्भ में म यह सुझाव दूंगा कि कोई भी हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री यदि कोई इस तरह का समझौता अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर करे तो उस समझौते में यह शर्त रखनी चाहिये कि हम यह समझौता कर रहे हैं पर संसद् द्वारा इस का समर्थन होगा । यह संसद् द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा तभी अमल में आयेगा । मैं समझता हूं कि इस में प्रधान मंत्री की ताकत को कम करने का सवाल नहीं है, यह हमारे देश के जनतंत्र के वास्ते ही एक आवश्यक चीज है । अगर देश में जनतंत्र चलना है तो संसद् सर्वशक्तिमान संस्था है । उस संस्था को न भेज कर खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि मुल्क का कोई हिस्सा दूसरे मुल्क को दिया जा रहा है, यदि कोई काम किया जाता है तो यह ठीक नहीं है और इस तरह की बात उठनी नहीं चाहिये । मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार भविष्य के लिये कम से कम ऐसी परम्परायें कायम करेगी कि जब इस तरह का कोई प्रश्न उठता है तो समझौते में एक शर्त यह रख ी जायेगी कि जब तक संसद् इस का समर्थन नहीं करती है, उस को मान नहीं लेती है, तब तक इस समझौते का कोई हिस्सा अमल में नहीं आयेगा । मैं समझता हूं कि इस तरह की परम्परायें कायम कर के देश में जनतंत्र और अधिक मजबूत हो सकता है, खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे मुल्क के आस पास की जगहों में, पड़ोसी देशों में जनतंत्र कमजोर हो रहा है । हम ने अभी सुना कि नेपाल में जनतंत्र को दफना दिया गया है, और उस से पहले हम पाकिस्तान में देख चुके हैं कि वहां जनतंत्र को खत्म किया जा चुका है । ऐसी सूरत में हमें वे सारे कदम उठाने चाहियें जिन से देश में जनतंत्र मजबूत हो । मैं समझता हूं कि जनतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब देश की संसद् की शक्ति सब से ऊंची रक्खी जाय और खास तौर पर कोई ऐसा काम न किया जाय जिस से संसद् की ताकत कम होती हो ।

यह कहते हुए अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि बेरूबाड़ी के प्रश्न से हमारे मुल्क की इस प्रतिष्ठा के अलावा उन लोगों का भी सम्बन्ध है, उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जो कि उस के कारण सम्पत्तिविहीन हो जायेंगे, जिन की सम्पत्ति चली जायेगी, जिन के लिये खाने पीने का कोई साधन नहीं रहेगा । आज जब यह बिल पेश है तो संसद् का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि वहां के लोगों

[श्री ब्रजराज सिंह]

को कहीं पर तकलीफ न हो, उन को अच्छी तरह से पुनर्स्थापित किया जाय, रिहैबिलिटेट किया जाय और उन की सारी तकलीफों को दूर किया जाय। यह कह देना ही आम तौर से कि हम उन लोगों को रिहैबिलिटेट कर देंगे ,काफी नहीं है। इस से कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता क्योंकि हम पंजाब और बंगाल के सम्बन्ध में पहले भी देख चुके हैं कि पंजाब के सीमान्त के भाइयों ने, बंगाल के भाइयों ने हमें आजाद कराने के लिये. देश को आजाद कराने के लिये इतनी कुर्बानी दी, लेकिन उन के साथ हम को जो कुछ करना चाहिये था उतना हम नहीं कर पाये हैं। मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार यह ध्यान में रक्खे कि हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये जिन दुर्भाग्यशाली नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता है उन की सुख सुविधा में कमी न हो और यह कोशिश की जाय कि उन लोगों को हर तरीके से राहत पहुंचाई जाय और उन का पुनर्स्थापन किया जाय।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस से हिन्दुस्तान की सरकार को सबक लेना चाहिये, और आगे इस तरह के प्रश्न हमारे सामने न आवें, चाहे वे चीन और हिन्दुस्तान की सीमा विवाद के बारे में हों या काश्मीर के बारे में हों, जिस से भविष्य में यह कहने का मौका मिले कि हम ने हिन्दुस्तान की संसद् से बिना पूछे ही इस तरह के काम कर डाले हैं।

मैं समझता हूं कि अब मुल्क के सामने सिवा इस के और कोई चारा नहीं है कि वह जो कुछ समझौता हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने किया है, जिस को नेहरू नून समझौते का नाम दिया जाता है, उसे कड़वी गोली समझते हुए भी, उसे दुर्भाग्यशाली समझते हुए भी, उस को मान ले यदि उस को अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी है और अगर उस को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना सिर ऊंचा रखना है। लेकिन उसे मानते हुए भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा कर के हम देश के कुछ नागरिकों को, जो पूरी तरह से देश के नागरिक हैं और जिन को नागरिकता के उतने ही अधिकार हैं जितने किसी ऊंचे से ऊंचे आदमी को इस देश में हो सकते हैं, उन के नागरिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं हम आशा करते हैं कि उन के जीवन का ख्याल रखा जायगा और उन के भविष्य का ख्याल रखा जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†श्री ब० चं० बरुआ (शिवसागर): मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने भारत पाकिस्तान के बीच विवाद को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। जैसाकि प्रधानमंत्री ने कहा है यह विभाजन के फलस्वरूप होने वाली एक बुराई है। एक बड़ी बुराई के फलस्वरूप कई छोटी छोटी बुराइयों को सहना पड़ता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच विभाजन के फलस्वरूप जो मतभेद पैदा हुए उन का निपटारा करने के लिये हम ने जस्टिस रेडक्लिफ की सेवाओं का उपयोग किया तदन्तर बागे न्यायाधिकरण की स्थापना हुई और इस के पश्चात् भी जो मतभेद बाकी रहे उन के निपटारे का प्रयत्न इस समझौते के द्वारा किया गया।

अतः यह एक समझौता है जिस के अन्तर्गत हम ने कुछ भाग पाकिस्तान को देना है तथा उन से कुछ भाग लेना भी है, अतः यह अनुचित है कि हम चाहें कि हम पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र तो ले लें किन्तु उन्हें उस के बदले में अपना क्षेत्र न दें। जहा तक संसद् का सम्बन्ध है संसद् इस सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में सर्वप्रभुत्व संबंध संस्था है वह किसी भी विधेयक को स्वीकार अस्वीकार या उस में संशोधन कर सकती है ।

सभा को स्मरण होगा कि १९५८ और १९५९ के पहले नौ महीनों में सीमान्त की अवस्था कितनी खराब थी । आये दिन वहां गोलियां चलती रहती थीं तथा सभा में स्थगन प्रस्ताव रखे जाते थे । स्थिति यह थी कि या तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करें या उन के साथ समझौता करें । भारत सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया तब से सीमान्त में शांति स्थापित हो गई है । और वहां के लोग शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे हैं । इस समझौते के फलस्वरूप आसाम का लगभग १७ मील और १३० एकड़ का इलाका पाकिस्तान चला जायेगा जबकि बंगाल का केवल ९ या १० वर्गमील का इलाका पाकिस्तान जायेगा तथापि हम ने इस सम्बन्ध में कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया है अपितु हम ने प्रधान मंत्री द्वारा किये गये समझौते का पूर्ण समर्थन किया है । मैं आशा करता हूं कि बंगाल भी वही रुख अख्तयार करेगा जोकि पंजाब या आसाम ने किया है । इस में सन्देह नहीं है कि विभाजन के फलस्वरूप बंगाल को बहुत हानि उठानी पड़ी है और वे अभी तक अपने शरणार्थियों को भली प्रकार बसाने में भी समर्थ नहीं हो सके हैं । तथापि राष्ट्रीय हित के लिये उन्हें यह आघात सहन कर लेना चाहिये । श्री विनोबा भावे ने भी इस सम्बन्ध में यही सलाह दी है कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं । मैं स्वीकार करता हूं कि किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को सौंप देना एक गम्भीर विषय है जिस पर संसद् को विचार करने का पूरा अधिकार होना चाहिये, तथापि हमें इस समस्या को राजनैतिक और एतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

जहां तक इस की राजनैतिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, विभाजन के तेरह वर्ष पश्चात् भी वहां की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी । वहां आये दिन झगड़े हुआ करते थे, इस स्थिति में या तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और अपने क्षेत्रों को बचाने के लिये वहां सुरक्षा का प्रबन्ध करते या इस विवाद का निपटारा करने के लिये हम किसी मध्यस्थ को बिठलाते । यहां यह बात ध्यान में रखने लायक है कि पंच फैसला भी बातचीत के पश्चात् ही होता है । अतः हम ने वार्ता करने का निश्चय किया और सौभाग्य से हम सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंच गये । इस समझौते के अनुसार हमें अपने प्रदेश का लगभग २७ वर्ग मील उन्हें देना होगा जबकि हमें १९ वर्गमील का क्षेत्र प्राप्त हो जायेगा । अतः हमें इस समझौते को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि अनिवार्य परिस्थितियों के वशीभूत हो कर यह समझौता किया गया ।

अब मैं इस मामले का एतिहासिक पहलू लेता हूं । निसंदेह हमें विभाजन से बहुत हानि उठानी पड़ी है । विशषतः पंजाब और बंगाल को इस विभाजन के फलस्वरूप बहुत हानि हुई, तथापि उस स्थिति में यही करना वांछनीय था । इस संबंध में यदि मेरी कुछ शिकायत है तो वह सर कैरिल रेडक्लिफ के विरुद्ध है । उन्होंने सीमा निर्धारण संबंधी जो पंचाट दिया उसमें उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा कि वे दो सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के बीच सीमा निर्धारण कर रहे हैं न कि किसी राष्ट्र के दो राज्यों के बीच । दो राष्ट्रों के बीच की सीमा तय करने में प्राकृतिक और सामरिक सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिये तथापि इस पर ध्यान नहीं दिया गया और करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया । भारत सरकार को रेडक्लिफ आयोग के पंचाट की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजितसिंह सरहदी]

था अतः उसका निर्वचन करन में कुछ उल्लिखित सीमाओं का ध्यान रखा गया है। वस्तुतः हमें सरदार स्वर्ण सिंह का कृतज्ञ होना चाहिये कि उनके प्रयत्नों से यह वार्ता सफलता पूर्वक समाप्त हुई और हम इस समस्या का शांतिपूर्ण हल प्राप्त कर सके।

वस्तुतः रेडक्लिफ पंचाट में पाकिस्तान तथा भारत के बीच की सीमा का कोई निश्चित निर्देश न होन के कारण हम इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकते थे इसी कारण यह समझौता करना पड़ा। मेरे विचार से इस प्रकार के समझौते उन देशों में किये ही जाते हैं जो अपने आपसी संबंध बनाये रखना चाहते हैं, अतः हमें चाहिये कि हम एसे समझौता का समर्थन करें क्योंकि यह उचित और न्यायपूर्ण है।

अब मैं इस समझौते का नैतिक पहलू लेता हूं। निसंदेह संसद को इस समझौते के अनुसमर्थन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथापि हमें कार्यपालिका को अन्तर्राष्ट्रीय समझौते इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार देना चाहिय अन्यथा वे अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करने योग्य नहीं होंगे।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेशः (शिवपुरी) : कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम, अध्यक्ष महोदय, बेरूबाड़ी के प्रश्न पर सदन में पूर्ण रूप से वादविवाद हो चुका है ऐसा, मैं समझता हूं, और अब जो विचार व्यक्त किये जा रहे हैं वे वे ही विचार हैं जिन्हें पूर्व ही व्यक्त किया जा चुका है। बेरूबाड़ी की घटना वास्तव में बड़ी साधारण घटना है, कोई बहुत लम्बी चौड़ी भूमि नहीं दी जा रही है, कोई करोड़ों और अरबों का नुक्सान नहीं हो रहा है। परन्तु इस दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। आज तो हम यह देख रहे हैं कि देश में धीरे धीरे देश की सीमाओं को सशक्त बनाने के लिय जिस प्रकार का वायुमंडल निर्मित होना चाहिये उस का निर्माण नहीं हो रहा है, और उस का कारण यह है कि हमें सम्पूर्ण देश में इस वायुमंडल का निर्माण करने के लिये जिस प्रकार की नीति को ले कर चलना चाहिये था वह ले कर नहीं चल रहे हैं। बेरूबाड़ी की घटना तो उस माला की एक गुरिया है जिस का हम ने अपनी भावना द्वारा निर्माण किया है, और उस का सूत्रपात पाकिस्तान के निर्माण से ही हुआ है। पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं हुआ होता यदि गांधी जी की भावना के अनुकूल हम ने आचरण किया होता। हम ने सत्य अहिंसा का उद्घोष बनाकर अपना युद्ध प्रारम्भ किया परन्तु हम ने स्वयम् सत्य की हत्या की और हिंसा को प्रोत्साहन दिया। पाकिस्तान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था, परन्तु फिर भी किया गया और इस प्रकार से सत्य की हत्या हो गई, और इस सत्य की भी हत्या हम ने तब की जब हिंसां का सूत्रपात हुआ। यदि पाकिस्तान देना है, और सिद्धान्ततः देना चाहिये था तो बिना हिंसा को प्रोत्साहन दिये हमें उसे दे देना चाहिये था। परन्तु दिया तब जब सम्पूर्ण रूप से हत्या हुई और फिर यह कहा गया कि परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हो गई कि यदि पाकिस्तान नहीं देते तो काम चल नहीं सकता था। इस लिये देना पड़ा। तो यह देना पड़ा, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे की सोचो, इस तरह से कहने से कैसे काम चलेगा ? कब तक हम इस प्रकार भूलते रहेंगे और आगे की सोचते रहेंगे, यह एक समस्या है, यह एक प्रश्न है जिस का सुलझाव होना चाहिये। हम नित्य प्रति सुनते हैं कि छोड़ो जो हो गया वह हो गया।

पिष्ठं पेषणम् नास्ति

पिसे हुए को बार बार पीसने से क्या फायदा ? जो हो गया सो हो गया । **लेट बाई गान बी गान** भी ठीक है लेकिन कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और हम भूलते रहेंगे ? आज बेरूबाड़ी है कल कोई दूसरी समस्या होगी, फिर तीसरी हो जायगी । फिर कहेंगे कि इसे राष्ट्रीय दृष्टि से तय करो और आगे की चीज़ों पर विचार करो । आज सब से बड़ी समस्या यह भी है और व्यावहारिक दृष्टि से भी हम देखत हैं कि जब भी कोई काम करने में हमें हानि होती दिखाई देती है तो बड़ा छोटे का सहारा लेता है और छोटा बड़े का सहारा लेता है । यहां पर बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी प्रजातांत्रिक दृष्टि से सहारा लेना होता है । प्रधान मंत्री के पास बहुत बड़ा सहारा था, वे कह सकते थे नून साहब से । वास्तव में नून साहब कितने बुद्धिमान थे यह पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया । उन से समझौता करने में हम ने कितनी बुद्धिमानी की यह भी इस से प्रकट हो गया कि जिस आदमी से बात करने हम चले वह आदमी खुद प्रथम कोटि का बुद्धु साबित हो गया, परन्तु फिर भी प्रधान मंत्री को बहुत बड़ा सहारा था । जब वह नून साहब से बात कर रहे थे तो हो सकता है उन्होंने गर्दन दबाई हो, तंग भी कर दिया हो, गोली चलती थी, लड़ाई भी चलती थी पाकिस्तान से, मारकाठ होती थी । कोई भला आदमी क्यों चाहेगा कि मार.पिटाई होती रहे और हम उसे सहन करते रहें । प्रबन्ध न सोंचें । शांति मोल लेने के लिये और पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिये हम ने यह समझौता किया तो समझौता करते समय यदि प्रधान मंत्री महोदय थोड़ी जागरूकता से काम लेते, बुद्धिमत्ता से काम लेते और कहते कि हम प्रयत्न करेंगे,लेकिन फिर भी मेरे ऊपर लोक सभा है, तो अधिक अच्छा होता । जिस प्रकार हम प्रधान मंत्री का आदर करते हैं और अपने आदर को प्रधान मंत्री के आदर पर न्योछावर करने के लिये तैयार हैं अथवा जिस प्रकार देश प्रधान मंत्री का सम्मान करता है, वह **वन वे ट्रैफिक** नहीं होना चाहिये । प्रधान मंत्री को भी सदन के सम्मान का और देश के सम्मान का ध्यान रखना चाहिये । ऐसे किस तरह चलेगा कि केवल देश ही प्रधान मंत्री का सम्मान रक्खे और प्रधान मंत्री देश का सम्मान न रक्खें, लोक सभा तो प्रधान मंत्री का सम्मान करें और प्रधान मंत्री लोक सभा को अपना एक खिलौना समझें ? यह कार्य दोनों तरफ से होना चाहिये । मेरा निवेदन यह है कि प्रधान मंत्री की नून साहब से बात करते समय अथवा पाकिस्तान के साथ बात करते समय थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये था । संधि करते समय, संधि विग्रह भी राजनीतिक की एक महान कला है । जो व्यक्ति संधि विग्रह में कुशल नहीं है वह राजनीतिशास्त्र को भी नहीं जानता । वह राज्य चलाने की योग्यता सिद्ध नहीं कर सकता है । संधि विग्रह के समय वह सावधानी परमावश्यक है । **(अन्तर्बाधायें)**

अगर कुछ कहना है तो जोर से बोलो । इस वक्त हिन्दुस्तान के नाश का प्रश्न है और ये लोग हंसने बैठ गये । इस लोक सभा को उपहास बना लिया है । बड़ी से बड़ी बातों को हास्य विनोद में टालना चाहते हैं । केवल जेब में पैसा डाल कर और बिल बना कर घर चले गये, इस के लिये लोक सभा की सदस्यता नहीं होती, यह गम्भीरता पूर्वक कार्य करने के लिये है । अगर कोई शंका हो तो जोर से बोलो और यदि कोई शंका नहीं है तो चुपचाप बैठो । यह क्या बात है ? सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना परमावश्यक है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रधान मंत्री महोदय जो इतनी महत्वपूण बात कर रहे थे, वे कह सकते थे कि आप जो भी कह रहे हैं वह मुझे स्वीकार है, मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे सामने भारत का संविधान है, मेरे सामने लोक सभा है, सदन है । मैं जा कर आप की बात रक्खूंगा और उन को राजी करने का प्रयत्न करूंगा । सदन और विधान यदि दोनों

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं होता, विधान मना नहीं करता और सदन स्वीकार कर लेता है, तो मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं और आपको यह हिस्सा दे दिया जाएगा। और ऐसा घरों में भी होता है। घर का कर्त्ता चाहे वह वृद्ध हो, मान वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, अगर वह किसी से बात करने जाता है और यह देखता है कि उसको वह बात स्वीकार करने में अड़चन है, तो कहता है कि मेरा लड़का भी अब बड़ा हो गया है और होशियार हो गया है उससे पूछ कर मैं यह काम कर सकता हूं। तो चलो सदन को और संविधान को छोटा कह कर भी प्रधान मंत्री जी इस प्रकार बोल सकते थे। और अगर वह समझते कि संविधान और लोकसभा के वह रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को रखने के लिए वह इस प्रकार से बोल सकते थे कि भाई अभी हमारे पिता जी जिन्दा हैं, उनको उनसे पूछना पड़ेगा। तो दोनों ही प्रकार से काम चल सकता था, पर न छोटा बन कर और न बड़ा बन कर उन्होंने इस प्रकार बोला बल्कि उनकी बात को स्वीकार कर लिया। अब यहां आपत्ति खड़ी हो गयी कि उनको ऐसा करने का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था। तो फिर चले सर्वोच्च न्यायालय के सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया कि जब तक संविधान का संशोधन न हो तब तक देने का अधिकार नहीं है। तो सोचा कि चलो संविधान का संशोधन कर लेंगे। अपने आदमी बैठे हैं, उनसे कह देंगे कि हाथ ऊंचा कर दो।

हम लोग जो यहां बैठे हैं वह प्रधान मंत्री जी का सम्मान तो करने को तैयार हैं परन्तु सम्मान भी सम्मान के साथ होना चाहिए। एक को अपमानित करके दूसरे का सम्मान करना ठीक नहीं है। हम अनेकों बार अनेकों बातों में प्रधान मंत्री महोदय का समर्थन कर चुके हैं। हमने आलोचना करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है और न केवल शासन की आलोचना करने हम यहां आए हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है, और खास तौर पर मुझे दुःख इसलिए होता है कि जिस भूमि में पैदा हुए सुभाष उस भूमि का हुआ सर्वनाश, और उसके पश्चात् पुनर्वास पुनर्वास, अर्थात् पुनर्वास, और विश्व में होता है हमारा उपहास, और फिर हमसे कहते हैं कि इन बिलों को कर दो पास। तो यह किस तरह से हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है और मेरी प्रार्थना है कि जनता की बिना राय लिए हमें इनको पास नहीं करना चाहिए। जनता हीं इसे देश की सच्ची प्रतिनिधि है, जनता का देश है और जनता का ही संविधान है। इसलिए जनता से बिना पूछे इसको पास करना उचित न होगा। इस दृष्टि से निवेदन करके मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : (पश्चिम दीनाजपुर) : प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि विभाजन अनुचित था और विभाजन के रूप में एक गलती की गई है। वस्तुतः पश्चिमी बंगाल का विभाजन जिस नक्शे के आधार पर किया गया वह नक्शा त्रुटिपूर्ण था और मैं ने उस ओर भारत सरकार का ध्यान १९४८ में ही दिलाया था। मेरा कथन था कि इस नक्शे के आधार पर भारत को ६०० वर्ग मील के क्षेत्र से हाथ धोना पडा तथापि इस सम्बन्ध में मेरे को यह उत्तर दिया गया कि इस नक्शे में कोई त्रुटि नहीं है तथा यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि नकशा गलत बनाया गया था। तथापि यही जबकि पाकिस्तान ने बेरूबाडी पर अपना दावा किया बात पाकिस्तान से नहीं कही गई। जब भारत सरकार से मुझे उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ने सर रेडक्लिफ को लिखा। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा और उस ने यह बताया कि क्योंकि वे अपना निर्णय दे चुके हैं अतः वे उस से हटना नहीं चाहते हैं। तत्पश्चात् मैं गोपालस्वामी आयंगर से मिला। उन्हें मैं ने सही स्थिति समझाई। तथापि उन्हों ने भी यही कहा कि यह मामला निश्चित हो चुका है अतः हम कुछ नहीं कर

सकते हैं इस के पश्चात् मैं ने बागे न्यायाधिकरण के दोनों न्यायाधीशों को तत्सम्बन्धी पुस्तिका भेजी और उन्हें यह बताया कि रेडक्लिफ पंचाट गलत नकशों के आधार पर दिया गया है। मैं इस अधिकरण की कार्यवाही के समक्ष भी मौजूद था। श्री चन्द्रशेखर अय्यर ने भारत तथा पाकिस्तान के महाधिवक्ताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आप मठभंगा के निचले क्षेत्र का मामला रखना चाहते हैं। तथापि दोनों ने ही इस सम्बन्ध में इन्कार कर दिया। आश्चर्य यह है कि जब भारत सरकार मेरे समक्ष एक दृढ़ दृष्टिकोण रख सकती है तो यही दृष्टिकोण पाकिस्तान के सम्मुख क्यों नहीं रखा जाता है।

पाकिस्तान को बेरूबारी दिये जाने से बंगाल में काफी असंतोष फैसल गया है, बहुत कुछ अंशों में यह रोष न्यायोचित भी है। विभाजन के पश्चात् से बंगाल के ऊपर आपत्तियों पर आपत्तियां आती रहीं। और आज बेरूबारी के हस्तान्तरण का प्रश्न आ गया है, इस का क्या परिणाम होगा यदि किसी राज्य को इस प्रकार आये दिन विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा तो इस का नतीजा एक दिन भयावह हो सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में जब तक हमारी नीतियों में ही परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक राज्य के लोगों को शांत रखना बहुत कठिन होगा।

सब से पहले पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाना पड़ा, तत्पश्चात् आसाम के दंगों के कारण शरणार्थी बंगाल आये। इस के पश्चात् अब संसद के निर्णय के कारण पुनः बेरूबारी से शरणार्थी आयेंगे। एक राज्य के लिये इस प्रकार विषम स्थिति पैदा हो गई है। यद्यपि हम प्रधान मंत्री द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं तथापि सरकार को चाहिये कि वह इन विधेयकों के पारित होने से होने वाले नतीजों पर भली भान्ति विचार कर लेवे।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् यह प्रस्ताव मैंने यों ही एक सामान्य सा प्रस्ताव समझ कर नहीं रखा। इसे साधारण समझा भी नहीं जाना चाहिये। इस के साथ बंगाल में जो घटनायें घटीं और शेष भारत में जो प्रतिक्रिया हुई उस से प्रकटतया हम पर काफी भार पड़ा।

जिन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, चाहे उन्हों ने मेरी आलोचना की है अथवा समर्थन, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस व्यापक समझौते को ठीक तरह से समझ कर, जो विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं उस से प्रकट हुआ है कि वे लोग काफी बातों से सहमत हैं। इस मामले से बड़ी गहरी भावनाओं का सम्बन्ध है, खासकर बंगाल के लोगों का, और मैं यदि उन ही की भांति इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सकता तथापि मैं उन की भावनाओं को समझता अवश्य हूं।

श्री भट्टाचार्य ने १९४८ के इतिहास का उल्लेख किया। उन्हों ने बताया कि गलत मानचित्र कैसे तैयार किये गये, आदि आदि। इन्हीं सब बातों से तत्काली कठिनाइयों का ज्ञान होता है। भारत के विभाजन के कठिन काम को तब हमें करना पड़ा था। उत्तर भारत में भारी उथल-पुथल हुई और उस गंभीर स्थिति का सामना हमें करना पड़ा। उन उत्पातों के अतिरिक्त भारत की जनता के दिल एक प्रकार से एक दूसरे से विलग हो गये थे। यह कोई छोटी चीज़ नहीं थी जो भारत में हुई परन्तु इसे पसन्द किसी ने नहीं किया। लोगों ने दुख सहे किन्तु क्या हो सकता था; कई बार हमें ऐसी चीजें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सहन करनी पड़ती हैं। हम सदा ही अपने भाग्य के अधिनायक तो नहीं बने रह सकते। उस समय भी हमें उन घटनाओं के कारण महान दुख का आभास हुआ था। विभाजन हमारी अपनी सहमति से हुआ किन्तु हम उस पर प्रसन्न नहीं थे। विभाजन की मुख्य समस्या के बाद छोटी छोटी अनेक समस्यायें रह गयीं और हम तब से अर्थात् १२ वर्ष की अवधि से निरन्तर उन पर विचार करते जा रहे हैं।

उस के बाद कुछ राज्य क्षेत्र को दे देने या हस्तांतरण का मामला है। निस्सन्देह यह चीज क्षेत्र समर्पण करना ही है परन्तु हम को यह समझ लेना चाहिये कि निरन्तर १० वर्षों से हम इन समस्याओं का हल ढूंढते आ रहे थे। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वह कैसे श्री गोपालस्वामी आयंगार के पास गये जो उस समय पाकिस्तान विषयक काम की देखभाल किया करते थे। उस समय बड़े पेचीदा मामले उठते थे और मैं ने उन की योग्यता और बुद्धिमत्ता को देखकर इन समस्याओं का निपटारा उन्हीं को सौंपा था क्योंकि मेरा विचार था कि वे धीरज से मुझ से भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जब तक वे जीवित रहे तब तक इस काम को वे अच्छी तरह से चलाते रहे। अतः जब श्री भट्टाचार्य, श्री अय्यंगार के पास गये और उन्हों ने अपने तर्क रखे तब श्री अय्यंगार ने उन परिस्थितियों में स्पष्ट उत्तर दिया कि चाहे कैसे भी समझा जाय, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा चका है—और यह भी निर्णय हो चका है कि मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध अपील न की जायगी। जो कुछ भी मध्यस्थ का निर्णय होगा अच्छा या बुरा, हमें वही स्वीकार करना होगा।

अब आप एक और चीज याने चिटगांव पहाड़ी क्षेत्रों का भी विचार कीजिये। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि रेडक्लिफ ने उन क्षेत्रों को पाकिस्तान के हवाले कैसे किया। यदि हिन्दू मुस्लिम आधार पर बंटवारा था तो उन पहाड़ियों में न हिन्दू थे न मुसलमान। वहां पर बौद्ध थे। परन्तु तब भी वह क्षे पाकिस्तान को दिया गया। हमें इस चीज़ का भारी दुख हुआ लेकिन हम इस के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते थे। हमें विवश हो कर इसे मानना पड़ा।

शायद सभा को स्मरण होगा कि जब श्री रेडक्लिफ ने अपना पंचाट दे दिया तब पाकिस्तान में लार्ड माउंटबैटन के विरुद्ध बड़ा भारी आंदोलन चला कि उन्हों ने श्री रेडक्लिफ पर असर डालकर भारत का पक्ष कराया है। वहां बड़ा भारी हंगामा मचा था और यह सब अनुचित था क्योंकि इस का मतलब था कि लार्ड माउंटबैटन ने गुप्त रूप से अनियमितता की है और न्यायाधीश पर गलत त ीके से प्रभाव डाला। परन्तु लार्ड माउंटबैटन इस का प्रत्युत्तर तो नहीं दे सकते थे। न ही उत्तर देना उन के लिये वांछनीय था और वस्तुतः पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने उन से उद्दंडतापूर्ण व्यवहार भी किया। एक बार उन्हें भारत आना था और शायद उन्हों ने उन के विमान को पाकिस्तान पर से उड़ने की भी अनुमति नहीं दी। उन्हों ने कहा कि तुम ने पंजाब में गुरुदासपुर जिले का एक भाग हिन्दुस्तान को दिलवा दिया है अतः हमें इस की भारी नाराजगी है। परन्तु यह सारी बात निराधार थी। परन्तु हमें भी अच्छी या बुरी सभी चीज़ें उस समय माननी पड़ रही थीं। अतः हम ने रेडक्लिफ पंचाट को तब स्वीकार किया।

श्री भट्टाचार्य ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अवर सचिवों आदि के पत्रों का हवाला दिया जिस में पंचाट के स्वीकार किये जाने की बात थी ; किन्तु उस समय स्थिति ही ऐसी थी। कठिनाइयां बाद में आयीं। जब इन मामलों की जांच की गई। अतः फिर से कुछ मामलों को न्यायाधीश श्री बागे के सामने रखा गया। किन्तु यह बात भी सच है कि श्री बागे के सामने बेरूबाड़ी की समस्या नहीं

रखी गई। पाकिस्तान ने भी इसे नहीं उठाया, हालांकि बाद में इसे उठाया लेकिन अब उस चीज़ को बीते भी आठ या नौ वर्ष हो चुके हैं।

श्री गुह ने कहा कि १९५० से ही पश्चिमी बंगाल की सरकार इस बात का विरोध करती चली आ रही है कि बेरुबाड़ी का हस्तांतरण न हो और पाकिस्तान का अधिकार वहां न माना जाय। बिल्कुल ठीक है। १९५२ से भारत सरकार भी इस मामले में और अनेक मामलों में निरन्तरसंघर्ष करती आ रही है कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। यह झगड़ा निरन्तर आठ वर्ष से चला आ रहा है और इस बीच किसी चीज़ का भी फैसला नहीं हो पाया है। आसाम, बंगाल तथा पंजाब सभी स्थानों के झगड़े जैसे के तैसे पड़े थे।

इस के बाद एक छोटी सी घटना हुई ; आसाम में तुकेरग्राम के कब्जे से हमारी जनता बड़ी उत्तेजित हो उठी थी। यह बात ठीक भी थी। तुकेरग्राम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई झगड़ा ही नहीं था। परन्तु अचानक उन लोगों ने इस पर कब्जा जमा लिया। यह क्षेत्र १०० एकड़ के करीब था या शायद २०० एकड़ हो। यह क्षेत्र नदी के उस ओर था और हम आसानी से वहां पहुंच नहीं सकते थे। तदापि हमें बड़ा क्रोध आया कि वह लोग इस तरह की कार्यवाही करें। हमें उन के तरीके पर बड़ा भारी दुख हुआ। यह प्रत्यक्ष आक्रमण था इसी कारण यह सभा और सारा देश उत्तेजित हो उठा था। परन्तु यह कोई मूलभूत चीज़ नहीं थी ; इस का किसी बात के निर्वचन से सम्बन्ध नहीं था। अन्य सभी विवाद किसी न किसी तरह से बागे पंचाट से सम्बन्धित थे—केवल एक दो चीजें ऐसी थीं जिन का उन से स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं था। यह अक्सर कहा जाता रहा है कि हम ने इस मामले पर सरसरी तौर ही कार्यवाही की। किन्तु यह बात गलत है। हम ने गलती की हो यह अलग चीज है किन्तु यह सारा अनुभव थका देने वाला था; हर महीने, उन्हीं बातों पर चर्चा होती थी। अक्सर अधिकारी स्तर पर चर्चा चलती थी क्योंकि मामले ऐसे पेचीदा थे कि सिवाय विशेषज्ञों के इन पर कोई और बारीकी से विचार नहीं कर सकता था। किसी दस्तावेज के निर्वचन का मामला सिद्धान्त का नहीं होता।

यह श्री रेडक्लिफ तथा श्री बागे के पंचाटों के निर्वचन का प्रश्न था कि उन्हें किसी तरह ठीक समझा जाय और कहां तक हमें लाभ हो। ऐसा रवैया तो अपनाया नहीं जा सकता था जिस चीज को श्री बागे ने एक तरह से कहा है, यदि उस से स्थानीय लोग सहमत नहीं हैं तो उस पर आपत्ति की जाय। एक दस्तावेज के निर्वाचन के मामले में जनसाधारण का आह्वान करना भी उचित नहीं दीखता।

हम इन विषयों पर पाकिस्तान के साथ आठ वर्ष तक पत्रव्यवहार करते रहे हैं। पत्रों का बहुत मोटा पुलन्दा है पाकिस्तान ने श्री बागे को यह मामला नहीं सौंपा था।

माननीय सदस्य ने कहा कि समझौते के लिये दो पक्ष चाहियें, यह बात सही है किन्तु झगड़े के लिये भी दो पक्ष हों, यह बात सही नहीं है। झगड़ा तो एक भी कर सकता है। झगड़ा चाहे महत्व-पूर्ण हो या साधारण यह अलग बात है।

आप सीमान्त समस्याओं को लीजिये। इन में से कुछ तो इतनी पेचीदा हैं कि मैं भी पूरी तरह इन्हें समझ नहीं पाया। मुझे उन झगड़ों को ऐसे पदाधिकारियों के हाथों में सौंपना पड़ा जो उन्हें ठीक प्रकार से समझ कर हल कर सकते थे। किन्तु मुख्य रूप से मैं ने केबिनेट को इस की विस्तृत जान-कारी सदा दी है। मैं केबिनेट पर इन की जिम्मेदारी नहीं डाल सकता परन्तु उन्हें जानकारी सदा दी जाती रही है ; क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला था।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस प्रकार जहां इतने सम्मेलन हो जाय तो कभी न कभी किसी न किसी को ऐसी जिम्मेदारी जरूरी लेनी पड़ती है कि इधर या उधर एक निर्णय कर लिया जाय और अन्य देशों के प्रतिनिधियों से, खासतौर से मंत्रियों और प्रधान मंत्रियों से बातचीत की जाय । इस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत में यों ही किसी बात पर "नहीं" करते रहना आसान काम नहीं । किसी बात से आप सहमत न हों तो आप "नहीं" कर दें तो ठीक है लेकिन जब आप समझते हैं कि समझौता ठीक है इस तरह का रवैया अपनाना कठिन होता है । किसी न किसी को उत्तरदायित्व लेना पड़ता है । यह अलग चीज है कि कोई गलती कर जाय या गलत चला जाय ।

इस मामले में, प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन से पूर्व कराची तथा दिल्ली में कई बार ऊंचे अफसरों के सम्मेलन हुए और मैं उनको ज्यादा सक्षम समझता था क्योंकि वे लोग विषय की पेचीदगी को समझते थे । हमारे कामनवैल्थ सचिव मुझ से ज्यादा इस विषय की विस्तृत बातों को समझते थे । मैं अकसर उनकी सलाह लेता था किन्तु नीति का निर्णय मैं करता था । उन्हें पूरे व्योरे का ज्ञान है और इस बारे में सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों से उन्होंने कई बार बातचीत भी की । इस कारण ऐसा सोचना भी गलत है कि परामर्श करने का प्रयत्न नहीं किया गया; यह तो एक लम्बा सिलसिला है ।

सब की सलाह के बाद अंतिम निर्णय किया गया है । उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं । मैं ने अपने केबिनेट के कुछ साथियों से भी परामर्श किया; उनके सामने भी वही तथ्य थे जो मैंने उन्हें बताये । यह कहा जा सकता है कि आखिरी निर्णय औपचारिक रूप से पश्चिमी बंगाल सरकार को नहीं भेजा गया, क्योंकि हम सोचते थे कि चूंकि उनके प्रधान अफसरों से बातचीत और सलाह हो ही चुकी है अतः हम अब आगे बढ़ सकते हैं । मैं अपने पक्ष में तर्क नहीं दे रहा हूं वरन् केवल तृष्ठभूमि की ही व्याख्या कर रहा हूं । अतः हमने यह समझौता कर लिया । बेरुबाड़ी के बारे में एक व्यक्ति अनेक राय बना सकता है क्योंकि निर्वाचन के मामले में यह विषय स्पष्ट नहीं था । अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का कुछ अनुभव होने के कारण यह चीज़ मुझे और भी अस्पष्ट हो गयी कि नयी मध्यस्थता का परिणाम क्या निकल सकता है । व्यापक दृष्टि से देखते हुए हमें इस में अनेक लाभ दृष्टिगोचर हुए । वास्तव में झगड़ा अनेक क्षेत्रों के बारे में था, जिसमें हिली क्षेत्र भी था । आसाम में १२ गांवों का एक क्षेत्र था जिसके बारे में हमें काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा था । वह अड़चन न्यायाधीश चंद्रशेखर अय्यर के अपने दृष्टिकोण रखने के कारण पैदा हुई क्योंकि उन्होंने हमारे मामले के विरुद्ध राय दे दी थी । हालांकि उन्होंने अपनी राय यों ही सरसरी तौर पर दी थी, किन्तु आप कल्पना कीजिये कि जब हमारे अपने न्यायाधीश ही ऐसा कहें तो यह कठिनाई कितनी बड़ी हो जाती है । किन्तु हम मामले में लड़े और १२ गांवों के सम्बन्ध में मामला हमारे पक्ष में हुआ ।

इस निरंतर संघर्ष के बाद, भी हम कहीं ऐसी स्थिति पर पहुंच सके जो कि सामूहिक रूप से हमारे लिये अच्छी थी और कुछ निश्चित थी । मेरा ख्याल है कि सब बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने की बात के अलावा यह चीज़ भारतीय जनता तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की रियाया के लिए हितकारक ही थी । अतः ऐसी स्थिति में यह कहने का फायदा नहीं होता कि हम इस चीज को संसद के सामने रखेंगे और आप लोग चले जाइये । ऐसी परिस्थितियों में यह तो हो नहीं सकता था । हम ने जोखिम ली और यह निर्णय कर लिया । यद्यपि यह उपमा ज्यादा उपयुक्त तो नहीं है किन्तु आप युद्धक्षेत्र में किसी सेनानायक को यह तो नहीं कह सकते कि वह वहां पर निर्णय न करके संसद की सलाह ले । वहीं आपको निर्णय करके तुरंत कार्यवाही करनी पड़ती है । यदि आप गलती करते हैं उस समय आपको

हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए इस पृष्ठभूमि पर ध्यान रखते हुए हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। हम ने इस विषय पर बार बार सोचा।

प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी ने एक और सवाल पूछा है जो मेरी राय में उनकी ज्यादती ही थी। उन्होंने कहा विधि मंत्री इस विधेयक को क्यों पेश नहीं कर रहे हैं। विधि मंत्री क्यों करेंगे, जबकि इसका सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है। यह सवाल ही मेरी समझ में नहीं आता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : मैं ने सवाल नहीं पूछा था। मैं ने बताया था कि कलकत्ता के कांग्रेसी समाचारपत्र ऐसा निराधार प्रचार करके सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि विधि मंत्री इसका समर्थन नहीं करते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बलकुल शुरू से इसका सारा काम मैंने ही किया है। इसका ताल्लुक मेरे ही मंत्रालय से है, इसलिये इसका भार किसी दूसरे मंत्री के कंधों पर रखना मेरे लिये उचित नहीं था। विधि मंत्री के अपने विचार जो भी हों, इसके भावात्मक पहलू के बारे में उनके जो भी विचार हों, लेकिन जहां तक इसके कानूनी पहलू का ताल्लुक है, मैंने विधि मंत्री की सलाह और सहमति के बिना कोई क़दम नहीं उठाया है।

और प्रोफेसर मुकर्जी का ख्याल है कि मैं "अभ्यर्पण" शब्द का इस्तेमाल करने से घबराता हूं, जैसे कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करने से यह अभ्यर्पण नहीं रह पायेगा। शब्दों का यह फर्क मेरी तो समझ में नहीं आया। अभ्यर्पण तो है ही। साथ ही, यह भी सौ फी सदी सही है कि यह समस्या देश के बंटवारे से ही पैदा हुई है। यह अभ्यर्पण इसलिये है कि संविधान ने भारत की सीमाओं के विवरण में इस इलाके को शामिल किया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : फिर महान्यायाधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के सामने भारत सरकार की ओर से यह दलील कैसे पेश की कि यह अभ्यर्पण नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभ्यर्पण है या नहीं, इस पर बहस नहीं थी। वहां बहस तो इस सवाल पर थी कि इसके लिये तरीका क्या अपनाया जाये। तरीके के बारे में हमारे दिमाग में शक जरूर था और इसीलिये इसको उच्चतम न्यायालय में भेजा गया था। आप चाहे इसे "अभ्यर्पण" कहें, या "हस्तान्तरण" कहें, उससे इस मामले का सार तो नहीं बदल जाता।

चूंकि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ये मामले बड़े पेचीदा हैं, इसलिये इनके बारे में कोई भी कदम मैं अकेले नहीं उठाता। मैं अपने किसी पुराने सहयोगी को जरूर अपने साथ रखता हूं। सरदार स्वर्णसिंह मेरे साथ थे। एक बार उनकी मौजूदगी में ही हुआ था, और काफी कुछ उनकी कोशिशों की वजह से ही वह हमारे लिये फायदेमन्द रहा। वैदेशिक कार्य के लिये एक कैबिनेट कमिटी भी बनी हुई है, जिसकी बैठकें जब-तब होती रहती हैं। हम सभी इन मामलों में एक-दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। मेरे पास रोज कई तार भी आते रहते हैं। तो हम इसी ढंग से इन मामलों में काम करते हैं। श्री भट्टाचार्य का कहना है कि कोई दस्तावेज़ जाली होगा। श्री रेडक्लिफ ने जब वे नक्शे मांगे थे, तब उसे ठीक माना गया था। इतनी बात कतई सही है। श्री भट्टाचार्य ने जो भी बताया, वह बाद की बातें हैं। ये सभी आरोप बाद में लगाये गये थे, कई बरस बाद, श्री भट्टाचार्य की जांच पड़ताल के कई बरस बाद। उस वक्त हमें इन सब का कोई पता नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी ने शायद कहा कि मुझे इस मामले में बड़प्पन दिखाना चाहिये था। मझे मान लेना चाहिये था कि मैंने ग़लती की। मुझे उनके ठीक-ठीक शब्द याद नहीं। जो भी हो, मैं जो बात कहता रहा हूं, उसी को न कहने का मुझ पर कुछ आरोप जैसा लगाया गया है। अजीब सी चीज़ है। मतलब उसका यह था कि मैंने बाद में अपनी ग़लती महसूस कर ली, पर उसे स्वीकार करने का बड़प्पन नहीं दिखाया। अच्छा, अब से मैं अपनी ग़लतियां मान लिया करूंगा।

मैं इस मामले के बारे में बड़ी स्पष्टता से काम लेना चाहता हूं। उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात साफ थी कि यह पूरा करार, बेरुबाड़ी समेत, हमारे लिये अच्छा, फायदेमन्द रहेगा; हालांकि उसके कुछ पहलू ऐसे थे जिनसे हम सहमत नहीं थे। इसीलिये, उस समूचे करार को फायदेमन्द समझ कर ही, मैंने उस करार से सहमति प्रकट की थी। अभी भी मेरी यही राय है। हां, लेकिन, उस वक्त मैंने यह महसूस नहीं किया था कि उसका कुछ लोगों पर असर भी पड़ेगा। बात सही है कि तब मैंने इस पहलू पर नहीं सोचा था और किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि उस इलाके की आबादी कितनी है और कितने लोगों पर करार का असर पड़ेगा। जैसे भी सही, हुआ यही था। न मैंने इस पहलू पर सोचा और न किसी ने इसकी तरफ मेरी तवज्जह ही दिलाई। इसका मुझे अफसोस है। और बाद में जब यह पहलू मेरे सामने आया, तो मुझे इसका दु:ख हुआ। दु:ख इस बात का नहीं कि करार अच्छा नहीं रहा, इसलिये कि जहां हमें कुछ देना पड़ा है, वहीं हमने कुछ लिया भी है। दु:ख मुझे इस बात का हुआ कि इस करार का असर इतने लोगों पर पड़ेगा और पाकिस्तान से आने वाले वे शरणार्थी एक बार फिर शरणार्थी बन जायेंगे। लेकिन उसके बारे में हम और कर भी क्या सकते हैं, सिवाय इसके कि उनको बसने में मदद दें। वह तो हमारा फर्ज है। मैंने कल वायदा भी किया था कि उनको बसने में हम ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे। इतना सब होते हुए भी, मेरा यही ख्याल है कि पूरे देश के हित और यहां तक कि बंगाल के भी हितों के नजरिये से, इस करार से हमें नुकसान के मुकाबले फायदे ही ज्यादा होंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रधान मंत्री का ध्यान इस पहलू की ओर क्यों नहीं गया ? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि भारत के राज्य क्षेत्र से लगे हुए इस क्षेत्र की अत्यधिक आबादी गैर मुसलमानों की है, और उसे पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने अभी बताया कि उस इलाके की आबादी किस ढंग की है, यह मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि उस इलाके में बहुत ज्यादा तादाद में गैर-मुसलमान लोग रहते हैं, या नहीं। बेरुबाड़ी के एक हिस्से में आबादी बहुत कम है; हालांकि दूसरा हिस्सा काफी घना बसा है। लेकिन हमारे दिमाग़ में उस वक्त यह सवाल उठा ही नहीं, हम नक्शों वगैरह पर ही गौर करते रहे। मैं मानता हूं कि आबादी के बारे में भी जांच कराई जानी चाहिये थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने दान और उपहार देने की भी बात कही है। वे कह सकते हैं; हालांकि सचाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात तो यह कि यह करार किसी सरसरी बहस का नतीजा नहीं है। इस पर बरसों और महीनों तक बात चलती रही है। हर तरह के छोटे बड़े नक्शे पेश होते रहे हैं। दूसरी चीज़ यह कि कुछ छोड़ देने का सवाल ही नहीं था। हां, लोग कह सकते हैं कि हमारे मुकाबले पाकिस्तान को फायदा हुआ है। ठीक है, अच्छे करार और अच्छी संधियां वही कहलाती हैं जिनसे दोनों पक्षों को फायदा हो। नुकसान होना तो तभी कहा जा सकता है जब कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

देने के बदले में आपको बिलकुल कोई फायदा न हुआ हो। और अगर सिर्फ़ आप ही फायदे में रहें, तो दूसरे पक्ष को शिकायत बनी रहती है। इसी वजह से सभा में कई बार शिकायतें की गई हैं कि पाकिस्तान ने सीमा पर हमले किये हैं। ऐसी शिकायत वाजिब होती हैं, लेकिन हमेशा नहीं क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि वे उनके इलाक़े हैं जिन पर हमने क़ब्ज़ा कर रखा है।

तो जब तक ऐसे विवादग्रस्त क्षेत्र रहते हैं, हमारा झगड़ा बराबर बना रहता है और इस झगड़े को खत्म कर देना एक बहुत बड़ी बात है।

एक माननीय सदस्य ने फेनी नदी सम्बन्धी विवाद का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय नाविकों को वहां आने जाने की मनाही कर दी है। जब मैं यह कहता हूं कि हमने सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निवटा दिया है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी और प्रकार के झगड़े नहीं होंगे लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि वे झगड़े सीमा सम्बन्धी नहीं होने चाहियें अथवा वे विभाजन की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नहीं होने चाहियें। अगर किसी दूसरी बात को लेकर ही कोई दूसरा झगड़ा उठ खड़ा होता है तो यह बात दूसरी है। जहां तक कि फेनी नदी में मछली पकड़ने तथा और दूसरी बातों का सम्बन्ध है उनके बारे में दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता हो गया है। और मैं समझता हूं कि उस बारे में कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन मैं किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। यह तो एक अलग ही मामला है जो दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों एवं अन्य बातों पर निर्भर करता है।

इसलिये यह हमें बड़ा लाभ हुआ है। पंजाब के कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि पाकिस्तान को इससे कितना लाभ हुआ है। तुकेरग्राम का मामला उतना महत्व का नहीं है लेकिन वह आसाम के पास आ गया है। और ये सभी बातें सभा को बता दी गयी हैं।

बहुत कुछ इस बारे में कहा गया है कि करार जो किये जाते हैं उनके बारे में संसद से परामर्श नहीं लिया जाता। कहने में तो यह बात ठीक लगती है लेकिन व्यवहार में इसका लाना बड़ा कठिन है। हमारे तथा विदेशों के बीच प्रायः रोजाना ही करार होते रहते हैं—हालांकि वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होते और न सीमा सम्बन्धी बातों से उन का कोई सरोकार होता है। लेकिन रोजाना ही व्यापार और वाणिज्य, संस्कृति आदि के बारे में करार होते रहते हैं। और यह उम्मीद करना कि उन सबको यहां सभा में लाया ही जायेगा अवास्तविक है।

अब यह सवाल उठाया जा सकता है कि अगर ऐसी बात हो तो और करारों की बात तो रहने दीजिये लेकिन जो महत्वपूर्ण करार हैं उन्हें तो यहां सभा में लाया जाना चाहिये। लेकिन इसमें फर्क करना कि कौन महत्वपूर्ण और कौन नहीं बड़ा कठिन है। महत्वपूर्ण करारों में भी दो प्रकार से कार्यवाही हो सकती है : एक अमरीकन पद्धति से, और दूसरे ब्रिटिश पद्धति से। यह अमरीकन पद्धति केवल करारों पर ही लागू नहीं होती बल्कि संविधान सम्बन्धी मामलों तथा और सभी प्रकार के दूसरे मामलों पर भी लागू होती है जो हम करते हैं। अमरीकी पद्धति में कांग्रेस, प्रेसीडेंट, न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय आदि सभी के अधिकारों का फैलाया गया है। यह सब इसलिये किया गया है एक का दूसरे के ऊपर पर नियंत्रण रहे तथा आपस में एक दूसरे पर अंकुश रख सके। एक दृष्टिकोण तो यह हो सकता है कि भले ही यह अच्छा हो अथवा बुरा। जहां तक मेरा जाती मामला है मैं इसे बहुत अच्छा नहीं समझता। मेरे विचार में तो यह औपनिवेशवादी है। यह तो पुराने औपनिवेशवादी संविधान का विकास स्वरूप ही है। संयुक्त राज्य अमरीका की जनता प्रगतिवादी है अतः उसने अपने आप को उसके अनुरूप बना लिया है। लेकिन फिर भी यह ऐसा संविधान है जो पुराना है।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

ब्रिटिश पद्धति दूसरे ही ढंग की है। ब्रिटिश पद्धति में संसद ही सर्वोच्च है। वे जो चाहें वे कर सकते हैं। वहां की संसद सब कुछ कर सकती है। हमने अपने यहां संसद की जानबूझ कर ब्रिटिश पद्धति अपनाई है, फर्क केवल इतना है कि हमारा देश संघानीय है और उनका एकीय। यह ठीक है कि यह संघानीय पद्धति हमने बहुत कुछ अंशों में अमरीका से ली है और शेष बातों के लिये हमारे यहां ब्रिटिश पद्धति है और संसद भी ब्रिटिश पद्धति पर कार्य कर रही है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि संसद के हाथ में सभी सत्ता है। थोड़ी सी सत्ता कम है तो उसका कारण यह है कि हमारे यहां लिखित संविधान है तो उनके यहां अलिखित। उस दृष्टि से इसकी सीमा कुछ सीमित है। लेकिन यह बात भी छोटी सी है क्योंकि हम अपने संविधान में अन्ततोगत्वा परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ रुकावटें अवश्य हैं और कुछ देरी अवश्य होती है। हम उतनी जल्दी परिवर्तन तो नहीं कर सकते जितनी जल्दी कि ब्रिटिश संसद कर सकती है।

ब्रिटिश पद्धति के अनुसार उन्होंने प्रतिबन्ध हीन मजबूत से मजबूत सरकार बनाने का प्रयत्न जान बूझ कर किया है। एक बड़ा अंकुश उन्होंने बस यही रखा है कि वे सरकार को पलट सकते हैं—इसकी व्यवस्था उन्होंने अवश्य की है— कोई जाती उल्लेख करते हुए मैं नहीं कहता, लेकिन प्रधान मंत्री को वहां बहुत अधिकार दिये हैं। सिद्धान्त यह है कि इंगलिस्तान के शासकीय ढांचे की वह धुरी है। और सभी कुछ उसके चारों ओर घूमता है। वैसे तो व्यवहार में सभी कुछ व्यक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता शतप्रतिशत सत्ता वहां संसद के पास है जब कि अमरीका में कांग्रेस के हाथ में यह सत्ता नहीं है। संसद में बहुमत वाले दल की सरकार के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है और इंगलिस्तान में सभी करार सरकार द्वारा किये जाते हैं। यह बात ठीक है कि वह सदैव ही संसद से अपना सम्पर्क बनाये रखती है। यह बात विधि में घटित नहीं की जा सकती। यह बात सभी प्रकार की परम्पराओं पर निर्भर करती है। वहां की सरकार संसद को समय समय पर सूचना देती रहती है कि कहां क्या हो रहा है और वह उसे इस बात का अवसर भी देती है कि सरकार जो कुछ कर रही है उसे संसद का समर्थन प्राप्त होता रहे अथवा संसद चाहे तो सरकार को उस काम के लिये रोक भी सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि करारों के बारे में काम शुरू करने से पहले यह आवश्यक नहीं कि संसद की स्वीकृति प्राप्त की जाये।

कुछ राज्यक्षेत्र देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। केवल एक या दो ही बार अपने राज्य क्षेत्र देने का अवसर आया है। कुछ वर्ष पूर्व भूटान को राज्य क्षेत्र दिया गया था। हमने यह मामला संसद के सामने रखा था और संसद इससे सहमत हो गयी थी। मैं यह बात समझ सकता हूं कि जब कोई ऐसा मामला आता है जो वास्तव में ही राज्यक्षेत्र देने का है तो निश्चय ही यह मामला महत्वपूर्ण है, और यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता। भूटान को राज्य क्षेत्र देने का मामला भी कोई विशेष महत्व का नहीं था। कुल २ १।२ अथवा ५ अथवा १० मील का क्षेत्र, उन्हें दिया गया था। हमने यह मामला सभा के सामने रखा, यहां उस पर वाद विवाद हुआ और अन्त में यह पारित भी कर दिया गया। अगर कोई ऐसी बात उठती है तो यह अनिवार्य है। मैं जानता हूं कि कोई भी सरकार ऐसे मामलों में संसद की अवहेलना नहीं कर सकती। राज्य क्षेत्र अर्जित करने का एक सवाल आया था। वह मामला चन्द्रनगर का था। हमने संसद से इस बारे में राय ली। अर्जित करने के कुछ मामले और भी हो सकते हैं। जाती तौर पर तो मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में अर्जित करने का कोई मामला भी आयेगा। मुझे तो अभी इसकी कोई आशा नज़र नहीं आती। अगर ऐसी कोई बात आती भी है तो न तो कोई सरकार और न कोई प्रधान मंत्री संसद की बिना स्वीकृति लिये यह

कार्य कर सकता है। लेकिन यह विभाजन का मामला अभी तक चल रहा है और कोई न कोई विपत्ति खड़ी कर रहा है ।

इस रेडक्लिफ पंचाट ने बेरुबाड़ी के बारे में एक बहुत बड़ा सन्देह उत्पन्न कर दिया था । और यह एक ऐसा मामला था जिसके बारे में दोनों ही पक्ष जोरदार शब्दों में तर्क कर सकते थे । शायद आपको याद होगा कि रेड क्लिफ पंचाट में इस सीमा के बारे में बहुत ही त्रुटिपूर्ण विवरण था । दो बात विशेष रूप से कही गई हैं एक बात तो बेरुबाड़ी यूनियन की पश्चिमी सीमा के बारे में थी, अर्थात् पछघर और जलपाईगुड़ी थानों के बीच सीमांकन करना था और दूसरी बात थाना देवीगंज के उत्तरी किनारे के बारे में है जहां कि वह कूच बिहार राज्य की सीमा से मिलता है अर्थात् बेरुबाड़ी की पूर्वी सीमा के बारे में है । विवरण तो यह दिया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि किस प्रकार उनको मिलाया जायेगा यह बात छोड़ दी गयी थी अतः आपको मानचित्र देखना होगा । सामान्यतः नियम यह है कि जहां मानचित्र और विवरण में अन्तर हो वहां लिखित विवरण होना चाहिये । यह बात ठीक है बशर्ते कि लिखित विवरण स्पष्ट हो । इस मामले में लिखित विवरण स्पष्ट नहीं था कुछ बात छोड़ दी गई थी । मानचित्र स्पष्ट था जो कि हमारे विपक्ष में था । मूल बातें तो यह थीं। बेरुबाड़ी का ४/५ अथवा ५/६ भाग—अगर हम मानचित्र की बात मानते तो—हो सकता है कि वह मानचित्र जाली हो—यह मैं नहीं जानता—पाकिस्तान को चला जाता । और केवल १/५ भाग हमारे पास रहता । अगर लिखित विवरण बिल्कुल स्पष्ट होता तो हम मानचित्र को उठा कर फेंक देते, लेकिन वह विवरण भी तो स्पष्ट नहीं था । मैं इस बारे में तर्क नहीं कर रहा हूं । मैं यह बता रहा हूं कि यह एक कठिन समस्या थी जिसके बारे में आप कभी भी यह निश्चय नहीं कर सकते थे कि परिणाम क्या होंगे—बशर्ते कि यह फिर दुबारा से पंच निर्णयन के लिये न भेजा जाये ।

इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए, हमने कहा था कि हिली तथा अन्य स्थानों के बारे में हमारी स्थिति निश्चित रूप से अच्छी थी और हमने यह सोचा कि अच्छा यह होगा कि हम बेरुबाड़ी का आधा भाग ले लें बजाय इस के कि इस मामले को लेकर ही बातचीत का सिलसिला ही खत्म करें और शायद बाद को चलकर बेरुबाड़ी संघ का हमें कुछ भी हिस्सा न मिले । अब इस बारे में दो सम्मतियां हो सकती हैं लेकिन इतना अवश्य निश्चित है कि हमने वैसे ही यह नहीं किया था । यह निश्चित है कि यह किसी की ओर से कोई उपहार नहीं है ।

इस बारे में मैं एक बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं । और वह यह है कि ऐसे बहुत से विवादों का यहां उल्लेख नहीं किया गया था जिनका निबटारा कर लिया गया था क्योंकि वे हमारे पक्ष में थे । पश्चिमी बंगाल में हिली, कूच बिहार के दो स्थान, आसाम की सीमा पर बोलागंज तथा कुशियारा ग्राम के मामले ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा अपने पक्ष में हुआ था और उनमें क्रमशः ३४·८६ वर्ग मील, २ वर्ग मील, ७५ वर्गमील और ९ वर्गमील के क्षेत्र का मामला था ।

एक बात और है जिसके बारे में मैंने विचार किया है और वह यह है, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, कि जब इस स्थिति का मानवीय पहलू मेरे सामने आया कि यह मामला ६ हजार लोगों को विस्थापित बनाने का है और उनमें से बहुमत हिन्दुओं का है और इन हिन्दुओं में से तीन चौथाई हिन्दू तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी होकर आये थे, तो मुझे इन विस्थापित लोगों को फिर से विस्थापित करने पर बड़ा दुःख हुआ । एक बार विस्थापित बनाना ही काफी बुरा है और फिर दुबारा से विस्थापित बनाना तो और भी दुःख की बात है । मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इस बारे में क्या करूं । मैंने यह सोचा कि मैंने जो समझौता किया है उससे हटा भी नहीं जा सकता । फिर मैंने सोचा कि जब हमें यह करना ही है तो मैं पाकिस्तान के साथ समझौता द्वारा कम से कम यह करूं कि इस कठिनाई को

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

दूर करने का कोई उपाय ही निकालूं। अब हमारे सामने इस कठिनाई का केवल एक मात्र हल यही था कि हम इस बेरुबाड़ी क्षेत्र के बदले बराबर के क्षेत्र की यानी लगभग ४ अथवा ५ मील लम्बे टुकड़े की अदला बदली कर लें। वस्तुतः हम पिछले कुछ महीनों से इस समस्या को समाप्त करने के लिये सरकारी तौर पर प्रयत्न कर रहे थे और इस सम्बन्ध में हमने विभिन्न सुझाव भी दिये थे। साधारणः तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। मैंने यह काम अपने स्तर पर ही नहीं बढ़ाया था बल्कि सरकारी स्तर पर बढ़ाया था। मैं जानता था कि सरकारी तौर पर काम आगे बढ़ना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी कुछ महीनों तक हम यह काम करते रहे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

तब अन्त में शायद ६ सप्ताह हुए तब मैं ने यह निश्चय किया कि प्रेसीडेंट अय्यूब खां से इस बारे में बातचीत करूं। मैं ने सोचा कि इस बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं उन से अनौपचारिक ढंग से बातचीत करूं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनौपचारिक ढंग से यह मालूम करूं कि क्या वह इस बारे में विचार करने के लिये तैयार हैं। मैं ने उन के सामने स्पष्ट प्रस्ताव नहीं रखा। यह कार्य मैंने भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा शुरू किया। मैं ने उन से कहा कि आप यह जानते ही हैं कि यहां इस की स्थिति क्या है मैं ने उन को बताया कि इस में मानवीय पहलू सम्मिलित है, लोगों के उत्पीड़न का सवाल है जिस से मैं बचना चाहता हूं। मैं ने उन से कहा कि इस का यह अभिप्राय नहीं है कि मैं समझौते से पीछे हट रहा हूं। यह बात बिल्कुल नहीं है। हम इस का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। लेकिन भारत तथा पाकिस्तान दोनों के लिये ही यह अच्छा होगा कि अगर हम समझौते के द्वारा इस का कोई दूसरा ही हल ढूंढ लें। आप को न्यूनाधिक रूप में वही मिल जायेगा जोकि आप चाहते हैं और इस तरह वह हमें ही इस आपत्ति से नहीं बचायेंगे बल्कि स्वयं भी उस कठिनाई से बच जायेंगे जो कटुता के कारण उत्पन्न होगी।

यह बात मैं ने उन से मौखिक रूप से कही। मैं ने कोई बात लिखित रूप में नहीं की। उन्हों ने उत्तर दिया कि वह तुरन्त ही करांची जायेंगे और अपने प्रेसीडेंट के सामने यह बात रखेंगे। यह स्पष्ट है कि उन्हों ने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया। वह करांची गये और तीन या चार दिन बाद मुझे प्रेसीडेंट अय्यूब खां की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ जोकि हालांकि छोटा सा पत्र था लेकिन सुखदायक नहीं था। मैं, उस पत्र में क्या था, यह तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उन का रुख दूसरा ही था। उन्हों ने कहीं सार्वजनिक भाषण में भी यही बात कही।

इस के बाद मैं ने यह ठीक नहीं समझा कि मैं उन से इस बारे में निवेदन करूं क्योंकि जब उन्हों ने यह स्पष्ट कर दिया है वे ऐसी प्रार्थना का समर्थन नहीं करते तो यह हमारा काम है, यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उस करार की पूर्ति करें जो हम ने किया है। इस प्रकार यह मामला रुक गया। अतः मेरे सामने फिर कोई दूसरा चारा नहीं था, और मैं ने यह सोचा कि यह हमारी सरकार अथवा संसद् की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात होगी कि मैं फिर उन से इस बारे में निवेदन करूं और कहूं कि आप इस में कुछ परिवर्तन कर दें। बस सारा मामला यह है।

अतः हमें बड़े दुख और खेद के साथ यह मामला सभा के सामने प्रस्तुत करना पड़ा है, लेकिन हमारा विश्वास है कि यह समारा कर्तव्य है कि हम इस करार का पालन करें। मैं निवेदन करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय : अब पहले में अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक पर विचार प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा। तत्पश्चात् संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा।

सब से पहले मैं अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर श्री साधन गुप्त के संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का विधेयक पर राय जानने के लिय संशोधन मतदान के लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में अर्जित किये गये कुछ राज्य क्षेत्रों के आसाम, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्यों में विलय और तत्सम्बंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार करने के प्रस्ताव पर श्री वाजपेयी का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पर, आगामी सत्र के पहले दिन तक, राय जानने के लिये उसे पारिचालित किया जाय ।'

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में ४४, विपक्ष में ३२८

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं ।

इस के लिये नियम १५७ में दिया है :

'यदि ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि—

(१) विधेयक पर विचार किया जाय ; तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जायेगा यदि वह सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाये ।'

इस से स्पष्ट हो जाता है कि इस के लिये विशेष बहुमत चाहिये ।

प्रश्न यह है :

'कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में कुछ राज्य-क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरण को कार्यान्वित करने के लिये भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।'

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३३, विपक्ष में ५३ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : पहले हम संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे क्योंकि उस के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता है ।

खण्ड २--(परिभाषायें)

†श्री प्रभात कार (हुगली) : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।'

सभा में मतविभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३३, विपक्ष में ५२

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३--(संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन)

†श्री बि० दास गुप्त (पुरुलिया) : मैं संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं और बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने बेरूबारी संघ को देना स्वीकार कर के ठीक नहीं किया है । मैं बताना चाहता हूं कि इस के बारे में बंगाल विधान सभा में बोलते हुए वहां के राजस्व मंत्री श्री बिमल चन्द्र सिन्हा ने कहा था कि भारत तथा पाकिस्तान की सीमाओं का अंकन करते समय पाकिस्तान के अधिकारियों ने जानबूझ कर इस विवाद को उठाया था और जब हम ने सारे तथ्य भारत सरकार को भेजे तो केवल कुप्रबन्ध तथा ग़लतफहमी के कारण उस ने अपने तथ्यों को ग़लत जान कर बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया ।

अब जब हमारे प्रधान मंत्री को स्पष्टतया अपनी ग़लती मालूम भी हो गई है तो भी उन्हों ने इस को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है ; उन्हें अपनी प्रतिष्ठा से देश की प्रतिष्ठा को अधिक समझना चाहिये और पाकिस्तान के इस दावे को एकदम अस्वीकार कर देना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने' ।

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३२, विपक्ष में ४७

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

प्रथम अनुसूची

†**श्री अरविंद घोषाल** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री विमल घोष** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : मेरा संशोधन प्रथम अनुसूची के भाग ३ के बारे में है । यह भाग दूसरी अनुसूची की कण्डिका २ की मद ३ के सम्बन्ध में है । मेरा यह बताने से यह तात्पर्य है कि क्या इस समझौते के द्वारा बेरूबाड़ी को आधा आधा बांटना संभव होगा ।

यदि आप बेरूबाड़ी के नकशे को देखें तो आप को पता लगेगा कि यह सभी क्षेत्र आपस में सटे हुए हैं और यदि बेरूबाड़ी पुलिस थाने से देबीगंज थाने के पूर्वोत्तर कोने तक एक क्षैतिज रेखा खींची जाये तो इस से बेरूबाड़ी आधा आधा कभी भी नहीं बट पायेगा । इस के अतिरिक्त पाकिस्तान जिस प्रकार इस क्षैतिज रेखा को खींचना चाहता है उस प्रकार तो बेरूबाड़ी का तीन चौथाई भाग पाकिस्तान को मिल जायेगा जिस के लिये संभवतया हमारी सरकार तैयार नहीं । और शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जो यह समझौता किया जा रहा है, मैं समझता हूं वह उद्देश्य इस से पूरा नहीं होगा ।

मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बेरूबाड़ी को आधे आधे भाग में विभाजित कर सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले पर गंभीरता से विचार किया गया था । क्षैतिज विभाजन से यह मतलब नहीं है कि यह क्षैतिज रेखा गणित शास्त्र के अनुसार खिची होगी । क्षैतिज रेखा से हमारा केवल यह मतलब है कि यह एक खड़े बल की रेखा नहीं होगी । क्योंकि ऐसा होने पर बेरूबाड़ी का जो भाग हमें मिलेगा वह देश से अलग हो जायगा । इसीलिये इस पर गंभीरता से विचार किया गया था । यह क्षैतिज रेखा सीधी अथवा टेढ़ी भी हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और १० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने' ।

सभा में मतविभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३०, विपक्ष में ४६

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि द्वितीय अनुसूची विधेयक का अंग बने ।'

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३२९, विपक्ष में ४६

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३२८, विपक्ष में ४७

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पारित हुआ ।

अब अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्डों पर चर्चा होगी । मैं सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ११ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

प्रथम, अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटा की चर्चा होगी ।

†**श्री वारियर** (त्रिचर) : मुख्य बात मत्स्य पालन शिक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन एवं उसके बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की है जो मेरे विचार से इस बात के द्योतक हैं कि भारत में सुदूर-दक्षिण के एक छोटे से राज्य के साथ भेदभाव किया गया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वैसे तो केरल राज्य के साथ भूतकाल में और भी कई बार पक्षपात किया गया है लेकिन यह आशा थी यह संस्था केरल राज्य में स्थापित करके उसके साथ कुछ न्याय किया जायेगा । दिल्ली में केरल राज्य के व्यक्तियों के बीच आर्थिक सम्मेलन के अवसर पर भाषण करते हुए एवं अन्य भाषणों में भी श्री पाटिल ने यह आश्वासन दिया था कि यह संस्था केरल में स्थापित की जायेगी । लेकिन अब यह निर्णय किया गया है कि इसे केरल में स्थापित न करके बम्बई में स्थापित किया जाये । सदन में प्रश्नों के उत्तर देते समय भी यही आश्वासन दिया गया था कि यह केरल राज्य में ही स्थापित की जायेगी । अतः इससे स्पष्ट है कि केरल के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है ।

समिति ने मत्स्यपालन शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी और मीन क्षेत्रों के विकास के लिये ज़िला अफसरों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था । और कहा था कि यह प्रशिक्षण उन्हें शीघ्र ही दिया जाना चाहिये । समिति ने कहा है कि यदि यह संभव न हो तो अस्थायी उपाय के रूप में यह संस्था बम्बई में चालू की जा सकती है । समिति देश के सारे तटवर्ती

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री वारियर]

स्थानों का दौरा करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कोचीन ही इस संस्था के लिये सर्वथा उपयुक्त स्थान होगा। परन्तु कुछ समय बाद सरकार ने कहा है कि बम्बई अधिक उपयुक्त रहेगा।

समिति ने तीन संस्थाओं के स्थापना की बात कही है। पहली संस्था तो जिला अधिकारी प्रशिक्षण के लिये है, दूसरी ओपरेटिव प्रशिक्षण संस्था है तीसरी संस्था कनिष्ठ मत्स्यपालन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये है। यह समिति बड़े गणमान्य व्यक्तियों की है। श्री पाटिल ने भी इस समिति की प्रशंसा की है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि बम्बई ही उपयुक्त स्थान है। यह भी कहा गया है कि कुछ दिनों बाद कोचीन में ओपरेटिव ट्रेनिंग संस्था स्थापित की जायेगी। लेकिन मुख्य बात तो प्रशिक्षण संस्था की है, उसे ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि स्थिति पर पुनः विचार करके इस संस्था की स्थापना केरल में की जानी चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ कि समिति की समस्त सिफारिश कोचीन के पक्ष में होने के बावजद संस्था की स्थापना बम्बई में की गयी है ? केरल में वह विशेषता नहीं है कि वहां अन्य प्रकार के उद्योग डाले जा सकें। लेकिन इस क्षेत्र में उसकी अपनी विशेषता है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : एक संस्था प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा के कासलगांव में स्थापित की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्था के प्रबन्ध के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है तथा उसकी स्थापना कब होगी ?

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि चूंकि कोचीन में भवनों की कमी है इसीलिये इस संस्था की स्थापना बम्बई में की जा रही है। श्री कामले दो सप्ताह पूर्व कोचीन गये थे वहां इरनाकुलम् के उद्योग मंडल ने बताया था कि वह भवन की व्यवस्था कर देगा। क्या कोचीन में इस संस्था की इमारतों के लिये प्रबन्ध कर लिया गया है ?

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : क्या यह सच है कि एक संस्था की स्थापना मैसूर में भी की जायेगी ?

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम्): यह बड़े खेद की बात है कि बम्बई में इस संस्था की स्थापना की जा रही है जबकि प्रतिवेदन में कोचीन के लिये कहा गया है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सम्भव है कि सरकार अपना निर्णय बदल सकती है। लेकिन फिर भी मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या जल्द से जल्द कोचीन में कार्याधिकारियों की प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जायेगी।

†**श्री वें० ईयाचरण** (पालघाट) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल की वर्तमान सरकार ने कोचीन में एक संस्था की स्थापना के लिये सब प्रकार की सहायता देने का वचन दिया है ?

†**श्री कुट्टि कृष्णन् नायर** (कोजीकोड) : कोचीन में एक केन्द्र बनाने और बम्बई में उसी प्रकार के केन्द्र बनाने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्था की स्थापना करने के लिये बम्बई में ऐसी कौन सी विशेष सुविधाएं हैं जो कोचीन में नहीं मिल सकतीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि यह संस्था बम्बई में ही स्थापित करने का निर्णय क्यों किया गया और इसका निर्णय करते समय मेरे मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई पक्षपात एवं भेदभाव नहीं था । यदि कोचीन अथवा केरल में किसी चीज़ की स्थापना करना सरकार के लिये सम्भव होता तो समिति की सिफारिशों के बिना भी मैं करने के लिये तैयार था । अतः आप लोग अपने दिमाग से यह निकाल दें कि इस मामले में किसी प्रकार का अन्याय अथवा पक्षपात किया गया है । जिन परिस्थितियों में मैं ने यह निर्णय किया है यदि माननीय सदस्य भी उसी परिस्थिति में होते तो यह निश्चय था कि वे भी वही निर्णय करते जो मैं ने किया है ।

अतः किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया गया है । यह योजना हमारे द्वारा स्वीकार की गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी इसे स्वीकार करेंगे । प्रश्नकाल के दौरान में मैं एक बार यह बता चुका हूं कि बम्बई तथा कोचीन दोनों में ही संस्था स्थापित करने की भावना व्याप्त है, दोनों ही स्थानों में संस्था स्थापित करने के लिये पूरी सुविधाएं हैं एवं वे सक्षम हैं कि मैं ने स्वयं यह निर्णय किया कि दोनों ही स्थानों पर एक एक संस्था की स्थापना की जाये । मंत्रालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व ही मैं यह निर्णय कर चुका था । इसके बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि दोनों स्थानों पर एक ही प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करने के बजाय विभिन्न प्रकार की संस्थाएं स्थापित की जायें जिनकी लागत ८० लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है । इन दोनों में वास्तव में कोई अन्तर नहीं है प्रश्न केवल स्थान का है । अगर हम एक संस्था की स्थापना करते तो यह प्रश्न उठाया जा सकता था कि वह संस्था अमुक स्थान पर क्यों स्थापित की गई । केरल में वह संस्था स्थापित करने के लिये मुझे कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती क्योंकि जब तक वहां सुविधाएं उपलब्ध न हो जातीं तब तक इसकी स्थापना करना सम्भव नहीं था । समिति ने भी यही बात कही और इसी आधार पर बम्बई की सिफारिश की । अतः मैं ने भी यह सोचा कि प्रतीक्षा करने के बजाय यह ठीक है कि दोनों ही स्थानों पर संस्थाएं स्थापित की जाये । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि दोनों ही संस्थाओं का महत्व एक सा है । बल्कि मेरा विचार तो यह है कि ओपरेटिव संस्था का महत्व अधिक है और आगे चल कर जब कि इसका विकास हो जायेगा तो इस पर अधिक ही खर्च होगा । अतः मैं ने सोचा कि मैं केरल के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । आप देखेंगे कि यह प्रतिवेदन ऐसा है कि इससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं होता कि हम ने किस स्थान के बारे में सिफारिश की है । बम्बई और कोचीन दोनों को ही उपयुक्त बताया है । सभी स्थानों जैसे कलकत्ता, कटक, वाल्टर, आदि स्थानों का संस्था की स्थापना करने की दृष्टि से परीक्षण करके समिति ने बम्बई और कोचीन का परीक्षण विस्तार से किया है और वहां स्थापित करने के बारे में लाभ और हानि पर पूर्ण रूप से विचार किया है । प्रतिवेदन को पढ़ने से यह प्रकट हो जायेगा कि लाभ की दृष्टि से दोनों का स्थान एक ही सा है । हालांकि दोनों स्थानों पर कुछ कमियां भी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

कोचीन तथा बम्बई दोनों ही मत्स्य पालन की दृष्टि से अच्छे केन्द्र हैं । दोनों ही स्थानों की विशेषता एवं उनकी अच्छाई का उल्लेख हमें प्रतिवेदन के पृष्ठ ७१ पर मिलता है ।

कोचीन की एक कमी बताते हुए समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ६९ पर लिखा है कि "हालांकि अरनाकुलम में दो स्नातक कालिज हैं फिर भी कोचीन शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।" यही नहीं आगे और भी लिखा है कि कोचीन तक आने से हवाई मार्ग की बड़ी सुविधा है लेकिन भारत के उत्तर से रेल गाड़ियों द्वारा आना अत्यधिक दूरी के कारण बड़ा असुविधाजनक है । जबकि बम्बई के बारे में एक कमी का उल्लेख करते हुए समिति का कहना है कि वहां उपयुक्त स्थान, जिसमें कि संस्था की स्थापना की जा सके, मिलना कठिन है । लेकिन यह कठिनाई भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा नि.शुल्क तीन स्थान दे देने से हल हो गई ।

समिति ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई कि बम्बई में विश्वविद्यालय है जब कि कोचीन में ऐसा कुछ नहीं है । बम्बई की विज्ञान संस्था पिछले कुछ वर्षों से समुद्रीय जीव विज्ञान की गवेषणा कर रही है । इसके अतिरिक्त वहां महाराष्ट्र सरकार के बहुत से सुगठित मत्स्य पालन विभाग आदि भी कार्य कर रहे हैं । इंजीनियरिंग तथा वर्कशाप सुविधाएं सारे देश की अपेक्षा बम्बई में सब से अधिक हैं। इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसका अपना महत्व रखती है । यह मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों से जुड़ा हुआ है और भारत के भी विभिन्न भागों से हवाई एवं रेलगाड़ियों द्वारा यहां आना जाना संभव है जब कि कोचीन के बारे में यह बात नहीं है ।

यह ठीक है कि बम्बई बन्दरगाह में अधिक जहाजों के आने के कारण बड़ी भीड़-भाड़ रहती है लेकिन मत्स्य पकड़ने वाली नावों द्वारा जिन सेसून डाक्स का उपयोग किया जाता है उनमें पत्तन न्यास द्वारा सुधार करने की पूरी संभावना है और मत्स्य पकड़ने वाले जहाजों को घाट तक लाने की सुविधाएं बढ़ाने में भी काफी विकास किया जायेगा । समिति ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बम्बई में विभिन्न प्रकार के पत्तन कर बहुत अधिक है लेकिन उनकी अच्छी तरह जांच करने के बाद यह पता चला है कि ये बहुत अधिक नहीं है। बम्बई में इस संस्था की स्थापना करने में लागत पूंजी भी अधिक इसलिये नहीं लगेगी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हमें भूमि मुफ्त दे दी है जब कि अधिकतर रुपया भूमि पर ही व्यय होता है । बम्बई की भौगोलिक स्थिति भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हमें वहां संस्था स्थापित करने का निर्णय करना पड़ा । इस संस्था की सहायता संयुक्त राष्ट्र विशेष परियोजना निधि से की जायेगी और इस बात की संभावना है कि इसी कारण यह विद्यार्थियों को देश तथा विदेश से आने के लिये आकर्षित कर सके । अतः इस दृष्टि से बम्बई में इस संस्था की स्थापना करना और भी अधिक आसान है ।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि इसके साथ साथ और भी संस्थाएं होंगी । अगर अन्त में यह निश्चय किया गया कि यह संस्था बम्बई में होगी तो यह भी निश्चित किया गया है कि दूसरी संस्था अर्थात् ओपरेटिव संस्था कोचीन में होगी । मेरे विचार में यह ओपरेटिव संस्था अधिक महत्वपूर्ण है और जिन प्रयोजनों को लेकर स्थापित की जा रही है उस दृष्टि से कोचीन ही उसके लिये उपयुक्त स्थान है । इस संस्था में मत्स्य पालन इंजीनियर, समुद्रीय इंजीनियर, इंजिन ड्राइवर, आदि होंगे । इसके अलावा और भी बहुत सी बातें होंगी ।

बम्बई में स्थान की बात उठाई गई है । लेकिन जो स्थान हमें मिले हैं वे सभी मूल्यवान हैं । मैं बम्बई का पक्ष नहीं ले रहा हूं क्योंकि यदि मैं किसी राज्य विशेष की बात करूं तो यह बड़ी छोटी

सी बात होगी। चूंकि मेरे लिये सभी राज्य एक समान हैं। महाराष्ट्र और केरल दोनों राज्य ही मत्स्य पालन के काम में अग्रणी हैं जहां तक निर्यात की बात है कोचीन ने अच्छा कार्य किया है। कोचीन में कुछ संस्थायें जैसे नारवेजियन प्रोजेट आदि पहले ही हैं ही। कोचीन में उन संस्थाओं का होना उसके साथ कोई पक्षपात की बात नहीं है। उनका होना कोचीन के लिये अपेक्षित था क्योंकि मत्स्यपालन के मामले में कोचीन ने काफी विकास किया है। बम्बई ने भी काफी विकास किया है। सभी नावों में मशीनीकरण हो गया है, मत्स्यपालन के लिये सहकारी संस्थायें काम कर रही हैं। इनके अलावा वहां विज्ञान संस्था होने की भी सुविधा है। इन बातों को देखते हुए वे यह कार्य आज ही शरू कर सकते हैं जब कि ये सुविधाएं कोचीन में नहीं हैं।

फिर बम्बई में मछलीघर भी हैं। मछलीघर की स्थापना करना कोई आसान काम नहीं है। इस पर लाखों रुपया खर्च होते हैं। बम्बई के मछलीघर पर लगभग २५ लाख रुपये लगे होंगे। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो एक संस्था बम्बई में होनी चाहिये और एक कोचीन में। जब हमें दो संस्थायें चालू करनी हैं और दोनों का लागत व्यय भी ८० लाख रुपये से लेकर १ करोड़ रुपये तक होगा तो फिर यह प्रश्न उठता है कि कौन संस्था कहां स्थापित की जायें। यदि जिला पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की संस्था कोचीन में स्थापित की जाये तो इसके शुरूआत करने में भी काफी समय लगेगा। अतः समिति ने अन्त में यह निर्णय किया कि यदि कोचीन में ही इस संस्था की स्थापना की जानी है तो इसका प्रारम्भ बम्बई में करनी चाहिये क्योंकि वहां शिक्षा सम्बन्धी अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। अतः यदि यह संस्था इस बात को ध्यान में रख कर अस्थायी तौर पर बम्बई में स्थापित कर दी गयी तो मैं समझता हूं कि कोई नुकसान नहीं किया। मेरा विचार था कि पहले एक दो साल यह संस्था बम्बई में चालू की जानी चाहिये जब कि कोचीन में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हो जायें। लेकिन विदेश से इस संस्था के लिये धन मिल गया है वहां से विशेषज्ञ आ गये हैं और उन्होंने इसके लिये अस्थायी तौर पर बम्बई को ही चुना है। अतः बम्बई के लिये निर्णय करना ठीक ही है। संस्थाओं की स्थापना करने के बारे में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही राज्य इसके लिये उत्सुक हैं कि उन के यहां संस्था स्थापित की जाये।

†श्री अ० क० गोपालन : एक भ्रान्ति है। शुरू से ही हमें बताया गया है कि समिति इस पक्ष में है कि कोचीन में यह संस्था स्थापित की जाये लेकिन चूंकि वहां शिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिये उन सुविधाओं के मिलने तक अस्थायी तौर पर इसकी स्थापना यहां बम्बई में कर दी जाये और बाद को इसे कोचीन भेज दिया जाये। जब हमने यहां सभा में प्रश्न पूछा कि यह बम्बई में क्यों स्थापित की गई है तो बताया गया था कि इसकी स्थापना कोचीन में ही की जायेगी। लेकिन अब माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं ने यह कभी नहीं कहा था। मैं ने तो यही कहा था कि एक संस्था कोचीन में स्थापित की जायेगी और एक कहीं और।

†श्री स० का० पाटिल : ठीक है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। बात तो यह है कि जब यह प्रतिवेदन महाराष्ट्र सरकार के पास पहुंचा उसी समय केरल सरकार के पास भी पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने यह देख कर कि स्थान की कमी है अतः उन्होंने अपनी ओर से ही स्थान दे दिया चूंकि वे इच्छुक थे कि उनके यहां संस्था स्थापित हो जाये। इसमें महाराष्ट्र सरकार का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। अब इसके अलावा एक बात यह भी उठती है कि क्या धन देने वाली विदेशी संस्था से अब हम यह कहें कि जब तक कोचीन में शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक वे रुकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

अतः केरल राज्य की उत्सुकता को देखते हुए मैं ने यह निर्णय किया कि अस्थायी तौर पर इसकी स्थापना बम्बई में कर देनी चाहिये और सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर इसे कोचीन ले जाया जाये ।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बेकार ही एक ऐसी बात के लिये झगड़ा उठाया जा रहा है जो कि नहीं उठाया जाना चाहिये सीधी सी बात है । दोनों ही स्थानों पर संस्थायें स्थापित की जाएंगी । दोनों पर लगभग एक ही धन राशि व्यय होगी । वह संस्था बम्बई के लिये ही अधिक उपयुक्त होगी क्योंकि वहां उच्च शिक्षा के लिये सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

सभा को तथा केरल राज्य के सदस्यों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दूंगा । बम्बई के बारे में निर्णय करने में मेरा कोई हाथ नहीं है । इस मंत्रालय के कार्यभार संभालने से बहुत पहले ही इस बारे में निर्णय हो चुका था । दूसरी संस्था केरल में स्थापित की जायेगी और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं केरल तथा राष्ट्र की इसमें ही अधिक भलाई है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

(मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०
२९ अग्रहायण, १८८२ (शक))

विषय		पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		३१०१–०२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१०२–२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९९८	संगीत नाटक अकादमी	३१०२—०४
९९९	धर्मार्थ–न्यासों पर कर	३१०४—०६
१०००	द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करना	३१०६–०७
१००१	बैंकों के वैज्ञानिकन की योजना	३१०७—०९
१००२	सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन	३१०९–१०
१००३	तेल शोधक कारखानों के अनुमान	३११०—१२
१००५	आन्ध्र प्रदेश को कोयले का सम्भरण	३११२—१६
१००६	लोहे और इस्पात की कमी	३११६—२०
१००७	भट्टी के तेल का निर्यात	३१२०–२१
१००८	गृह मंत्री द्वारा असम का दौरा	३१२१–२२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या		३१२२—३०
५.	चीनी साहित्य की जब्तीं	३१२२—२४
६.	दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम	३१२४—२७
७.	विश्वविद्यावय अनुदान आयोग के सभापति	३१२७—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१३०—६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१००४	कोयला धोने के कारखाने	३१३०
१००९	सेना पदाधिकारियों की अंशदायी शिक्षा निधि	३१३०
१०१०	पुरातत्वीय खुदाई	३१३१
१०११	उपहार के तौर पर दी गयी मोटरगाड़ियां	१३३१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०१२ विशेष इस्पात का आयात ३१३१
१०१३ राष्ट्रीय अभिलेखागार ३१३२
१०१४ कोयले की कमी . ३१३२-३३
१०१५ गुजरात में तेल शोधक कारखाना ३१३३
१०१६ पलाई बैंक के निदेशक . . ३१३३
१०१७ कारतूस और अन्य गोला बारूद का मूल्य ३१३३-३४
१०१८ मिट्टी के तेल का वितरण . ३१३३-३४
१०१९ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम . . . ३१३५
१०२० दिल्ली और बम्बई में कोलाहल का सर्वेक्षण . . ३१३५
१०२१ सुपरसोनिक विमान ३१३५-३६
१०२२ जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें . . ३१३६
१०२३ "एटामिक टाइम—क्लाक" . . . ३१३६
१०२४ विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का जनता द्वारा उपयोग . ३१३६-३७
१०२५ चीन और भारत के बीच छात्रों का आदान-प्रदान . ३१३७
१०२६ प्रतिरक्षा संस्थापनों के भूतपूर्व सैनिक पेन्शनर . ३१३७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०४८ मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ३१३७-३८
२०४९ खनन पट्टे . . . ३१३८-३९
२०५० उत्तर प्रदेश के लिये लोहे की चादरें ३१३९
२०५१ बाल पुस्तक न्यास . . ३१३९
२०५२ टैगोर जन्म शताब्दी समारोह . . ३१४०
२०५३ नागार्जुनकोंडा में पुरातत्वीय खुदाई . . . ३१४०-४१
२०५४ मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनाएं . ३१४१
२०५५ मैसूर में अनुसूचित जातियों का कल्याण . . . ३१४१-४२
२०५६ अस्पृश्यता अपराध अधिनियम . . ३१४२
२०५७ जबलपुर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि . . . ३१४२
२०५८ मैसूर राज्य को नियत किया गया इस्पात . . . ३१४२
२०५९ मैसूर में संस्कृत संगठनों को सहायता . . . ३१४३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०६० अमरपुर–उदयपुर सड़क ३१४३
२०६१ त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ३१४३–४४
२०६२ दिल्ली में जुआ . ३१४४
२०६३ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ३१४४
२०६४ दिल्ली में अपहरण के मामले . ३१४४
२०६५ सम्पदा शुल्क . ३१४४
२०६६ हिमाचल प्रदेश में अपराध ३१४५
२०६७ पंजाब में शिक्षा . ३१४५
२०६८ दिल्ली में हाई स्कूल . . . ३१४५–४६
२०६९ केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन-क्रम ३१४६
२०७० निर्वाचन याचिका . ३१४६
२०७१ पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियां ३१४७
२०७२ अध्यापकों के वेतन-क्रम ३१४७
२०७३ पवन शक्ति ३१४७–४८
२०७४ छावनियां . ३१४८
२०७५ संगीत शिक्षा की फ़िल्में . ३१४८–४९
२०७६ आदिम जातियों के बच्चों की मातृ भाषा में शिक्षा ३१४९
२०७७ सामाजिक तनाव के कारणों के बारे में अनुसन्धान ३१४९–५०
२०७८ समाज विरोधी तत्व ३१५०
२०७९ आयकर विभाग द्वारा 'प्रतिदान सप्ताह' (रिफन्ड वीक) का मनाया जाना . . . ३१५०–५१
२०८० ब्रिटेन और अमरीका में भारतीय छात्र . . . ३१५१
२०८१ भूतपूर्व शासक ३१५१
२०८२ नेपाल सीमा के पास गांजे का तस्कर व्यापार ३१५१–५२
२०८३ पंजाब की खनिज सम्पत्ति ३१५२
२०८४ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त . . . ३१५३
२०८५ अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ३१५३
२०८६ घड़ियों का तस्कार व्यापार ३१५३
२०८७ अमरावती में अशोक स्तम्भ ३१५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०८८	भारत के विश्वविद्यालय छात्रों की राष्ट्रीय परिषद्	३१५४
२०८९	रूस से आयात किये गये पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण, वितरण आदि की व्यवस्था .	३१५४
२०९०	१९६१ की जनगणना . . .	३१५५
२०९१	हिन्दी टाइपिंग और शार्टहैंड सीखने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	३१५५–५६
२०९२	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की याचिकाएं .	३१५६
२०९३	हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली .	३१५७
२०९४	बैनेट, कोलयैन एण्ड कम्पनी, दिल्ली	३१५७
२०९५	केरल उच्च न्यायालय . .	३१५८
२०९६	केन्द्रीय राजस्व कार्यालय के महालेखापाल	३१५८
२०९७	दिल्ली में साइकिल सवारों पर जुर्माना	३१५८–५९
२०९८	हेलीकाप्टरों की खरीद	३१५९
२०९९	नेपाल का सर्वेक्षण . .	३१५९–६०
२१००	खोपरा और सुपारी की बिक्री .	३१६०
२१०१	शिक्षकों के लिये मंहगाई भत्ते . .	३१६०–६१
२१०२	विदेशी जन अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी	३१६१
२१०३	रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	३१६१
२१०४	दिल्ली में लड़कियों के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के अध्ययन	३१६१
२१०५	दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अध्यापक .	३१६२
२१०६	बंगाल की खाड़ी में लापता मछुओं की खोज	३१६२
२१०७	गैर-निवासी विद्यार्थी केन्द्र . .	३१६२–६३
२१०८	दिल्ली के ग्रामों में 'आबादी' क्षेत्र	३१६४
२१०९	विदेशी सहयोग से तेल की खोज .	३१६४
२११०	त्रिपुरा में चूहों का उत्पात .	३१६५
२१११	त्रिपुरा में झूमियों लोगों द्वारा ऋण की आदयगी . .	३१६५
२११२	त्रिपुरा में वेतन समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति .	३१६५
२११३	मद्रास राज्य में राजस्व की वसूली .	३१६६
२११४	प्राचीन स्मारक . .	३१६६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२११५ विधि आयोग का दसवां प्रतिवेदन ३१६६

२११६ जनगणना . . ३१६७

२११७ अमरीकी कोयला मिशन ३१६७–६८

२११८ मनीपुर पुलिस . ३१६८

२११९ पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान . ३१६८

२१२० पंजाब विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसन्धान ३१६८

२१२१ हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां . ३१६९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३१६९

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की पंद्रहवीं वार्षिक बैठक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गवर्नरों के बोर्ड की चौथी वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५६ की एक प्रति ।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५९ की एक प्रति, जिसमें खनिज रियायत नियम, १९६० का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ३१७०

निन्यानवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३१७०

श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा के वैष्णवपुर में जोतदारों द्वारा 'कुर्फा' उपकाश्तकारों के विरुद्ध आरम्भ की गई कथित आक्रमक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३१७१--३२०५

प्रधान मंत्री की ओर से गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने लाओस की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक--पारित

(१) अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक, १९६० ।

(२) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६० ।

दोनों विधयकों पर विचार करने के प्रस्तावों पर तथा विधयकों पर राय जानने के लिये संशोधन पर, जो १९ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत किये गये थे आगे चर्चा जारी रही ।

अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का संशोधन अस्वीकृत हुआ और विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंडवार चर्चा के पश्चात् विधयक पारित हुआ ।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर राय जानने के लिय उसे परिचालित करने के संशोधन पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ४४, विपक्ष में ३२८ ।

संशोधन तदनुसार अस्वीकृत हुआ ।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ३३३, विपक्ष में ५३ । प्रस्ताव तदनुसार स्वीकृत हुआ । खंडों पर भी लोक सभा में निम्न प्रकार से मत-विभाजन हुआ ।

(१) खंड २, पक्ष में ३३३, विपक्ष में ५२ ।

(२) खंड ३, पक्ष में ३३२, विपक्ष में ४७ ।

(३) प्रथम अनुसूची, पक्ष में ३३०, विपक्ष में ४६ ।

(४) द्वितीय अनुसूची, पक्ष में ३२९, विपक्ष में ४६ ।

खंड २ और ३ और प्रथम तथा द्वितीय अनुसुचियां तदनुसार स्वीकृत हुईं ।

विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ३२८, विपक्ष में ४७ ; प्रस्ताव तदनुसार स्वीकृत हूआ और विधेयक पारित हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा ३२०५--१०

श्री वारियर ने केन्द्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्था के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के १ दिसम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घटे की चर्चा उठाई ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि ३२१०

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना; मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा और भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त करने के बारे में चर्चा ।

GMGIPND.LS.III—1702(Ai) L.S.D.—10-1-61—115.